शुक्रवार,
१४ नवंबर, १९५२

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

शुक्रवार १४ नवम्बर, १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विदेशों से तारों का आना जाना

*३०९. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९४९-५०, १९५०-५१, १९५१-५२ तथा अप्रैल से अक्तूबर १९५२ तक विदेशों से तारों के आने जाने से कितनी आय हुई थी; तथा

(ख) क्या सन् १९५२-५३ में किसी बाहर के देश से संचरण की कोई नई लाइनें खोली जायेंगी ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क)—

	रुपये
१९४९-५०	१,६९,९६,९०१
१९५०-५१	२,२१,९८,१२८
१९५१-५२	२ २६,६८,४९०
अप्रैल से अक्तूबर '५२ तक अनुमानित आय	१,३०,६७,७५६

(ख) कुछ प्रस्थापनायें इस समय विचाराधीन हैं।

सरदार हुक्म सिंह : क्या माननीय मंत्री को युद्ध से पहले के दिनों में अविभक्त

भारत में वदेशी तारों के परिमा ण संबंधी कोई

श्री राज बहादुर : मुझे खेद है, मैं इस जानकारी को तत्काल नहीं बतला सकता।

कोयला-खान कम्पनियां

*३१०. **सरदार हुक्म सिंह : श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या, जैसी कि कानून में व्यवस्था की गई है, सभी कोयला-खान कम्पनियों द्वारा स्नानगृह तथा दिन में बच्चों को संभालने के स्थानों की व्यवस्था की गई है ; तथा

(ख) यदि नहीं, क्या किन्हीं कम्पनियों पर ऐसा न करने के लिए मुक़दमे चलाये गए हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

निम्नलिखित आंकड़ों से स्थिति और भी स्पष्ट हो जायगी :

काम करने वाली कुल खानों की संख्या	८९७
उन खानों की संख्या जिन पर खान स्नानगृह नियम, १९४६ लागू होते हैं	३१३
उन खानों की कुल संख्या जिन्हें इन नियमों से छूट दी गई	११०

उन खानों की कुल संख्या जहां खान स्नानगृह बनाए जा चुके हैं	१००
उन खानों की संख्या जहां ऐसे स्नानगृह बन रहे हैं	९९
उन खानों की कुल संख्या जहां ऐसे स्नानगृह बनाए जायेंगे	२६६
उन खानों की कुल संख्या जिन के विरुद्ध खान स्नानगृह नियमों के उल्लंघन के कारण से क़ानूनी कार्यवाही की गई	१९४
जिनके विरुद्ध कार्यवाही को अभी किया जायगा	७२

सरदार हुक्म सिंह: क्या इन खान स्नानगृह आदि संबंधी नियमों को पृथक पृथक खानों अथवा राज्यों के आधार पर लागू किया जाता है ? मेरे पूछने का तात्पर्य यह है कि क्या किसी राज्य विशेष की सभी खानों को इन नियमों का पालन करना होता है अथवा कि उन्हें विशेष खानों पर ही लागू किया जाता है ?

श्री वी० वी० गिरि : ये नियम सभी खानों पर लागू होते हैं ।

श्री सारंगधर दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या तल्छर की विल्लयछा खान तथा दो सरकारी खानों पर भी यह स्नानगृह बनाए गये हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं इन खास खानों के बारे में निश्चित रूप से नहीं बतला सकता —निश्चय ही उन पर यह बनाए गए होंगे ।

श्री दामोदर मेनन : श्रीमान्, क्या मैं कुछ खानों के छूट दिए जाने के कारण जान सकता हूं ?

श्री वी० वी० गिरि : इसका कारण या तो यह है कि इन खानों के संसाधन इतने अधिक नहीं थे कि वह पानी की काफ़ी मात्रा की व्यवस्था कर सकें या यह कि उनका उत्पादन तीन वर्षों के अन्दर समाप्त होने वाला था ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इस प्रकार के स्नानगारों की व्यवस्था न करने वाली खानों के विरुद्ध मुक़दमा चलाने में इतना विलम्ब कर देने का कारण क्या है ?

श्री वी० वी० गिरि : कुछ विलम्ब नहीं हुआ । हमने कुछ खानों के विरुद्ध मुक़दमे चलाए हैं तथा दूसरी कम्पनियों के विरुद्ध वे चलाए जा रहे हैं । इस में कोई खास विलम्ब नहीं हुआ ।

नागरिक विमान-चालन विभाग की विमान-चालक प्रशिक्षण समिति

*३११. **डा० राम सुभग सिंह :** (क) **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या नागरिक विमान-चालन विभाग की विमान-चालक प्रशिक्षण संबंधी ९ व्यक्तियों की समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है तथा सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज दी है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो उस रिपोर्ट की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

अल्प-कालीन ऋण संबंधी सुविधायें

*३१२. **श्री एस० एन० दास :** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने कृषकों के लिये वित्तीय व्यवस्था के विचार से अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन की सिफारिशों

के अनुसार राज्यों को अल्प-कालीन ऋण देने का फ़ैसला किया है ;

(ख) यदि ऐसा है तो क्या इस प्रस्थापना को पूरा करने के लिए कोई योजना बनाई गई है तथा उस योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; तथा

(ग) क्या योजना को कार्यान्वित किया गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (ग) तक । चालू वर्ष में बीज तथा खाद आदि के खरीदने के लिए कृषकों को 'तक़ावी' ऋणों के रूप में राज्य सरकारों को २ करोड़ रुपये की अग्रिम धन राशि दी है । इस अभिप्राय से आने वाले वर्षों में उचित व्यवस्था करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या कृषकों की 'तक़ावी' ऋण संबंधी कुल आवश्यकता को निश्चित करने की कोई कार्यवाही की गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम इस संबंध में वर्ष १९५३-५४ में १० करोड़ रुपये की व्यवस्था करने वाले हैं ।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया की जांच पड़ताल के फ़लस्वरूप कृषकों को ऋण की सुविधाओं के देने के बारे में कोई योजना बनाई गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हां, श्रीमान् ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि यह योजना किस प्रकार की है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस समय मैं सभी ब्यौरों का वर्णन नहीं कर सकता परन्तु रिज़र्व बैंक न केवल अल्पकालीन बल्कि मध्यम-कालीन तथा दीर्घकालीन योजनाओं के बारे में गम्भीर जांच पड़ताल कर रहा है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मैं जान सकता हूं कि क्या हाल के वर्षों में ग्रामों की ऋण-ग्रस्तता बढ़ गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं नहीं कह सकता । मैं समझता हूं कि यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री दाभी : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि 'तक़ावी' ऋणों के मंज़ूर करने तथा कृषकों को वस्तुतः देने में असामान्य देर लग जाती है, 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन द्वारा प्रार्थनापत्रों का फ़ैसला करने के लिए छः सप्ताह की अधिकतम अवधि निश्चित की है। यदि ऐसा है तो क्या सरकार ने.....

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि यह मामला राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार का है। इसके अतिरिक्त यह कार्यवाही के लिये एक सुझाव मात्र ही है ।

श्री सैय्यद अहमद : श्रीमान्, एक औचित्य प्रश्न के हेतु, मैं देखता हूं कि मेरे स्थान पर एक कागज़ पड़ा है जिस पर पंडित नेहरू के जन्म दिवस पर एक कविता लिखी हुई है । यह एक बहुत बुरी कविता है । मैं पूछ सकता हूं कि क्या सदन का कोई माननीय सदस्य इस प्रकार की कविता को बांट सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह काम संसद् सचिवालय के किसी कर्मचारी का नहीं तथा न हीं सम्भवतः इसे बांटा गया है । परन्तु यदि इसे बांटा गया है तो यह एक बुरी बात है कि इस प्रकार का व्यक्तिगत पत्र बांटा जाय । कुछ भी हो, पंडित नेहरू में इतनी हिम्मत है कि वह अपनी रक्षा आप कर सकें । अब हम प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं ।

श्री जसानी: इसमें से कितनी राशि बांट में मध्य प्रदेश को दी गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख: मध्य प्रदेश को ७१·६३ लाख रु० बांट में आये हैं जो एक काफी बड़ी राशि है।

श्री सारंगधर दास : केन्द्रीय सरकार द्वारा तक़ावी ऋणों के रूप में दिए जाने वाले वित्त के संबंध में, क्या यह उचित नहीं कि केन्द्रीय सरकार की अधिक अन्न उपज़ाओ समिति द्वारा इस अभिप्राय के निदेश जारी किए जायें कि ये ऋण प्रार्थनापत्र के छः महीने के अन्दर दे दिए जाने चाहियें ?

डा० पी० एस० देशमुख : राज्य सरकार का ध्यान इस सिपारिश की ओर दिलाया गया है।

श्री पुन्नूस : श्रीमान्, क्या मैं विभिन्न राज्यों को दी गई राशियों को जान सकता हूं तथा क्या सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कोई पग उठाए हैं कि ये राशियां वस्तुतः कृषकों को ही मिलती हैं तथा दूसरे व्यक्तियों को नहीं ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह मामला भी राज्यों से संबंध रखता है।

अध्यक्ष महोदय : केन्द्रीय सरकार अनुदान तो दे सकती है परन्तु प्रबन्ध का करना राज्य सरकारों का काम है।

श्री पुन्नूस: क्या इससे हम यह समझें कि इस संबंध में प्रबन्धों से इस सरकार का कोई सरोकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इतनी शीघ्रता से निष्कर्ष पर पहुंचने की आवश्यकता नहीं है।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि मद्रास राज्य को दी गई राशि कितनी है तथा क्या यह राशि इस समय तक वस्तुतः दी जा चुकी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं इस प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर देने में असमर्थ हूं। जहां तक पहिले भाग का संबंध है, उनके लिए बांट में १ करोड़ रुपया की व्यवस्था की गई है।

बम्बई तथा त्रावनकोर-कोचीन के बीच सीधी रेलवे लाइन

*३१३. **श्री ए० एम० टामस:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त मंत्री ने बम्बई में एक भाषण के दौरान में बम्बई राज्य तथा त्रावनकोर-कोचीन के बीच इक सीधी रेलवे लाइन के बनाने की ओर निर्देश किया था ;

(ख) क्या इस प्रकार की कोई योजना तैयार की गई है ;

(ग) क्या योजना को कार्यान्वित करने के लिये कोई पग उठाए गए हैं; तथा

(घ) यदि ऐसा है तो क्या पग उठाए गये हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) मैंने भाषण के पाठ को देखा तो नहीं है, परन्तु हो सकता है कि माननीय सदस्य की सूचना ठीक हो।

(ख) से (घ) तक। ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई है तथा मैंने इस संबंध में कुछ माननीय सदस्यों से अनियमित ढंग से वार्ता की है।

श्री ए० एम० टामस: क्या सरकार ने व्यय के बारे में किसी अनुमान को लगाया है ?

श्री एल० बी० शास्त्री: हमारा कोई अनुमान नहीं है।

श्री ए० एम० टामस : श्रीमान्, अन्तर कितने मीलों का है ?

श्री एल० बी० शास्त्री: मेरा विचार है कि ४८७ मील का।

श्री वैलायुधन : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री ने बम्बई तथा त्रावनकोर-कोचीन को मिलाने वाली रेल के बनाए जाने के प्रश्न को व्यवहार्य समझा है ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति ।

श्री नम्बियार: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के सामने इस काम के करने की कोई प्रस्थापना विद्यमान भी है कि नहीं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : कुछ भी हो, इस योजना पर खर्च तो बहुत आयेगा । पश्चिमी तट पर रेल के बनाए जाने का विचार सचमुच ध्यान के योग्य है । यदि हमारे पास धन हो तो मैं इसे अगले पंचवर्षीय कार्यक्रम में सम्मिलित किए जाने पर क्यों आपत्ति करूं ?

श्री एन० पी० दामोदरन : क्या सरकार को विदित है कि बम्बई में हाल में किए गए एक सम्मेलन में सरकार से मंगलौर तथा बम्बई के बीच रेल बनाए जाने की प्रार्थना की गई थी ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मुझे ठीक ठीक तो याद नहीं आता कि क्या मुझे इस अभिप्राय का कोई पत्र आदि भेजा गया था । परन्तु यह संभव है कि उस सम्मेलन में जिसकी ओर माननीय सदस्य ने संकेत किया है, इस प्रकार की कोई प्रस्थापना की गई हो ।

श्री पुभूस: मैं जान सकता हूं कि क्या इस प्रस्थापना से अरनाकुलम तथा क्विलोन के बीच रेलवे लाइनें बनाने में कोई रुकावट तो नहीं पड़ेगी ?

श्री एल० बी० शास्त्री: जी नहीं ।

विमान-सेवा कम्पनियों का एकीकरण

*३१४. **श्री ए० एम० टामस**: (क) **संचरण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने विमान-सेवा कम्पनियों के एकीकरण की कोई योजना तैयार की है ?

(ख) यदि ऐसा है तो यह योजना किस प्रकार की है ?

(ग) यदि कोई योजना तैयार नहीं की गई है तो क्या एकीकरण की कोई प्रस्थापना है भी तथा यदि है तो वह प्रस्थापना किस प्रकार से है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग) तक । देश के भावी वैमानिक यातायात का प्रश्न इस समय सरकार के विचाराधीन है । मैं इस विषय पर उचित समय पर एक वक्तव्य दूंगा ।

श्री ए० एम० टामस: मैं जान सकता हूं कि क्या इन कम्पनियों की आर्थिक स्थिति के बारे में कोई जांच की गई है ?

श्री राज बहादुर : वे सब बातें विचाराधीन हैं । इस प्रकार की कोई जांच नहीं की गई है, परन्तु कभी कभी संतुलन पत्र की जांच पड़ताल की जाती है ।

श्री ए० एम० टामस: मैं जान सकता हूं कि क्या वैमानिक सेवाओं के राष्ट्रीयकरण का कोई विचार किया गया है ?

श्री राज बहादुर: वक्तव्य में इन सब बातों पर प्रकाश डाला जायगा ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा होगा कि वक्तव्य की प्रतीक्षा की जाय तथा इस संबंध में पहले से कुछ न कहा जाय ।

श्री ए० एम० टामस : मैं जान सकता हूं कि यह वक्तव्य कब तक उपलब्ध हो जायगा?

श्री राज बहादुर : श्रीमान्, मेरा विचार है कि बहुत शीघ्र ।

एयर इंडिया विमान-सेवाओं का बन्द किया जाना

*३१५. **श्री ए० एम० टामस**: **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे

कि क्या सरकार ने एयर इंडिया की विमान-के सेवाओं के कुछ समय से बन्द किए जाने के बारे में जांच पड़ताल की है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): किसी नियमित जांच की आवश्यकता नहीं थी। भारत सरकार ने बम्बई राज्य सरकार के परामर्श से परिस्थिति में दैनिक घटनाओं से होने वाले अन्तर पर निरन्तर ध्यान दिया था।

श्री ए० एम० टामस: मैं जान सकता हूं कि इन सेवाओं को कितने समय के लिये बन्द किया गया था तथा क्या सरकार को हड़ताल के बारे में कोई सूचना थी तथा क्या सरकार ने उस हड़ताल को रोकने अथवा समझौता कराने के लिए कोई कार्यवाही की थी ?

श्री राज बहादुर: सरकार का इस बारे में कोई विशेष भाग नहीं था। वास्तव में हड़ताल ९ अगस्त, १९५२ को ही आरम्भ हो चुकी थी तथा २७ तारीख को समाप्त भी हो गई थी। इस प्रकार से यह लगभग अठारह दिनों के लिए रही। हम परिस्थिति पर निरन्तर ध्यान देते रहे थे, परन्तु प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों में मामले को पूर्णतः तय कर लिया गया था।

श्री ए० एम० टामस: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को प्रस्तावित हड़ताल के बारे में पहले से कोई सूचना प्राप्त थी ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): जी नहीं। सरकार को कोई सूचना नहीं दी गई। वास्तव में केन्द्रीय सरकार का इस बात से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। विमान कंपनियों में श्रमिक विवादों के मामले राज्य-सूची के अन्तर्गत आते हैं तथा इस बारे में बम्बई सरकार कार्यवाही कर रही है।

श्री बी० एस० मूर्ति: मैं जान सकता हूं कि क्या समझौता अधिकारी द्वारा समझौते की कोई प्रस्तावना की गई थी तथा यदि की गई थी तो उसका परिणाम क्या निकला ?

श्री जगजीवन राम: मालिकों तथा कर्मचारियों में समझौते की वार्ता निरन्तर चलती रही थी।

श्री के० के० बसु: इस विचार से कि ये विमान-सेवायें राज्य-क्षेत्रों से परे तक भी जाती हैं, क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि इस हड़ताल का उत्तरदायित्व किन व्यक्तियों पर है ?

श्री जगजीवन राम: सारे मामले पर श्री टाटा द्वारा किए गए एक 'प्रैस' सम्मेलन में प्रकाश डाला गया था तथा यदि मेरे माननीय मित्र उस समय समाचारपत्रों में प्रकाशित इस सम्मेलन के वृत्तान्त को पढ़ेंगे तो उन्हें इन सब बातों के बारे में विस्तार से पता चल जायगा।

श्री नम्बियार: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने कर्मचारियों की न्यायपूर्ण शिकायतों पर विचार किया है जो इस हड़ताल के वास्तविक कारण थे ?

श्री जगजीवन राम: उस समय केवल एक शिकायत थी और वह यह कि श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण ने कुछ फैसले दिए थे तथा मजदूरों को उस फैसले से संतोष नहीं हुआ और उन्होंने हड़ताल कर दी। मजदूरों ने न्यायाधिकरण के अधिकार पर आपत्ति की। इस विषय में जांच करने की कोई बात नहीं थी।

सरदार हुक्म सिंह: मैं जान सकता हूं कि क्या इन सेवाओं को चलाने का काम दूसरी कम्पनियों को सौंपा गया था ?

श्री जगजीवन राम : उस काल में दूसरी कम्पनियों को इन रास्तों पर विमान चलाने की अनुमति थी ।

टिड्डी दल

*३१६. **श्री एस० एन० दास: खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन पर हाल में टिड्डी दलों के हमले हुए थे; प्रत्येक विषय में प्रभावित क्षेत्र का वर्णन किया जाय ;

(ख) सरकार द्वारा सावधानता के विचार से किए गए उपायों से इन दलों को फैलने से किस सीमा तक रोका जा सका तथा उन क्षेत्रों की फसलों को बचाया जा सका था ; तथा

(ग) टिड्डी दलों का सामना करने में सरकार को हाल में कितना व्यय करना पड़ा था ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) इस वर्ष टिड्डी दलों के राजस्थान, अजमेर, दिल्ली, सौराष्ट्र तथा बम्बई राज्यों में हमले हुए थे। जितने क्षेत्र पर इनके वास्तव में हमले हुए थे, उसके बारे में ठीक ठीक पता नहीं है, परन्तु टिड्डियां राजस्थान के लगभग ८०,००० वर्ग मील के क्षेत्र में पलती रही थीं। पंजाब में इनके पलने का क्षेत्र १५०० वर्ग मील, पैप्सू में ३५० वर्ग मील, बम्बई में १५० वर्ग मील तथा उत्तर प्रदेश में ११ वर्ग मील था ।

(ख) यदि टिड्डी के वर्तमान हमलों के आरम्भ में सावधानता के उपायों को किया जाता तथा यदि टिड्डी के बारे में सूचना देने की संस्था का विस्तार न किया जाता और इसके नियंत्रण विभाग को जिसमें वायरलेस शामिल है तथा यदि चतुर्थ लक्षीय कार्यक्रम के अन्तर्गत विमान द्वारा टिड्डियों पर कीटनाशक वस्तुओं के छिड़कने आदि का सामान न खरीदा जाता तो उत्तरी भारत में इन टिड्डियों के कई हजार हमले हो चुके होते । क्योंकि भारत में केवल आधी दर्जन के लगभग ही हमले हुए, अतएव फसलों को खास हानि नहीं पहुंची है ।

(ग) जहां तक इस समय कोई अनुमान लगाया जा सकता है, आर्थिक वर्ष १९५२-५३ में कुल व्यय लगभग २५ लाख रुपया होगा।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या राजपूताना के महत्वपूर्ण स्थानों में वृद्धि हुई है जहां से कि इन टिड्डी दलों के निकलने तथा हमले करने पर कड़ा ध्यान रखा जा सकता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, मैं इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से नहीं समझ सका हूं। यदि उनका मतलब यह है कि क्षेत्र को बढ़ाया गया है तो यह ठीक है।

श्री एस० एन० दास: राजपूताना में ऐसे महत्वपूर्ण कई स्थान हैं जहां से ये हमले होते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन महत्वपूर्ण स्थानों की संख्या में वृद्धि हुई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हां, श्रीमान् इस संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार इन टिड्डी दलों से केवल बचने के ही उपाय करती है या कि उन्होंने इन टिड्डी दलों को उनके पलने के स्थान पर भी नष्ट करने के लिए कुछ किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, केवल बचाव के उपायों से इस खतरे का सामना कभी न हो सकता । हमने पहल की है तथा इन टिड्डी दलों के विनाश के उपाय किए हैं ।

श्री वी० पी० नायर : इन कीड़ों ने जो अनाज बरबाद किया है, उसका अनुमान क्या है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जैसा कि मैंने बतलाया है, यह बहुत कम है ।

श्री पुन्नूस : क्या हम समझें कि सरकार को मालाबार, तथा त्रावनकोर-कोचीन के बहुत बड़े भागों पर इन कीड़ों के हमलों के बारे में कुछ विदित नहीं है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, सरकार को कुछ विदित नहीं है । हमें त्रावणकोर-कोचीन से कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली है । टिड्डी कई प्रकार की होती है ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या इस वर्ष सारे हमले बाहर के देशों से आई टिड्डी द्वारा ही हुए या कि यह टिड्डी यहां भी पैदा होती रही थी ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, अधिकांश यह बाहर से आई ।

ग्राम्य-क्षेत्रों संबंधी चिकित्सा सहायता जांच समिति की रिपोर्ट

*३१७. **श्री एस० एन० दास** : (क) क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम्य-क्षेत्रों सम्बन्धी चिकित्सा सहायता जांच समिति की रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी है तथा सरकार ने उस पर विचार कर लिया है ?

(ख) इस समिति की बड़ी बड़ी सिपारिशें क्या हैं ?

(ग) उन में से सरकार ने कौन कौन सी सिपारिशें स्वीकार कर ली हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) सरकार को इस समिति की रिपोर्ट अभी नहीं मिली है ।

(ख) तथा (ग) । उत्पन्न नहीं होते ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि इस समिति को कब बनाया गया था तथा अभी तक इसकी रिपोर्ट के न मिलने के कारण क्या हैं ?

राजकुमारी अमृत कौर : इस समिति को १९४८ के अन्त में बनाया गया था । वर्ष १९४९ तथा १९५० में इस की तीन बार बैठक हुई थी । उस समय योजना आयोग बनाया गया था तथा उन्होंने कुछ व्यक्तियों के जिम्मे ग्राम्य-क्षेत्रों में चिकित्सा सम्बन्धी सहायता के फ़ैलाने के उपाय सोचने का काम लगाया था । अतएव वास्तव में किसी रिपोर्ट को प्रकाशित करने की आवश्यकता ही नहीं समझी गई थी । एकत्र की गई समस्त जानकारी तथा उपलब्ध सूचना को समिति के सामने रख दिया गया था तथा उनकी बहुत सी सिपारिशों को योजना आयोग की रिपोर्ट में शामिल कर लिया गया था ।

श्री एस० एन० दास : जहां तक मुझे याद है वर्ष १९५१ में मेरे एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि रिपोर्ट बहुत शीघ्र प्राप्त होने वाली है । मैं जानना चाहता हूं कि इस बीच किन कारणों से .....

राजकुमारी अमृत कौर : मैं यह कारण बतला चुकी हूं कि जब सारी सामग्री उपलब्ध हो गई थी तो उसे योजना आयोग के सामने रख दिया गया था तथा रिपोर्ट के प्रकाशित करने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी । इस से केवल और खर्च ही होता ।

श्री एस० एन० दास : इस समिति के वे निर्देश-पद क्या हैं जिनके बारे में वे इतनी देर कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य उत्तर को समझ नहीं सके । बात ऐसी नहीं कि समिति की रीपोर्ट विस्तृत जांच के कारण से रुकी पड़ी हो । जब

सारी जानकारी एकत्र हो गई थी तो योजना आयोग की स्थापना की गई तथा उनके सामने वह सारी जानकारी रख दी गई थी तथा जिन सिफारिशों को इस समिति ने करना था, वे इस समय योजना आयोग के विचाराधीन हैं। अतः उन्हें योजना आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी ही होगी।

स्विस सार्थ के साथ टैक्नीकल सहायता करार

*३१८. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** (क) रेल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष १९४९ में रेलवे बोर्ड तथा स्विटज़रलैन्ड के एक सार्थ के बीच पूर्णतः धातु के हल्के मुसाफ़िर गाड़ी के डिब्बों के बनाने के लिये टैक्नीकल सहायता के प्राप्त करने के सम्बन्ध में किसी करार पर हस्ताक्षर किए गये थे ?

(ख) उक्त करार की शर्तें क्या क्या थीं ?

(ग) उक्त सार्थ को सरकार द्वारा अभी तक कितने डिब्बों का क्रय-आदेश दिया गया था ?

(घ) अभी तक भारत सरकार ने उस सार्थ को कितनी राशि का भुगतान किया है तथा किन किन लेखाओं के सम्बन्ध में ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां।

(ख) करार की शर्तें प्रायः इस सम्बन्ध में हैं —

(१) टैक्नीकल सहायता जिस में रूपरेखा के तैयार करने तथा करार की अवधि के दौरान में जो बारह वर्ष है निरन्तर परामर्श ;

(२) आवश्यकता के अनुसार भारतीय कारीगरों को प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं का दिया जाना ;

(३) भारत में एक फ़ैक्टरी के बनाने के काम में नक्शे तथा सामान के बारे में उक्त सार्थ से परामर्शक इन्जीनियर के रूप में परामर्श लेना ;

(४) कुछ डिब्बों के खाली ढांचों का देना।

(ग) १००।

(घ) ३ वार्षिक शुल्क, ८.७० लाख। भारत आने वाले शिलीयरेन विशेषज्ञों को दिये गये भुगतान, २.०० लाख। उन डिब्बों के सम्बन्ध में किया गया भुगतान जिनका व्यादेश दिया गया था, १०७.७९ लाख। कुल ११८.४९ लाख।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : मैं जान सकता हूं कि इस सार्थ की पूर्ण कितनी है तथा उन्हें कितने मूल्य का ठेका दिया गया है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मूझे पूर्व-सूचना की आवश्यकता है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : मैं जान सकता हूं कि क्या इस राशि के लिये उस सार्थ से कोई प्रतिभूति भी ली गई थी ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मैं तत्काल तो जानकारी नहीं दे सकता, परन्तु आप मुझे इतना कहने की आज्ञा दें कि माननीय सदस्य लोक लेखा समिति के सदस्य हैं तथा उस समिति में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। सम्भव है कि उन्हें मुझे से कहीं अधिक जानकारी पहले से प्राप्त हो।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या यह सत्य है कि उक्त सार्थ की एक दूसरा क्रयादेश (आर्डर) दिया गया था जब कि वह पहले क्रयादेश (आर्डर) को भी पूरा नहीं कर पाई थी ?

श्री एल० बी० शास्त्री : माननीय सदस्य का यह कहना ठीक है। मैं सदन को यह बतला दूं कि इस करार से हमारे लिये कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं। निर्देश पदों के अन्तर्गत हम उन्हें डिब्बों की कीमत पेशगी रूप से दे देते हैं जिसे हमने अब बन्द कर दिया है तथा जब तक दूसरे आर्डर को पूरा नहीं कर दिया जायगा, हम उन्हें और किसी राशि का भुगतान नहीं करेंगे।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : मैं जान सकता हूं कि क्या अब भी किसी दृढ़ मूल्य को निश्चित किया जा रहा है या नहीं तथा कि ये पेशगियां किस आधार पर दी जा रही हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : इस पद्धति पर अभी विचार हो रहा है तथा संभवतः माननीय सदस्य को पता है कि हाल में हमारे वित्त आयुक्त स्विटजरलेंड गये थे तथा उन्होंने इन सार्थों से विचार-विनिमय किया था। हमने काफ़ी प्रगति की है परन्तु मूल्य तथा दूसरे मामलों के सम्बन्ध में केवल उसी समय फ़ैसले कियें जायेंगे जब स्विस प्रतिनिधि जनवरी के आरम्भ में यहां पहुंच जायेंगे।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या यह सत्य है कि इस सार्थ की पूंजी बहुत थोड़ी है तथा यह कि करार में कोई प्रतिभूति नहीं रखी गई है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : करार पर विचार किया जा चुका है। सम्भव है कि इस में परिवर्तन किये जायें, परन्तु मैं माननीय सदस्य को सूचित कर दूं कि चाहे अब कोई भी कम्पनी इस में शामिल हो जाये, अब तीनों इस परियोजना को मिलकर पूरा करेंगी।

श्री सारंगधर दास : मूल प्रश्न के उत्तर से उत्पन्न होते हुए, क्या मैं समझ लूं कि इस कम्पनी की सम्पत्ति का पता किये बिना ही १ करोड़ रुपया पेशगी दे दिया गया था ?

श्री एल० बी० शास्त्री : वास्तव में हमें ६० लाख रुपये के डिब्बे मिल भी चुके हैं। हमने उन्हें १ करोड़ रुपया अवश्य दिया है। परन्तु उसमें विशेषज्ञों की फ़ीस आदि के खर्च भी ज़रूर सम्मिलित हैं। इस के अतिरिक्त हमें ६० लाख रुपये के डिब्बे मिल चुके हैं।

श्री सारंगधर दास : प्रश्न यह है कि हमें डिब्बे मिल चुके हैं या नहीं। प्रश्न यह है कि क्या इस कम्पनी को इसकी सम्पत्ति के जाने बिना कुछ डिब्बों के लिये १ करोड़ रुपया पेशगी दिया गया था ?

श्री एल० बी० शास्त्री : यदि उनकी पूंजी सम्पत्ति का पता न होता तो उन्हें ये आर्डर नहीं दिये जाते।

श्री वैलायुधन : क्या माननीय मंत्री के इस उत्तर से मैं यह समझ सकता हूं कि इन डिब्बों का आर्डर मूल्य को निश्चित किये बिना दे दिया गया था ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मूल्य निश्चित किये गये थे, परन्तु उच्च स्तरीय खर्चे तथा मूल्यों के बढ़ जाने के कारण इन में अवश्य परिवर्तन हुए थे। अतएव मूल्यों के निश्चित करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : इस सौदे की समझौते की वार्ता किस अधिकारी ने की थी ?

श्री एल० बी० शास्त्री : वह इस समय सेवा से बाहर हैं।

विदेशों से जहाजों की खरीद

*३१८. **श्री वी० पी० नायर :** **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौपरिवहण व्यवसायों ने सरकार से इस अभिप्राय की प्रार्थना

की है कि अनाज के आयात के लिये उन्हें विदेशों से जहाजों के खरीदने में मदद दी जाय ; तथा

(ख) यदि ऐसी कोई प्रार्थना की गई है, तो भारत सरकार ने भारतीय नौपरिवहन व्यवसाय को अधिक जहाजों के प्राप्त करने में सहायता देने के लिये क्या प्रयत्न किए हैं तथा उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) नौपरिवहन निजी कारबार में है तथा अधिक जहाजों के प्राप्त करने का भार भारतीय नौपरिवहन कम्पनियों पर है। फिर भी भारत सरकार ने इस कार्य में निम्न प्रकार से सहायता दी है :

(१) एक नौपरिवहन निगम की स्थापना की गई है जो पूंजी के ७४ प्रतिशत भाग को इस काम में लगाएगी जिस से वह जहाजों को खरीद कर उन्हें चुने हुए समुद्री मार्गों पर चलाएगी ;

(२) अपने प्रभाव से भारतीय नौपरिवहन कम्पनियों के लिये कुछ समुद्र पार देशों के नौपरिवहन सम्मेलनों में शामिल होने की अनुमति का प्राप्त करना ;

(३) जहाजों की खरीद के लिये ऋणों का देना ;

(४) विदेशों से जहाजों की खरीद के लिये आवश्यक मुद्रा-विनिमय की व्यवस्था का करना ;

(५) विशाखापटम के पोत-निर्माण हाते में बनाये जाने वाले जहाजों के भारतीय नौपरिवहन कम्पनियों को बेचे जाने के प्रबन्धों का करना ; तथा

(६) योजना काल के समाप्त होने तक भारतीय जहाजों के टन-सामर्थ्य में १,७५,००० जी० आर० टो० के बढ़ाने के लिये पंच वर्षीय योजना में १५ करोड़ रुपये की व्यवस्था का करना ।

इन उपायों के फलस्वरूप, भारतीय नौपरिवहन के निजी जहाज़ों का टन-सामर्थ्य अब ४·२ लाख जी० आर० टी० हो गया है जब कि १९४० के आरम्भ में यह केवल १.५ लाख टन था । इस टन-सामर्थ्य से भारतीय जहाज़ तटीय-व्यापार के लगभग ९६ प्रतिशत ढोने के समर्थ हो सके हैं तथा देश के कुछ प्रकार के वैदेशिक व्यापार में अब उनका भाग निश्चित सा हो गया है ।

श्री वी० पी० नायर : इस समय तटीय तथा वैदेशिक व्यापार में व्यस्त भारतीय जहाज़ों का कुल टन-सामर्थ्य कितना है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : तटीय व्यापार में भारतीय जहाज़ों को लगभग सारा व्यापार मिल जाता है — यूं कहिये कि ९६ प्रतिशत के लगभग । जहां तक वैदेशिक नौपरिवहन का सम्बन्ध है, मुझे खेद है कि मैं ठीक ठीक प्रतिशतक नहीं बतला सकता ।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सत्य नहीं है कि भारतीय नौपरिवहन हितों ने बार बार सरकार से प्रार्थना की है कि वह अपने प्रभाव से उन्हें नए जहाज़ों के खरीदने में मदद दें, विशेषत: अमरीका से ? सरकार ने इन प्रार्थनाओं के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : यह सत्य है कि उन्होंने प्रार्थनाएं की थीं तथा जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बतलाया, हमने उनकी सहायता करने का प्रयत्न किया है । जहां

तक वैदेशिक नौपरिवहन का सम्बन्ध है, कोई एक महीना पहिले हमने उन्हें बहुत कम दर पर अर्थात २-१।२ प्रतिशत पर ऋण देने का फैसला किया है।

श्री वी० पी० नायर: क्या सरकार बतलायगी कि वर्ष १९५१ में अनाज के आयात पर भारतीय जहाज़ों को कितना भाड़ा दिया गया था तथा दूसरे देशों के जहाज़ों को कितना ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मैं ठीक ठीक आंकड़ा तो नहीं बतला सकता। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य विदेशी जहाज़ों द्वारा ले जाए गए अनाज के बारे में पूछ रहे हैं। यह भाड़ा लगभग ५० करोड़ रुपये है।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सत्य नहीं है कि जब अमरीका ने युद्ध काल में बने हुए कोई ११३ जहाज़ों को बेचा था तो भारतीय नौपरिवहन को केवल १५ जहाज़ ही मिल सके थे ?

श्री एल० बी० शास्त्री: वास्तव में अनाज के आयात के सम्बन्ध में जहाज़ों की खरीद की एक प्रस्थापना की गई थी, परन्तु यह सोचा गया कि इन जहाज़ों का उस समय खरीदना सम्भव नहीं था क्योंकि उनके मूल्य कुछ अधिक थे। अतएव उस विचार का त्याग कर दिया गया।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस विदेशी लोहे के पंजे को तोड़ने के कोई उपाय कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत विस्तृत सा प्रश्न है।

श्री नम्बियार : क्या भारतीय जहाज़ों तथा वैदेशिक जहाज़ों को दिए गए भाड़े में कोई अन्तर है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मुझे पूर्व-सूचना चाहिये।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर: भारतीय पोत-निर्माण हाते में कितने जहाज़ प्रति वर्ष बनाये जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है तथा इस का कई बार उत्तर दिया जा चुका है।

श्री दामोदर मैनन: क्या इस प्रस्तावना के फलस्वरूप किसी राज्य सरकार ने सचमुच कोई ऋण सरकार से लिया है ? यदि ऐसा है तो यह राशि कितनी है।

श्री एल० बी० शास्त्री: जैसा कि मैं ने बतलाया, वास्तव में यह फैसला केवल पिछले महीने ही किया गया है। आशा की जाती है कि अब वह इस ऋण को लेंगे।

गुप्त इन्द्रीय रोग

*३२०. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में गुप्त इन्द्रीय रोगों से पीड़ित रोगियों की अनुमानित संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार ने इस रोग को जड़ से उखाड़ने के लिये कोई प्रयत्न किये हैं तथा यदि ऐसा है तो क्या उपाय किये गये हैं ;

(ग) विभिन्न सरकारों के अधीन अस्पतालों में गुप्त इन्द्रीय रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की कितनी प्रतिशतता को निशुल्क चिकित्सा मिल सकती है ;

(घ) वर्ष १९५० तथा वर्ष १९५१ में विभिन्न सरकारी अस्पतालों में गुप्त इन्द्रीय रोग से पीड़ित कितने व्यक्तियों का इलाज किया गया था ; तथा

(ङ) राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार की सेवा में कितने व्यक्तियों ने चरम विद्या में विशेषता प्राप्त की है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) सदन-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २२ ।**]

(ग) गुप्त इन्द्रीय रोगों से पीड़ित लगभग सारे व्यक्तियों को जो सरकारी अस्पतालों में जाते हैं निःशुल्क चिकित्सा की जाती है । कुछ राज्य-अस्पतालों में बनी रोगियों को पैसा देना पड़ता है ।

(घ) वर्ष १९५० में ७,३९,११४ रोगियों की चिकित्सा की गई थी तथा वर्ष १९५१ में यह संख्या १०,४९,५०० थी ।

(ङ) राज्य सरकारों की सेवा में चरम-विशान विशेषज्ञों की संख्या ६२ है । केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी ऐसे विशेषज्ञ को नहीं रखा गया ।

श्री वी० पी० नायर । मैं जान सकता हूं कि भारत के किन भागों में ऐसे रोगों का बहुत ज़ोर है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सत्य है कि हाल में विश्व स्वास्थ्य संस्था (डब्ल्यू० एच० ओ०) ने दिल्ली में उस के कुछ परीक्षण किये थे ? दिल्ली में किये गये इन परीक्षणों में गुप्त इन्द्रीय रोगों वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता कितनी थी ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मुझे कोई सूचना प्राप्त नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि दिल्ली राज्य सरकार अभी तक वैश्यागमन के सम्बन्ध में लाईसेंस देती है तथा कि इस समय इस प्रकार के १००० से अधिक लाईसेंस दिये जा चुके हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री वी० पी० नायर : मैं यह प्रश्न देश के सर्वोत्तम स्वास्थ्य सम्बन्धी हित में पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : हमें दिल्ली राज्य प्रशासन के बारे में प्रश्न नहीं पूछने चाहियें ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या दिये गये आंकड़े में स्वदेशी चिकित्सा-प्रणालियों से इलाज किये गये रोगियों की संख्या भी शामिल है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : जी नहीं ।

श्री एम० खुदा बख्श : मैं जान सकता हूं कि विभिन्न राज्यों में गुप्त-इन्द्रीय रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या का परस्पर अनुपात क्या है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : पूर्वसूचना चाहिये ।

राजकुमारी अमृत कौर : श्रीमान् क्या मैं बतला दूं कि १९३३ में जब नमूने की जांच की गई थी तो यह अनुपात जनसंख्या का ३० प्रति हज़ार भाग के लगभग था । यह बतलाने के लिये कोई आंकड़े नहीं हैं कि किस स्थान पर यह अनुपात सब से अधिक था।

मछली पकड़ने के किनारे

*३२२. **श्री वी० पी० नायर** : **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या :

(क) सरकार द्वारा भारतीय तटों पर मछली पकड़ने के किनारों के सम्बन्ध में पूर्णतः छान बीन करने का काम किया गया है ; तथा

(ख) क्या इस प्रकार के मछली पकड़ने के किनारों के सम्बन्ध में अभी तक किसी जलीय जीव-विशान सम्बन्धी आंकड़े एकत्र किये गये हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी नहीं, परन्तु बम्बई, मद्रास तथा बंगाल राज्यों द्वारा पहले सीमित प्रकार के

पर्दालोकन कार्य किये गये थे तथा अब भारत सरकार के गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के स्टेशन द्वारा बम्बई और सौराष्ट्र के बीच अधिक विधिबद्ध तरीके से यह छान बीन की जा रही है ।

(ख) जी हां, मद्रास, मण्डपम्, ट्यूटीकोरि कालीकट, कखर तथा कुछ सीमा तक बम्बई में छान बीन के फलस्वरूप आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं। ये आंकड़े मुख्य रूप से तटीय अवस्थाओं के बारे में हैं ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या ऐसे पर्यालोकन कार्यों में गहरे समुद्र की मछली तथा मछली फंसाने के चारे के बारे में कोई आंकड़े एकत्र किये गये हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : हां श्रीमान् ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या इस पर्यालोकन में भारतीय समुद्र सेना से भी कोई सहायता मिली है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हां, श्रीमान्, कुछ भागों में हमने समुद्र-सेना से सहायता ली है ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या त्रावणकोर-कोचीन के तट से परे वेज किनारे पर या तो जलीय अथवा जीव-विशान सम्बन्धी जानकारी के संग्रह में समुद्र सेना ने कोई सहायता दी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : कुछ सीमा तक उन्होंने अवश्य सहायता दी है । परन्तु ज़रूरी समान न होने के कारण हम समुद्र में बहुत दूर नहीं जा सके हैं । हो सकता है कि कुछ समय के बाद हम ऐसा कर सकें ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या मद्रास सरकार किसी किनारे को बनाने का विचार कर रही है तथा क्या इस सम्बन्ध में उन्होंने केन्द्रीय सरकार से सहायता की प्रार्थना की है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हां, श्रीमान्, मद्रास सरकार इस बारे में बहुत सक्रिय रही है।

श्री बी० एस० मूर्ति मद्रास सरकार को इस बारे में क्या सहायता दी गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जो सहायता भी दी जा सकती है, वह सदैव दी जाती है ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या मालाबार के पश्चिमी तट पर किसी मछली पकड़ने के किनारे को बनाया गया है?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं समझता हूं कि मैं इसे पहले ही अपने प्रश्न के उत्तर में बतला चुका हूं। बहुत सीमा तक परन्तु कुछ सीमा तक इसे बनाया जा चुका है ।

बिहार में खाद्यान्न का विनाश

*३२३. **सरदार ए० एस० सहगल :** (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता के 'हिंदुस्तान स्टैन्डर्ड" के २५ अगस्त, १९५२ को प्रकाशित सातवें डाक संस्करण के पृष्ठ ३ के कालम ५ में 'बिहार में १९८५ टन अनाज का विनाश'' शीर्षक से छपे एक लेख की ओर दिलाया गया है ?

(ख) इस विनाश के कारण क्या हैं ?

(ग) इस अनाज की हानि का उत्तरदायित्व किस पर है ?

(घ) हानि का ठीक ठीक अनुमान कितनी राशि का है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० बी० कृष्णप्पा) : जी हां ।

(ख) अनाज अपने आप खराब हो चुका था ।

(ग) किसी पर नहीं।

(घ) लगभग ३ लाख रुपये ।

सरदार ए० एस० सहगल : कुल कितना अन्न खराब हुआ ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इसे ठीक ठीक प्रकार से विनाश तो नहीं कहा जा सकता । यह अनाज खराब हो गया था । खराब हो गये अनाज के मूल्य का अनुमान ३ लाख रुपया है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : यह हानि किस पर पड़ी है ; उपभोक्ता पर या कर देने वाले पर ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : अन्तिम रूप से कर देने वाले पर ।

श्री एस० एन० दास : इस खराब हो गये अनाज को किस प्रकार से निपटाया गया ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : सार्वजनिक नीलाम से ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या उस अनाज के मानव के खाने योग्य के बारे में जांच की गई थी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मानव के खाने योग्य न रहने से ही उस अनाज को सार्वजनिक नीलाम के लिये घोषित किया गया था ।

बिहार में फोनोग्राम व्यवस्था

*३२४. **सरदार ए० एस० सहगल :** (क) **संचरण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या झरिया, धनवाद तथा कटरागढ़ के डाकखानों में फोनोग्राम की व्यवस्था को आरम्भ किया गया है ?

(ख) बिहार तथा मध्य प्रदेश के और कितने स्थानों में फोनोग्राम की व्यवस्था को आरम्भ किया जायेगा ?

(ग) प्रत्येक स्थान में इस व्यवस्था को चालू करने के लिये सरकार को कितना खर्चा उठाना पड़ा है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी हां ।

(ख) विहार के १७ स्थानों में तथा मध्य प्रदेश के ३ स्थानों में ।

(ग) सूचना का संग्रह किया जा रहा है तथा उचित समय पर इसे सदन पटल पर रख दिया जायेगा ।

अनाज के न्यूनतम दाम

*३२५. **श्री झूलन सिन्हा : खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कृषि संबन्धी उत्पादन के बढ़ाने को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार द्वारा अनाज के न्यूनतम दामों की गारंटी के बारे में सरकार की निति क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : सरकार को इस समय न्यूनतम दामों के बारे मैं गारंटी देने की कोई नीति नहीं है । १९४४-४५ से १९४७-४८ तक ऐसी नीति थी, परन्तु अनाज के दामों के बढ़ जाने से उस नीति का त्याग कर दिया गया था ।

श्री झूलन सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि क्या अधिक अन्न उपजाओं आन्दोलन में इस बात को विशेष महत्व प्राप्त हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : हां, श्रीमान् इस बारे मे एक सिपारिश भी रखी गई है ।

श्री झूलन सिन्हा : क्या सरकार इस बात को विचार में रख रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री झूलन सिन्हा : क्या इस वारे में कोई फैसला किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी, अभी तक तो नहीं ।

घी में मिलावट

*३२६. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जूलाई १९५२ मास के 'जंनल आफ साईन्टीफिक तथा इडसट्रयल रिर्सच में छपे एक लेख की ओर दिलाया गया है जिस में इस समय बंगलोर तथा मैसूर में चल रहे घी के विभिन्न नमूनों के परीक्षण के परिणाम दिए हैं, जहां यह देखा गया है कि घी केवल ९ प्रतिशत ही था ३३ प्रतिशत भाग में कोई घी सिरे से नहीं था, ३३ प्रतिशत में घी के केवल कुछ अंश थे तथा २५ प्रतिशत भाग में घी का अंश केवल ५० प्रतिशत था ;

(ख) क्या इस प्रकार का कोई परीक्षण किसी और स्थान पर भी किया गया है तथा यदि ऐसा है तो इस के क्या परिणाम हैं, तथा

(ग) यदि भारत सरकार भारत में घी की मिलावट को रोकने के लिये कोई कार्यवाही करना चाहती है तो वह क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) सरकार को निर्दिष्ट लेख के विषय के बारे में विदित हैं ।

(ख) रसूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर इस सदन पटल पर रख दिया जायगा ।

(ग) इस समय घी को कृषि उपज (श्रेणीकरण तथा चिन्ह लगाने) सम्बन्धी अधिनियम, १९३७ के उपबन्धों तथा उसके अन्तर्गत बनाए गये नियमों के अधीन प्रमाणित घी को बेचने वाले व्यापारी स्वेच्छा एगर्माक का चिन्ह लगाते हैं । यदि देश में तैयार किये जाने वाले सारे घी को 'एग मार्क' की श्रेणी में लाना हो तो इस प्रकार के श्रेणीकरण को करना और इस प्रकार की चिन्हित न किये हुए घी के विक्रय की मुनाही का करना आवश्यक होगा । इस दिशा में प्रथम पग के रूप में कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण तथा चिन्ह लगाना) अधिनियम, १९३७ के कतिपय संशोधन पहले से ही सरकार के विचाराधीन हैं जिस से कि कृषि उपज का श्रेणीकरण आवश्यक हो जाये और अपराधियों को कड़ा दण्ड देने की व्यवस्था की जाये । इसके आगे एक और कार्यवाही जो विचाराधीन है, यह है कि 'एगमार्क' के अन्तर्गत श्रेणीबद्ध किये हुए सारे घी के लिये (फाइटोस्टाइल ऐसीटेट (पी० ए०) का प्रयोग अनिवार्य कर दिया जाये ।

श्री झूलन सिन्हा : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस संबन्ध में देश में बनस्पति के निर्माण तथा विक्रय की देश में मुनाही कर दी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : उन्हों ने इस पर प्रतिबन्ध न लगाने का फैसला किया है ।

श्री दाभी : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि घी अपमिश्रण समिति ने सिपारिश की है कि सारी बनस्पति में रंग कर दिया जाना चाहिये ताकि घी में बनस्पति के मिलाये जाने की सम्भावना कम रह जाय ?

डा० पी० एस० देशमुख : हां, श्रीमान् यह सिपारिश आवश्य ही की गई है । इसपर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है ।

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि क्या बंगलौर में जिन 'एगर्माक' नमूनों का परीक्षण किया गया था, उन में मिलावट पाई गई थी ?

डा० पी० एस० देशमुख : मूझे प्रश्न की पूर्वसूचना चाहिये ।

स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली

*३२७. **प्रो० अग्रवाल** : स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली, विशेषता आयुर्वैदिक तथा प्राकृतिक चिकित्सा

प्रणालियों को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में क्या उपाय कर रही है

स्वाथ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : भारत सरकार ने स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों के सम्बन्ध मे जामनगर में एक केन्द्रीय विद्यालय के खोलने का फैसला किया है तथा इस विद्यालय को चलाने के लिये एक प्रशासी संस्था तथा वैज्ञानिक परामर्शदात्री कौंसिल की गई है । इस विद्यालय को वर्ष १९५१-५२ में १ लाख रुपये का अनुदान भी दिया गया है तथा उसी अभिप्राय: से चालू वर्ष में ४ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । राज्य सरकारें आयुर्वेदिक प्रणाली को आयुर्वेदिक संस्थाओं को चलाकर बढ़ावा दे रही हैं । वे असरकारी प्रबन्ध वाली संस्थाओं को आर्थिक सहायता भी दे रही है । इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का ध्यान २३-३-१९५० के श्री नरदेव स्नातक द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०७९ की ओर दिलाया जाता है । सरकार ने प्रकृतिक चिकित्सा के बारे में अभी जांच नहीं की है । वह योजना आयोग की सिपारिषों की प्रतीक्षा कर रही है ।

प्रो० अग्रवाल : में जान सकता हूं कि इस केन्द्रीय विद्यालय के कब तक कार्य के आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : विद्यालय ने कार्य को पहले से ही आरम्भ कर दिया है । तथा स्वाभावत: यह कहना उन व्यक्तियों का काम है कि सर्वप्रथम अनुसन्धान का किन शाखाओं पर विशेष ध्यान दिया जायेगा ।

श्रीमती ए० काले : मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार करोमियोपेथी की ओर जैसा कि मैंने सुझाव दिया था, ध्यान दे रही है ?

राजकुमारी अमृत कौर : नहीं श्रीमान ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय सदस्य को पता है कि मद्रास में विगत २५ वर्ष से भारतीय चिकित्सा तथा औषधि का एक विद्यालय काम कर रहा है तथा जिसे ३ वर्ष पहले महाविद्यालय बना दिया गया है ? इस विचार से क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि मद्रास को केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना के लिये क्यों नहीं चुना गया ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो तर्क का मामला है । यह कारण बतलाने के लिये कि केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना जाम नगर में क्यों की गई है, तथ्य क्या तुलनात्मक आंकड़ों को विस्तार से बतलाने की आवश्यकता होगी । मैं उसकी अनुमति नहीं देना चाहता ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : इस समय आयुर्वेदिक प्रणाली पर कितना प्रतिशत व्यय किया जा रहा है ।

राजकुमारी अमृत कौर : राज्य सरकारें स्वास्थ्य के मामले में स्वतंत्र हैं । मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं जिनसे माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दिया जा सके ।

केन्द्रीय भारत तथा हिमालय की तलहटी में कृषि योग्य बनाई गई भूमि

*३२८. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा किये गये जंगल साफ करने के कार्यों के फलस्वरूप केन्द्रीय भारत तथा हिमालय की तलहटी में कितनी भूमि कृषियोगय बनाई गई है ?

(ख) इन कार्यों पर कुल कितना धन खर्च किया गया है ?

(ग) कृषि योग्य बनाई गई भूमि को किस प्रकार के विभिन्न प्रयोगों में लाया जा रहा है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : इस समय तक जंगल साफ करने के कार्यों से केन्द्रीय ट्रेक्टर संस्था उत्तर प्रदेश में २०,००० एकड़ भूमि को कृषियोग्य बना चुकी है । इसके अतिरिक्त ९,७४१ एकड़ भूमि पर वृक्षों के गिराने का काम किया जा चुका है जिस काम का करना कि हल चलान से पहले आवश्यक होता है । भारत सरकार द्वारा जंगल साफ करने का काम और किसी जगह नहीं किया गया है ।

(ख) अन्तिम कार्य-काल के आने तक जंगल साफ करने के काम पर ६२,५९,००० रुपये व्यय किया जा चुका है ।

(ग) सुधार के बाद भूमि को कृषि के काम में लाया जा रहा है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जान सकता हूं कि कया सरकार ने जंगल साफ करने की कोई योजना बना रखी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : नहीं श्रीमान् ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि जंगल से साफ की गई भूमि पर प्रति एकड़ कितने रुपये खर्च आया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह लगभग २०० रुपय प्रति एकड़ है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमान्, क्या में जान सकता हूं कि जिस ज़मीन को जंगल साफ करने के बाद कृषियोग्य बनाया गया है, उसे अभी तक किस प्रकार से निपटाया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं नहीं जानता कि उसे किस प्रकार से निपटाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें इस कार्य के लिये कहा था तथा वे इसका भुगतान करेंगे।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश में भूमि के एक बहुत बड़े भाग को बिना कुछ खर्च किये कृषि योग्य बनाया गया था ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे विदित नहीं है।

श्री बर्मन : क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार भूमि को हाथियों से खींचे जाने वाले ट्रेक्टरों की सहायता से कृषियोग्य बनाने के प्रयत्न कर रही है तो क्या सरकार ने तुलनात्मक व्यय का पता करने की चेष्ठा की है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी नहीं, मैंने ऐसी चेष्ठा नहीं की है ।

श्री दामोदर मेनन : क्या सरकार ने साफ किये गये क्षेत्र में सहकारी कृषि योजना चलाने की कोई प्रस्थापना की है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं नहीं जानता ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या वनमहोत्सव को विचार में रखते हुए जंगल साफ करने के इस काम को बन्द कर दिया जायेगा ?

मोनिटरिंग स्टेशन

***३२९. श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस से पहले कितने मोनिटरिंग स्टेशन खो ले जा चुके हैं तथा वह कहां;

(ख) निकट भविष्य में और कितने स्टेशनों के खोलने की प्रस्थापना की गई है ;

(ग) क्या डाक तथा तार विनियमों के अन्तर्गत सब शर्तों को पूरा किया गया है; तथा

(घ) इन स्टेशनों के खोलने पर कितनी लागत आई है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) मैं कल्पना करता हूं कि माननीय सदस्य (१) अनाधिकृत वायरलेस प्रसारणों को रोकने तथा (२) रेडियो स्पैकटरम में खाली जगह का पता लगाने के लिये स्थापित किये गये मोनिटरिंग स्टेशनों की ओर निर्देश कर रहे हैं। भारत में ऐसे पांच स्टेशन हैं जो क्रमशः दिल्ली, कलकत्ता, जबलपुर, बम्बई तथा बंगलौर में हैं।

(ख) रेडियो सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अधिक रेडियो स्टेशनों के खोलने की प्रस्थापना विचाराधीन है परन्तु उनकी ठीक ठीक संख्या के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है।

(ग) मोनिटरिंग स्टेशनों के सम्बन्ध में कोई विशेष नियम नहीं बनाये गये हैं। तो भी कुछ स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाएं हैं जिसका भारतीय स्टेशन अनुसरण कर रहे हैं।

(घ) २,८१,०४८ रुपये।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि सरकार मोनिटरिंग स्टेशनों को जबलपुर से नागपुर में बदलने वाली है ?

श्री राज बहादुर : ये बातें सेवा की आवश्यकताओं पर निर्भर करती हैं परन्तु यह प्रस्थापना विचाराधीन हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि मोनिटरिंग स्टेशनों की स्थापना के महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में फैसला करने के लिये किन किन विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है ?

श्री राज बहादुर : वे लोग बेतार सहयोजन तथा योजना-निर्माण विभाग के विशेषज्ञ हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय तार संघ का सदस्य बने कितना समय हो गया ?

श्री राज बहादुर : हम स्थापक सदस्यों में से एक हैं।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या विशाखापटनम में भी ऐसा स्टेशन खोलने का विचार किया जा रहा है ?

श्री राज बहादुर : यह प्रश्न विचाराधीन है परन्तु इस समय विशाखापटनम के बारे में ऐसा कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

नौकरी दिलाने वाले दफ्तर

***३३०. श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में नौकरी दिलाने के दफ़्तरों में किसी सुधार के करने का विचार कर रही है ; तथा

(ख) जिन व्यक्तियों को नौकरी दिलाई गई है उनकी प्रतिशत संख्या कितनी है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) सरकार ने नौकरी दिलाने के दफ़्तरों की सारी संस्था के बारे में विचार करने के लिये एक समिति बनाई है।

(ख) २६.५ प्रति शत ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं इस समिति के निर्देश-पदों को जान सकता हूं ?

श्री वी० वी० गिरि : समिति के निर्देश के पद इस प्रकार से हैं :

(१) फिर से बसाने तथा नौकरी दिलाने की संस्था के सारे प्रश्न की फिर से जांच करना तथा इस बात को जांच करना कि क्या इस संस्था का एक भाग राज्य सरकारों के अधीन न कर दिया जाय; यदि कर दिया जाये

तो केन्द्रीय सरकार की देख रेख की सीमा क्या होगी;

(२) नौकरी दिलाने के दफ़्तरों द्वारा जिन में प्रशिक्षण योजनायें तथा केन्द्रीय विद्यालय, कोनी, बिलासपुर में शिक्षकों और सुप्रवाइज़रों के प्रशिक्षण की योजनायें भी सम्मिलित हैं प्राप्त किये गये परिमापों की जांच पड़ताल का करना ;

(३) इस बात पर विचार करना कि प्रशिक्षण योजनाओं पर किस आधार पर नियन्त्रण रखा जाये तथा क्या छात्रवृति देने की वर्तमान प्रणाली को बन्द कर दिया जाय या उसमें परिवर्तन कर दिया जाय ;

(४) इस बात की जांच का करना कि क्या नौकरी दिलाने के दफ़्तरों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तार किया जाय जो देश की बढ़ रही आवश्यकताओं को पूरा कर सके;

(५) इस बात पर विचार करना कि क्या ऐसा कोई विधन प्रस्तुत किया जाय जिससे विभिन्न उद्योगों को, कम से कम बड़े बड़े उद्योगों को नौकरी दिलाने वाले दफ़्तरों के द्वारा कर्मचारियों की भर्ती के लिये मजबूर किया जाय ; तथा

(६) इस बात पर विचार करना कि क्या सरकार मालिकों तथा। अथवा नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों से इस संख्या के खर्चे को पूरा करने के लिये शुल्क वसूल किया जाय या नहीं ।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जान सकता हूं कि समिति के सदस्य कौन कौन से हैं तथा कब तक रिपोर्ट के प्रस्तुत कर दिये जाने की आशा की जाती है ?

श्री वी० वी० गिरि : उनके नाम परसों प्रेस में छपे थे । फिर भी मैं उनके नाम पढ़कर सुनाता हूं :

(१) श्री बी० शिवा राव, संसद् सदस्य–सभापति

(२) श्री हरिराज स्वरूप, केन्द्रीय सेवायोजन मंत्रणा समिति पर औद्योगिक कर्मचारियों की संस्था के प्रतिनिधि ।

(३) श्री रत्न लाल मालवीय, प्रधान आई० एन० टी० यू० सी०, मध्य प्रदेश शाखा, केन्द्रीय सेवायोजन मंत्रणा समिति पर आई० एन० टी० यू० सी० के प्रतिनिधि ।

(४) श्री वी० के० आर० मैनन, आई० सी० ऐस० सेक्रेटरी, श्रम मन्त्रालय के प्रतिनिधि ।

(५) वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ।

(६) शिक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ।

(७) गृह-कार्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ।

(८) उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रतिनिधि जो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता हो ।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जान सकता हू कि भारत में नौकरी दिलाने के दफ़्तरों की संख्या कितनी है ?

श्री वी० वी० गिरि : मेरे पास इस समय कोई आंकड़े नहीं हैं, परन्तु यदि माननीय सदस्य की ऐसी इच्छा हो तो में निश्चय ही उन्हें सूचना दे सकता हूं ।

श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन : इस तथ्य को सामने रखते हुए कि कुछेक राज्यों के ऐसे व्यापारिक केन्द्र हैं क्या भारत सरकार अपने केन्द्रों को इन राज्य सरकारों के केन्द्रों से सहयोजित करने का विचार कर रही है ?

श्री वी० वी० गिरि : निश्चय ही ।

श्रीमती ए० काले : अभी तक कितने व्यक्तियों को इस से लाभ पहुंचा है तथा उस पर कितना व्यय हुआ है ?

श्री वी० वी० गिरि : लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या १७,९१,७९४ है ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या यह सत्य नहीं है कि भारत में हिन्द मज़दूर सभा तथा अ.ल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जैसी बहुत सी संस्थायें हैं ? यदि ऐसा है तो केवल इन्हीं संस्थाओं को ही इस समिति में क्यों प्रतिनिधित्व दिया जाय ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यह तर्क का मामला है ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या इस समिति में यू० आई० टी० यू० सी० के प्रतिनिधि को भी शामिल कि.ा जायगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक कार्यवाही के लिए सुझाव है ।

श्री वी० वी० गिरि : उस में आई० एन० टी० यू० सी० का एक प्रतिनिधि पहले से ही शामिल है ।

अतिरिक्त विभागीय डाकघर (सेविंग बैंक के लेखे)

*३३१. **श्री एल० एन० मिश्र :** **संचरण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकार ने ग्रामों में खोले गये अतिरिक्त विभागीय डाक-घरों में सेविंग बैंक लेखाओं की खोले जाने की अनुमति दी है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : स्थिति के अन्दर जितना भी सम्भव हो सकता है ग्रोमों में खोले गये डाकघरों में सेविंग बैंक की सुविधायें पहले से दी गई हैं ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या यह सत्य है कि बिहार के ग्रामों में ऐसे कई अविभागीय डाक-घर हैं जिन में सेविंग बैंक की लेखाएं नहीं रखी जाती हैं ?

श्री राज बहादुर : जी हां ऐसे डाक-घरों की काफ़ी बड़ी संख्या है ।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि बैंक कारबार सम्बन्धी सुविधाओं के अभाव से कई व्यापारिक बैंकों, सेविंग बैंकों, सार्वजनिक संस्थाओं तथा व्यक्तियों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

श्री राज बहादुर : मुख्य प्रश्न ग्राम्य डाकघरों में सेविंग बैंक की सुविधा के बारे में है । मैं नहीं कह सकता कि क्या यह प्रश्न पूछा जा सकता है।

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं यह भी बतला दूं कि शेष के अविभागीय डाकघरों में इस सुविधा के प्रबन्ध करने का प्रश्न विचाराधीन है तथा हम इस के विस्तार के प्रश्न की जांच कर रहे हैं।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इन सेविंग बैंक के लेखाओं के सम्बन्ध में ड्राफ़्ट जारी करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कार्यवाही के लिये सुझाव को उपस्थित कर रहे हैं। नियमों के अन्तर्गत मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : यह ड्राफ़्ट के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है कि यह ड्राफ़्ट के बारे में हो, परन्तु माननीय सदस्य का प्रश्न जानकारी प्राप्त करने के बारे में नहीं है; वह कार्यवाही के लिये केवल एक सुझाव उपस्थित कर रहे हैं।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार विचार कर रही है...

अध्यक्ष महोदय : क्रियात्मक रूप से यह एक ही बात है। चाहे आप किन्हीं भी शब्दों में इसे रखें, यह सुझाव ही रहता है। हमें नियमों का अधिक कठोरता से पालन करना चाहिये ताकि अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जा सकें।

बिना जल कृषि करने के तरीके

* ३३३. **श्री चिनारिया** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में बिना जल कृषि योजनाओं की मंजूरी दी है जिस से कि अनाज के बारे में हम आत्म-निर्भरता को प्राप्त कर सकें तथा जिससे खुश्क असिन्चित क्षेत्र अनावृष्टि के कारण दुर्भिक्ष से बच सकें; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो इसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों के सम्बन्ध में बिना जल कृषि योजनाओं की मंजूरी दी है। कुछ विवरण जिस में इन योजनाओं के सम्बन्ध में काम करने वालों के लक्ष्य, सफलताओं तथा अतिरिक्त उत्पादन का वर्णन है, संलग्न किये जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २३।]**

श्री चिनारिया : मैं जान सकता हूं कि इन्हें कृषक तक पहुंचाने के क्या प्रबन्ध किये गये थे अथवा कि उन्हें वैज्ञानिकों तक ही सीमित रखा गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम ने कुछ प्रयत्न अवश्य किये हैं परन्तु हम अपने प्रयत्नों को तीव्र करने वाले हैं।

श्री चिनारिया : क्या सरकार को विदित है कि कुछेक विदेशों में ऐसी ही अवस्थाओं में सफलता से फसलें उगाई जाती हैं जबकि भारत में ठीक उसी प्रकार की अवस्थाओं में हम असफल रहते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम ने अभी अपने हां बहुत कुछ सुधार करना है।

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि क्या बिना जल कृषि को प्रत्येक राज्य में चालू किया जा रहा है अथवा कि केवल राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे खेद कि मैं इस प्रश्न का तात्काल उत्तर नहीं दे सकता हूं।

आमगांव से गंडिया जाने वाली स्थानीय गाड़ी का फिर से चलाना

*३३४. **श्री जसानी** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्री कस्तूरचन्द जैन द्वारा आमगांव तथा आस पास के ग्रामों के

निवासियों की ओर से महाप्रबन्धक पूर्वी रेलवे को सम्बोधित ऐसा कोई प्रार्थनापत्र मिला है जिसमें उन्होंने अमगांव से गंडिया तथा उसके विपरीत दिशा में गाड़ी के फिर से चलाने की प्रार्थना की गई है; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो इस बारे में क्या पग उठाये गये हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां।

(ख) ज्यूं ज्यूं मुसाफ़िर गाड़ियों के डिब्बों तथा इंजनों की स्थिति सुधरती जायेगी, रेलवे प्रशासन मुसाफ़िर गाड़ियों की सेवायें चालू करता चला जायगा तथा आने जाने की आवश्यकताओं के अनुसार नई गाड़ियों को चलाया जायगा। आमगांव-गंडिया रेल सेवा को पूर्वी रेलवे की उन सेवाओं में प्राथमिकता दी गई है जिन्हें फिर से अथवा नई सेवाओं के रूप में चलाया जायगा।

श्री जसानी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इस गाड़ी को फिर से चलाने में कितना समय लग जायगा ?

श्री शाहनवाज़ खां : अगले अठारह मास में इसके फिर से चलाये जाने की कोई सम्भावना नहीं है।

पानीवाला महाराज

*३३५. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि डा० पी० एस० देशमुख, कृषि मंत्री ने हाल में एक वक्तव्य दिया था जिस में उन्होंने जल का दिव्य शक्ति से पता लगाने वाले महाराज की समर्थता का वर्णन किया है तथा उन्हें जल बोर्ड का सदस्य भी नियुक्त कर दिया है ;

(ख) उक्त पानी महाराज पर कितना धन खर्च किया गया है तथा बोर्ड में उनकी सेवा का काल कितना है; तथा

(ग) पानीवाले महाराज ने पानी की खोज में कितने स्थानों को देखा है तथा इन स्थानों की संख्या कितनी है जहां उनकी सहायता से पानी प्राप्त हुआ था ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां।

(ख) पानी वाले महाराज राजस्थान भूनिक्ष जल बोर्ड की सेवा में २ वर्ष ८ महीने रहे। इस समय में उन्हें ७४,३२२-९-० रु० का भुगतान किया गया जिसमें से ३७,१९२-८-० रु० मंत्रणा रूप से वसूल कियेगये।

(ग) बोर्ड को उपलब्ध सूचना के अनुसार पानीवाले महाराज ने १२८ स्थानों को देखा था जिसमें से २९ स्थानों को खोदा गया था तथा उन में से पानी २१ स्थानों में मिला था।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : उनके नियुक्ति का उत्तरदायित्व किस पर है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहिये।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : माननीय मंत्री ने बतलाया है कि धन के एक भाग को वसूल किया गया है। किस से ?

डा० पी० एस० देशमुख : सौराष्ट्र सरकार से। मैं सदन को सूचित कर दूं कि उस महानुभाव की मंत्रणा १५० रुपये प्रति दिन की दर पर मिल सकती थी तथा हमने उसका ३७,००० रुपये तक लाभ उठाया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कृषि संबंधी ऋण

*३२१. **श्री बीरेन दत्त :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा में वर्ष १९५२ में किसानों को कितना कृषि-सम्बन्धी ऋण दिया गया है ?

(ख) प्रार्थनापत्र देने के बाद ऋण देने म कितना समय लग जाता है ?

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने १०० रुपये से अधिक ऋण न देने का कोई निदेश जारी कर रखा है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) वित्तीय वर्ष १९५२-५३ में त्रिपुरा राज्य के किसानों को १,३०,००० रुपये ऋण रूप से दिये गये थे ।

(ख) ऋणों को यथासम्भव शीघ्र से शीघ्र दिया जाता है, सामान्यता: प्रार्थना-पत्र के एक मास के अन्दर अन्दर ।

(ग) भारत सरकार द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है ।

पोस्ट कार्ड तथा लिफ़ाफे (लागत)

*३३२. **सरदार हुक्म सिंह :** (क) **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि एक पोस्ट कार्ड की (अन्तर्देशीय) लागत क्या है तथा इसे किस रीति से निश्चित किया जाता है ?

(ख) एक मोहरवाले लिफ़ाफ़े की अन्तर्देशीय लागत क्या है तथा इसे किस रीति से निश्चित किया जाता है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख) । विभाग की पोस्ट कार्ड पर शुद्ध लागत १३·२ पाइयां आती हैं तथा लिफ़ाफ़े पर १४·४ पाइयां । इस में

(१) पोस्टकार्ड या लिफ़ाफ़े की लागत;

(२) काम करने के प्रत्यक्ष ख़र्चे; तथा

(३) देख रेख के अतिरिक्त या उपरोक्ष व्यय जिस में पैन्शन का व्यय तथा पूंजी आदि पर व्याज आदि शामिल है । केवल बनाने की लागत जिसमें कागज़ तथा बन्द करने का व्यय है, पोस्ट कार्ड के सम्बन्ध में केवल १·३३ पाइयां तथा लिफ़ाफ़े के सम्बन्ध में १·३८ पाइयां हैं । इस प्रकार से वास्तविक निर्माण की लागत इन वस्तुओं की कुल लागत की तुलना में बहुत कम है । जब कभी किसी पोस्ट कार्ड या लिफ़ाफ़े को विभाग द्वारा बनाये गये पोस्ट बक्सों में डाला जाता है, तो उसे पोस्ट-बक्ससे निकटतम डाकघर ले जाना होता है, छांटना पड़ता है तथा निकटतम रेलवे स्टेशन पर ले जाना पड़ता है अथवा रेलवे डाक सेवा में या हवाई अड्डे पर ले जाना होता है तथा प्राप्त करने वाले डाक-घर द्वारा प्राप्त करने के पूर्व एक बार फिर छांटना पड़ता है तथा बाद में उसे सौंप दिया जाता है । विभाग को इस पर जो कुल खर्च पड़ता है, उस में इन वस्तुओं की प्रत्यक्ष लागत तथा अतिरिक्त व्यय पूंजी आदि की लागत आदि शामिल है। इस बात के सम्बन्ध में कि कुल लागत को किस प्रकार से निश्चित किया जाता है, एक टिप्पणी सदन पटल पर रखी जाती है । **[देखिए परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या २४]**

अकाल ग्रस्त क्षेत्र

*३३६. **श्री झुनझुनवाला** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ के वर्षों में भारत के किसी भाग को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया था;

(ख) यदि प्रश्न के भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो वे कौन कौन से क्षेत्र थे ; तथा

(ग) केन्द्रीय सरकार ने कुल कितनी आर्थिक सहायता दी थी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) भारत में अकाल अथवा दुर्भिक्ष के लिए जाने वाले अर्थों में, इन वर्षों में भारत के किसी भी भाग में दुर्भिक्ष नहीं पड़ा ।

(ख) तथा (ग). ये प्रश्न नहीं उठते ।

मिट्टी के उपजाऊपन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र

*३३७. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि हाल हीं में भारत में विस्तारकृत टैक्नीकल सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत मिट्टी के उपजाऊपन के सम्बन्ध में एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया था;

(ख) यदि ऐसा है तो उस के खुले रहने की अवधि कितनी थी तथा केन्द्र-स्थान क्या था;

(ग) प्रशिक्षक कौन थे तथा प्रशिक्षित कौन; तथा

(घ) क्या भारत को इस सम्बन्ध में कोई व्यय करना पड़ा था ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) जी हां ।

(ख) पाठ्यक्रम १५ जुलाई से १५ अक्तूबर, १९५२ तक कृषि महाविद्यालय तथा अनुसंधान विद्यालय कोयम्बटूर में चलाया गया था ।

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिय परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २५**]

(घ) जी हां ।

केनाडा से गेहूं की खरीद

*३३८. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत तथा केनाडा सरकारों के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं जो केनाडा से गेहूं की खरीद के बारे में है ।

(ख) यदि ऐसा है तो उस करार के अन्तर्गत कितनी गेहूं खरीदी जायेगी; तथा

(ग) करार के अन्तर्गत गेहूं के जहाजों का आना कब आरम्भ हो जायगा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) पहले से अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार १९४९ में निश्चित किये गये मूल्यों के अनुसार ३००,००० टन ।

(ग) जनवरी , १९५३ ।

बैलामपाल्टे के कोयला खान कर्मचारियों को दिया गया बोनस

*३३९. **श्री विटल राव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैलामपाल्टे हैदराबाद की कोयला खान के मज़दूरों के दूसरी तिमाही के बोनस के भुगतान को रोक लेने के कारण क्या हैं; तथा

(ख) क्या भारत सरकार को हैदराबाद राज्य की कोयला-खान बोनस योजना को कार्यान्वित कर दिया गया है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) सूचना उपलब्ध नहीं है तथा इसे एकत्र किया जा रहा है ।

(ख) हैदराबाद कोयला-खान बोनस योजना जिसे कोयला-खान बोनस योजना १९४८ के आधार पर तैयार किया गया है, हैदराबाद राज्य पर भी प्रथम अक्तूबर, १९५२ से लागू की गई है ।

रेल कर्मचारी (स्थायीकरण)

*३४०. श्री विटल राव : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हों ने रेल कर्मचारियों को ५००० प्रति मास की दर से पक्का करने के बारे में जो आश्वासन दिया था, उसे रेलवे बोर्ड द्वारा पूरा किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं तो उस के कारण क्या हैं; तथा

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर हां में हो तो प्रथम अप्रैल से ३० सितम्बर १९५२ तक कितने कर्म चारियों को पक्का किया गया था ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) तथा (ख). ५००० व्यक्ति प्रति मास की दर से केवल औसत संख्या है, जिस के अनुसार रेल अधिकारी काम करने की चेष्टा कर रहे हैं । एक मास में तो यह आंकड़ा ६७४३ तक पहुंच चुका है तथा किसी दूसरे महीने में यह संख्या केवल २,२१४ ही थी ।

(ग) अप्रैल, १९५२ में पक्के किये गये अस्थायी कर्मचारियों की संख्या ४,१८३ थी तथा मई, १९५२ में यह संख्या २९०६ थी । बाद के महीनों के सम्बन्ध में पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

परिवार आयोजन केन्द्र

*३४१. श्री मादिया गौडा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाए गए परिवार आयोजन केन्द्रों से अभी तक कितने व्यक्तियों ने लाभ उठाया है ; तथा

(ख) सरकार का ऐसे अधिक केन्द्रों को कब तक खोलने का इरादा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) ये केन्द्र प्रथम तो परिवार आयोजन मदन-तरंग प्रणाली के विषय में शुरू शुरू का अध्ययन करने के लिये स्थापित किये गये हैं, परन्तु इस अध्ययन के परिणामों की दो वर्ष से पहले आशा नहीं की जा सकती । अतएव इस क्रम पर उन व्यक्तियों की संख्या का बतलाना सम्भव नहीं है जिन्हों ने वस्तुतः इन से लाभ उठाया है । परन्तु पुरुषों तथा स्त्रियों की उस संख्या से अनुमान करते हुए जो इन केन्द्रों में आते हैं परिणाम संतोषजनक है ।

(ख) दो और केन्द्रों की एक के पूनामाली (मद्रास) तथा दूसरे का कलकत्ता के निकट सिंगूर में, खोले जाने का विचार हो रहा है ।

चित्तरंजन का इंजन बनाने का कारखाना

*३४२. श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक चितरंजन पर बनाए गये तथा बनाये जाने वाले इंजनों की संख्या कितनी है ;

(ख) योजना-निर्माण तथा योजना के पूरा करने आदि विभिन्न विभागों में विदेशियों की संख्या कितनी है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) एक विवरण जिस में आरम्भ के परिवर्तित लक्ष्यों तथा अभी तक हुए वास्तविक उत्पादन का वर्णन किया गया है, सदन पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २६]

(ख) सब मिला कर ९ जिस में से हर एक अपने विषय का विशारद है ।

बर्मा से चावल का आयात

*३४३. **श्री बालकृष्णन :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकारी खाते में अभी तक चालू वर्ष में बर्मा से कितने टन चावल का आयात किया गया है ?

(ख) असरकारी खातों में आयात किये गये चावल की मात्रा कितनी है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) ३१ अक्तूबर, १९५२ तक लगभग ३,२५,७०० टन चावल का बर्मा से सरकारी खाते में आयात किया गया था ।

(ख) असरकारी अथवा निजी खाते में चावल की किसी मात्रा का आयात नहीं किया गया ।

पश्चिमी बंगाल को चावल का प्रदाय

*३४४. **श्री मेघनाद साहा :** (क) क्या **खाद्यतथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिमी बंगाल सरकार को जो दो लाख टन अनाज के देने का वचन दिया गया था अभी तक उसमें से कितना अनाज दिया गया है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय सरकार के कहने से उड़ीसा से पश्चिमी बंगाल को जिस सस्ते चावल के देने के प्रबन्ध किये गये थे, उसे अभी तक नहीं दिया गया है ?

(ग) इस के कारण क्या हैं ?

(घ) केन्द्रीय सरकार ने हाल में **पश्चिमी बंगाल के खाद्य मंत्री से हुए सम्मेलन में इस वचन दिये गये अतिरिक्त अनाज की पूरी मात्रा को केन्द्रीय साधनों से देने के क्या अन्तिम प्रबन्ध किये हैं ?**

(ङ) इस वर्ष जून-जुलाई में केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित समाहार तथा बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्य नियंत्रण की प्रणालियों में किये जाने वाले परिवर्तनों सम्बन्धी योजना को कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) तथा (घ). केन्द्र ने पश्चिमी बंगाल को वर्ष १९५२ में राशन की बद्धताओं को पूरा करने के लिये १ लाख टन के देने का वचन दिया था तथा १ लाख टन चावल को विशेष दुकानों द्वारा बिकरी के लिये देना स्वीकार किया था । अगस्त १९५२ के आरम्भ में इस विषय पर केन्द्र तथा पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार में फिर चर्चा हुई थी तथा पश्चिमी बंगाल ने इस तिथि तथा वर्ष के अन्त तक के काल के लिये ६०,००० टन चावलों के दिये जाने की इच्छा प्रकट की थी । इस मात्रा को उड़ीसा से दिया जाना था । अगस्त से पहले पश्चिमी बंगाल को ५१,८१० टन चावल का वंटन किया गया था । अगस्त से ले कर उड़ीसा में से १२,५६० टन चावल भेजा गया तथा, क्योंकि चावल भेजने में कुछ त्रुटि रह गई थी, केन्द्र ने पश्चिमी बंगाल को ६५,२३५ टन आयात किया गया और चावल दिया है ।

(ख) तथा (ग) । हां, श्रीमान् । आरम्भ में चावल भेजने में देर के कारण (१) आशा के अनुसार चावल का न मिलना, (२) पश्चिमी बंगाल द्वारा कम पालिश किये गये चावल के स्वीकार करने के लिये तैयार न होना तथा (३) प्रक्रिया सम्बन्धी ब्यौरो का तय किया जाना, थे ।

(ङ) मामला विचाराधीन है ।

फिर से बसाने तथा नौकरी दिलाने वाले विभाग के महा-संचालक द्वारा किया गया अखिल भारतीय पर्यालोकन

*३४५. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे

कि फिर से बसाने तथा नौकरी दिलाने वाले विभाग के महा-संचालक द्वारा किये गये अखिल-भारतीय पर्यालोकन, जिस का निर्देश श्रम मंत्रालय की १९५१-५२ सम्बन्धी रिपोर्ट में पैरा २६ में किया गया है, पूरा हो चुका है ?

(ख) यदि ऐसा है तो विभिन्न उद्योगों तथा क्षेत्रों द्वारा अपेक्षित कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

(ग) क्या यह मांग वर्तमान उत्पादन की तुलना में अधिक है तथा यदि ऐसा है तो सरकार इसे किस प्रकार से पूरा करने का विचार करती है ?

(घ) यदि पर्यालोकन रिपोर्ट अभी तक सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई है तो इस के कब तक प्रस्तुत कर दिये जाने की आशा की जाती है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) से (ग) तक । इस बात को निश्चित करने के लिये कि विभिन्न व्यापारों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण की विद्यमान सुविधायें यथा-सम्भव स्थानीय उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुकूल हों, वर्तमान पर्यालोकन के करने का विचार किया गया था ।

ऐसे विभिन्न टैकनीकल उद्योगों में जिनमें २५० अथवा इस से अधिक कर्मचारी काम करते थे , सेवायुक्त कर्मचारियों की संख्या देख रेख करने वाले कर्मचारियों की संख्या; इन कर्मचारियों की वार्षिक नियुक्तियों की संख्या तथा, यदि कोई हों, तो प्रशिक्षणाधीन व्यक्तियों के प्रशक्षित करने के विभिन्न कार्य-क्रमों के सम्बन्ध में एक निश्चित प्रकार के फार्म में जानकारी मांगी गई थी । इस जांच को इंजीनियरी, धातू तथा इमारतों के बनाने के उद्योगों तक सीमित रखा गया था । प्रादेशिक संचालकों को प्रादेशिक सेवायोजन मंत्रणा समिति की तदर्थ उप-समिति की सहायता से जांच करने के लिये कहा गया था ।

जांच फरवरी, १९५१ में आरम्भ की गई थी । अभी तक उत्तर प्रदेश, पंजाब, आसाम, दिल्ली तथा मद्रास प्र देशों से विवरण प्राप्त हुए हैं तथा इन्हें सारिणी का रूप दिया जा रहा है । पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा बम्बई प्रदेशों से अभी यह विवरण आने वाले हैं । इस देर का कारण यह है कि विभिन्न उद्योगों तथा प्रस्थापनाओं से स्वेच्छा के आधार पर विवरणों के प्राप्त करने में कठिनाई का सामना होता है । यह आशा की जाती है कि जांच को फरवरी १९५३ के अन्त तक समाप्त कर लिया जायगा ।

(घ) प्राप्त सूचना को फिर से बसाने तथा नौकरी दिलाने के कार्यालय में सारिणबद्ध किया जायगा तथा उसे विभिन्न क्षेत्रों की आव-श्यकताओं के अनुसार विभिन्न व्यापारों या उद्योगों में उपलब्ध नौकरियों की संख्याओं में संशोधन करने के काम में लाया जायेगा ।

पत्तन विकास निधि

***३४६. श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या यातायात मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या एक पत्तन विकास निधि की स्थापना के बारे में सरकार ने अन्तिम निर्णय कर लिया है ?

(ख) यदि सरकार ने कोई व्यय किया है तो वर्ष १९४९-५० १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में सरकार ने इस पर कुल कितनी राशि का व्यय किया है ?

(ग) इस निधि की स्थापना से वर्ष में कितना धन एकत्र किया जा सकेगा ?

(घ) यदि सरकार ने इस बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया है, तो उन्हें इस फैसले के करने में कितना समय लग जायेगा ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी नहीं ।

(ख) कुछ नहीं ।

(ग) आय कर की दर तथा रीति पर निर्भर करेगी तथा किसी अनुमान का इस क्रम पर लगाना बहुत पहले की बात है ।

(घ) यह प्रश्न इस समय विचाराधीन है । इसे राष्ट्रीय पत्तन बोर्ड के सामने उस की आगामी बैठक में रखा जायेगा ।

दिल्ली यातायात सेवा

*३४७. **श्री राधा रमन** : (क) क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दिल्ली राज्य में चल रही दिल्ली यातायात सेवा की बसों की कुल संख्या कितनी है तथा दूसरी स्थापना के बाद इस में प्रत्येक वर्ष कितनी वृद्धि हुई है ?

(ख) कम्पनी ने प्रत्येक वर्ष कितना लाभ कमाया है तथा क्या यह परिणाम ग्वालियर एन्ड नार्दन इंडिया ट्रान्सपोर्ट कम्पनी लिमिटेड की तुलना में संतोषजनक है जो इस से पहले दिल्ली में बसों को चला रही थी ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : दिल्ली राज्य में इस समय चल रही दिल्ली राज्य यातायात सेवा की बसों की कुल संख्या २०० है । सरकार द्वारा इस सेवा के अपने हाथ में ले लेने के समय के बाद प्रत्येक वर्ष इस संख्या में हुई वृद्धि के बारे में एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २७ ।]**

(ख) अपेक्षित जानकारी के सम्बन्ध में एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २८ ।]**

नैनीताल में मज़दूर सम्मेलन

*३४८. **श्री बासप्पा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में हुए नैनीताल में मज़दूर सम्मेलन द्वारा केन्द्रीय सरकार से किन किन महत्वपूर्ण संकल्पों के पूरा करने के बारे में कहा गया था, तथा

(ख) उन्हें कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) उन संकल्पों में औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई थी । परन्तु कोई संकल्प पारित नहीं किये गये थे । सम्मेलन में व्यक्त किये गये विचारों के प्रकाश में इस विषय की अग्रेतर छान बीन करने के लिये एक समिति की नियुक्ति की गई थी ।

(ख) उपरोक्त निर्दिष्ट समिति की बैठक नई दिल्ली में ४ से ६ दिसम्बर, १९५२ को बुलाई गई है ।

मैसूर के लिये ट्रंक टेलीफ़ोन कनेक्शन

*३४९. **श्री बासप्पा** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में उन स्टेशनों की संख्या कितनी है जिन्हें भारत संघ के अन्य भागों से ट्रंक टेलीफोन कनैक्शन से मिलाय गया है;

(ख) क्या मैसूर राज्य के तिपतुर तथा तुमकर कस्बों से ट्रंक टेलीफोन कनैक्शन की कोई प्रार्थनायें प्राप्त हुई हैं; तथा

(ग) यदि ऐसा है तो उन्हें ट्रंक टेलीफोन कनैक्शनों के देने की सम्भव तिथि क्या है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) पांच । मैसूर, बंगलौर, कोलर की सोने की खानें, देवनगेर तथा चितालड्रग ।

(ख) जी हां, तुमकर के सम्बन्ध में, परन्तु तिपतुर के सम्बन्ध में नहीं ।

(ग) तुमकर कस्बे को ट्रंक-फोन की सुविधायें चालू वर्ष में दी जायेंगी । तिपतुर में सुविधाओं को उपलब्ध करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

डाक तथा रेल कर्मचारियों के लिये खादी के वस्त्र

*३५०. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :** श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या समस्त डाक तथा रेल कर्मचारियों के लिये खादी के वस्त्रों के दिये जाने की कोई योजना विचाराधीन है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : डाक तथा तार विभाग के सभी कर्मचारियों को खादी की वर्दियों के दिये जाने के प्रश्न पर विचार हो चुका है तथा नीति के रूप में यह फैसला किया जा चुका है कि वर्दियों तथा दूसरे विभिन्न प्रयोजनों से खादी को यथासम्भव अधिक से अधिक प्रयोग में लाया जाय ।

जहां तक रेल कर्मचारियों का सम्बन्ध है, प्रश्न पर अभी विचार हो रहा है ।

मलेरिया विरोधी केन्द्र

*३५१. **श्री शिव मूर्ति स्वामी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संस्था की सहायता से भारत में कितने मलेरिया विरोधी केन्द्र काम कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : इस समय विश्व स्वास्थ्य संस्था, खाद्य तथा कृषि संस्था और राज्य सरकार के सांझे तत्वाधान में एक मलेरिया नियंत्रण प्रदर्शन टीम उत्तर प्रदेश में काम कर रही है ।

जनता रेल-गाड़ियां

*३५२. **श्री अच्युतन :** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भीड़ को कम करने के लिये चालू वित्तीय वर्ष के पहली दो तिमाहियों में कितने अतिरिक्त तीसरे दर्जे के डिब्बे बढ़ाये गये थे तथा वर्ष के शेष के आधे भाग में सरकार कितने डिब्बों के बढ़ाने का विचार कर रही है ?

(ख) इस समय किन लाइनों पर जनता एक्सप्रैस गाड़ियों को चलाया जा रहा है तथा किन और लाइनों पर इन गाड़ियों को बढ़ाये जाने का विचार किया जा रहा है; तथा

(ग) दिल्ली मद्रास लाइन पर दूसरी जनता एक्सप्रैस गाड़ियों के चलाये जाने का कब तक विचार है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) १-४-५२ से ले कर ३०-९-५२ तक १३४ अतिरिक्त तीसरे दर्जे के डिब्बे लगाये गये थे तथा चालू वित्तीय वर्ष के शेष के छै महीनों में ४५० और डिब्बों के बढ़ाये जाने का विचार किया गया है ।

(ख) एक विवरण जिस में उन विभागों का उल्लेख किया गया है जिन पर इस समय जनता एक्सप्रैस गाड़ियों को चलाया जा रहा है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २९]**

इस में देखा जायेगा कि उन्हें बहुत से महत्वपूर्ण विभागों पर चलाया जा रहा है । रेल डब्बों तथा विद्युत शक्ति के क्रमशः अधिक उपलब्ध होने पर , रेलवे प्रशासन इन सेवाओं में मांग के बढ़ते जाने के साथ साथ वृद्धि करता चला जायेगा ।

(ग) इस समय दिल्ली तथा मद्रास के बीच सप्ताह में एक बार चलाई जा रही जनता एक्सप्रैस गाड़ी के स्थान पर सप्ताह में दो बार चलाई जाने वाली गाड़ी का प्रश्न विचाराधीन है, परन्तु इस के शुरू करने की कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है ।

राजस्थान के लिए डाकघर

१०५. **श्री कर्णी सिंहजी :** (क) क्या संचरण मंत्री वर्ष १९५२ में राजस्थान में खोले गये डाक तथा तारघरों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे तथा उन स्थानों के नाम भी बतलायेंगे जहां उन्हें खोला गया है ?

(ख) राजस्थान के ग्राम्य तथा नागरिक क्षेत्रों में इस वर्ष क्रमश: कितने डाक तथा तार घरों के खोलने की प्रस्तावना की गई है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) (१) डाक घर --२१६ । डाकघरों के नाम संलग्न विवरण "ए" में दिये गये हैं ।

(२) विभागीय कार्याल . . . तारघर कोई नहीं

(३) संयुक्त डाक तथा तार घर . . .९

(ख) (१) डाक घर (ग्रामीण ७, नागरिक कोई नहीं)

[विवरण 'ए' तथा 'बी' के लिये देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३०]

राजस्थान में केवल ९ ग्राम ऐसे हैं जिन की २००० या इस से अधिक जनसंख्या है तथा जहां अभी डाकघरों की व्यवस्था नहीं की गई है। एक ग्राम के बारे में मार्ग को खतरे वाला बतलाया गया है तथा दूसरे के विषय में हानि इतनी अधिक है जिसकी अनुमति नहीं की जा सकती शेष के ७ ग्रामों में डाकघरों के खोलने की प्रस्थापना पर विचार हो रहा है ।

(२) तारघर (ग्राम्य कोई नहीं, नागरिक कोई नहीं)

(३) संयुक्त डाक तथा तारघर (ग्राम्य ६, नागरिक २)

टिप्पणी : चालू वर्ष में अभी तक ८ ग्राम्य डाक घर पहले से खोले जा चुके हैं। इन के साथ कोई तार घर नहीं मिलाये गये हैं । चालू वर्ष में पृथक रूप से कोई तारघर नहीं खोला गया है । तथा न ही कोई संयुक्त डाक तथा तार घर खोला गया है ।

इंजनों तथा बायलरों आदि का आयात

१०६. डा० राम सुभग सिंह : क्या रलवे मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक वर्ष १९५२-५३ में बाहर से आयात किये गये इंजनों, बायलरों, रेल डिब्बों तथा माल डिब्बों और क्रेनों की संख्या कितनी है; तथा

(ख) उसी काल में भारतीय कारखानों ने स्थानीय रूप से इन वस्तुओं में से जो जो वस्तुएं दी हैं, उन की संख्या कितनी है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) इंजनों, बायलरों, रेल डिब्बों, माल डिब्बों तथा क्रेनों की निम्नलिखित संख्या को चालू आर्थिक वर्ष में ३०-९-५२ तक विदेशों से आयात किया गया है :—

इंजन	८१
बायलर	७१
रेल डिब्बे	३२
माल डिब्बे	३,७२३
क्रेन	...

(ख) चालू आर्थिक वर्ष में भारतीय कारखानों द्वारा ३०-९-५२ तक दिये गये इंजनों, बायलरों तथा माल डिब्बों आदि की संख्या इस प्रकार से है :—

इंजन	२०
बायलर	११
रेल डिब्बे	६८
माल डिब्बे	३,००१
क्रेन	

खाद्यान्न (लाइसेंस देना तथा समाहार) आदेश, १९५२

१०७. डा० राम सुभग सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां खाद्यान्न (लाइसेंस देना तथा समाहार) आदेश, १९५२ लागू हो चुका है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : खाद्यान्न (लाइसेंस देना तथा समाहार) आदेश,

१९५२ अभी तक मद्रास, उत्तर प्रदेश, बिहार, सौराष्ट्र मध्य भारत, हैदराबाद तथा त्रावनकोर और कोचीन में लागू किया गया है ।

टिड्डी दल

१०८. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस खरीफ तथा आगामी 'रबी' फसलों के दिनों में भारत के किन किन भागों में टिड्डी दलों के हमलों की आशंका है ?

(ख) टिड्डी दलों को रोकने तथा नष्ट करने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

(ग) जैसे कि इस समय आशंका की जा रही है टिड्डी विरोधी कार्यवाहियों पर कितना अनुमानित व्यय होगा ?

(घ) इस आपात में भारत सरकार के और किन किन विभागों में सहायता की आशा की जा रही है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) जिन राज्यों में 'खरीफ' की फसल के दिनों में टिड्डी के हमले हुए हैं उन के नाम ये हैं : राजस्थान, पंजाब, पैप्सू, अजमेर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा बम्बई । जिन में 'रब्बी' के दिनों टिड्डी के हमलों की आशंका है उन के नाम ये हैं : बम्बई, सौराष्ट्र तथा कच्छ ।

(ख) केन्द्रीय टिड्डी विरोधी संस्था के कर्मचारियों को, जिन के पास नवीनतम मशीनें, कीटनाशक वस्तुएं तथा टिड्डी के नियंत्रण के लिये मोटर गाड़ियां आदि हैं, रेगिस्तान में टिड्डी के प्रारम्भिक अभिजनन के ६० महत्वपूर्ण स्थानां में नियुक्त किया गया है । टी० सी० ए० करार के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र अमरीका की सरकार की सहायता से टिड्डी नियंत्रण सम्बन्धी वैमानिक प्रबन्ध भी विद्यमान है ।

उन समस्त राज्यों ने भी, जिन पर टिड्डी के हमलों की आशंका है, टिड्डी के नियंत्रण के लिये काश्त किये गये क्षेत्रों में टिड्डी विरोधी संस्थायें स्थापित कर रखी हैं । टिड्डी का सामना करने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य संस्थाओं के कार्य में बड़ा निकट का सहयोग है ।

(ग) चालू वर्ष अर्थात् १९५२-५३ में टिड्डी विरोधी कार्यवाहियों पर अनुमानित व्यय २५,१७,००० रु० होगा ।

(घ) रक्षा, संचरण, रेलवे, निर्माण, गृह निर्माण तथा प्रदाय मंत्रालय, विभिन्न राज्य तथा सीमा पुलिस इस आपात में सहायता कर रही हैं ।

पटसन तथा मैस्टा (उत्पादन)

१०९. श्री बी० के० दास: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री वर्ष १९५२ में पटसन तथा मैस्टा के उत्पादन के अनुमान को बतलाने की कृपा करेंगे ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): वर्ष १९५१-५२ में सारे भारत में पटसन के उत्पातन का अनुमान ४६·८ लाख गांठें था । वर्ष १९५२-५३ के अनुमानित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

मैस्टा के सम्बन्ध में नियमित आंकड़े तैयार नहीं किये जाते हैं । भारतीय केन्द्रीय समिति ने जो तदर्थ आंक तैयार किये थे उन के अनुसार यह वर्ष १९५०-५१ के लिये ५ लाख गांठें थीं ।

सहकारी तथा सामूहिक आधार पर खेती का करना

११०. श्री झूलन सिन्हा: : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में सहकारी तथा सामूहिक आधार पर खेती करने के काम में कितनी प्रगति की गई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): एक विवरण, जिस में उपलब्ध सूचना दी गई है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३१]**

भू-सुधार

१११. **श्री बुच्चिकोटैय्या** : (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलान की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था द्वारा किये जा रहे भूमि के सुधारने का कितना काम किया जा चुका है ?

(ख) कितनी भूमि का सुधार किया जा चुका है तथा और कितनी भूमि का तथा किस स्थान पर भूमि के सुधारने की प्रस्थापना की गई है ।

(ग) क्या इस प्रकार से सुधारी गई भूमि की मिट्टी के उपजाऊपन का परीक्षण किया गया है तथा यदि ऐसा है तो इसके क्या परिणाम हैं ?

(घ) सुधारी गई भूमि कृषि के लिये कब तक प्राप्त हो सकेगी ?

(ङ) इस भूमि में खेती किस प्रकार से की जायेगी तथा कौन कौन सी फसलें बोई जायेंगी ?

(च) सुधारी हुई भूमि से हमारी खाद्य समस्या के किस सीमा तक हल होने की सम्भावता है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था द्वारा अभी तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य भारत, भोपाल तथा पंजाब में ७,२०,८७० एकड़ भूमि का सुधार किया है तथा वर्ष १९५५-५६ के अन्त तक पंजाब के सिवाय इन सब राज्यों में लगभग ९,८०,००० एकड़ भूमि के सुधार की प्रस्थापना की गई है ।

(ग) सुधारी गई भूमि की मिट्टी के उपजाऊपन के परीक्षण अभी काफ़ी बड़े स्तर पर नहीं किए गए हैं, तो भी सम्बन्धित राज्य सरकारों के अधिकारियों ने इन में से भूमियों पर फसल काटने के सम्बन्ध में प्रयोग किए हैं जो भारतीय कृषि-अनुसन्धान परिषद् की टेकनीकल सहायता से किए गए थे । पिछले वर्ष किये गये प्रयोगों से बंजर भूमि से १० मन प्रति एकड़ अतिरिक्त उत्पादन की प्राप्ति हुई है तथा पहले से काश्त की जा रही भूमि से १ मन प्रति एकड़ की दर से अतिरिक्त उत्पादन हुआ है । यह देखने के लिए कि क्या ये प्रयोग सभी विषयों में ठीक हैं, अथवा कि विशेषता बोई हुई भूमि में पिछले वर्ष के प्रयोगों से प्राप्त किये गये परिणाम सामान्य से भी कम हैं और प्रयोग किये जा रहे ह ।

(घ) सरकण्डों से भरी भूमि के सुधारने का कार्य किसी वर्ष के अक्तूबर मास से लेकर अगले वर्ष के मई मास तक चलता है । भूमि के सुधार के काम को मौनसून के आरम्भ होने से तीन सप्ताह पहले बन्द कर दिया जाता है तथा उसके शीघ्र बाद 'खरीफ़' की फसल बोई जा सकती है ; यद्यपि खरीफ की फ़सलों को सामान्यता नहीं बोया जाता है तथा भूमि को केवल आने वाली 'रबी' फसल में ही बोया जाता है । सामान्य रूप से विश्वास किया जाता है कि भूमि को सुधारने के तुरन्त बाद बोने से उसमें फिर स रकण्डों की भरमार हो जाती है ।

(ङ) सरकण्डों से भरी भूमि सामान्यत कृषकों की निजी स्वामित्व की होती है जो प्राय: भूमि में बैलों तथा स्वदेशीय औज़ारों से खेती करते हैं । कुछ विषयों में यान्त्रिक तरीके भी प्रयोग में लाए जाते हैं । उत्तर प्रदेश के त्राई के इलाके में, जहां केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था जंगलों के साफ करने का काम कर रही है, भूमि का एक भाग विस्थापित व्यक्तियों तथा भूतपूर्व सैनिकों को दिया गया है जो सहकारी बस्तियों में बसे हुए हैं । त्राई क्षेत्र के शेष के भाग में राजकीय फार्म बनाए गए हैं । राजकीय फार्मों में बहुत सीमा तक यान्त्रिक साधनों से खेती की जाती है ।

बोई गई मुख्य फसलें यह हैं । रबी—गेहूं, जौ, चना तथा तेल के बीज तथा खरीफ़—धान और जवार ।

(च) और सब बातों के वैसे रहते हुए, नई सुधारी गई भूमि में एक तिहाई टन की अतिरिक्त उपज की कल्पना की जा सकती है । सरकण्डों से भरी भूमि में जिस में फसल बोई गई हो इस उत्पादन के बारे में विचार ही क्या जा सकता है । केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था द्वारा सुधारी गई भूमि का लगभग ४० प्रतिशत भाग नई भूमि होता है ।

नारियल अनुसंधान केन्द्र, कृष्णपुरम

११२. श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृष्णपुर, त्रावणकोर कोचीन राज्य से नारयल अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना में भारत सरकार का कितना पूंजी व्यय हुआ है ;

(ख) वार्षिक आवर्ती व्यय कितना है ; तथा

(ग) नारियल के बागों से वार्षिक आय कितनी होती है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) भारत सरकार ने इस अनुसन्धान स्टेशन पर कोई व्यय नहीं किया है । भारतीय केन्द्रीय समिति ने, जो एक परिनियत संस्था है, इस पर ३,८६,००० रु० पुंजी व्यय के रूप में खर्च किये हैं जिस में से एक भाग की पूर्ति त्रावणकोर-कोचीन सरकार ने अपने पर ली है ।

(ख) तथा (ग) । एक विवरण जिसमें पिछले तीन वर्ष का वार्षिक आवर्ती व्यय तथा नारियल के बागों से वार्षिक आय का उल्लेख किया गया है, सदन पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

वर्ष	आवर्ती व्यय रु०	आय रु०
१९४९-५०	७३,७३४-८-६	१३,०६१-०-४
१९५०-५१	८७,५९८-१२-४	१८,३३७-८-७
१९५१-५२	९६,१४६-७-११	२,०१३-१२-७

त्रावनकोर-कोचीन की एकीकृत टेलीफोन सेवाओं का प्रधान कार्यालय

११३. श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रावणकोर-कोचीन की एकीकृत टेलीफोन सेवाओं का प्रधान कार्यालय मद्रास में बनाया गया है; तथा

(ख) क्या इसे पृथक विभाग के रूप में चलाया जा रहा है ।

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

पशु गणना

११४. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में वर्ष १९४९-५० में की गई पशु-गणना सम्बन्धी आंकड़ों को प्रकाशित कर दिया गया है ;

(ख) यदि ऐसा है तो किन किन पशुओं को गिना जा चुका है ।

(ग) पशुओं की कुल संख्या कितनी है तथा संसार के बड़े बड़े देशों की पशु-संख्या से किस अनुपात में है; तथा

(घ) भारत में प्रति व्यक्ति से पशु-संख्या का अनुपात क्या है तथा संसार की औसत से क्या अनुपात है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) पशु-गणना १९५१ में की गई थी तथा उस गिनती के अनुसार पशुओं तथा मुर्गी आदि की संख्या को मई १९५२ में "एग्रीकल्चरल सिचुएशन इन इण्डिया" (भारत की कृषि सम्बन्धी स्थिति) पत्रिका में प्रकाशित किया गया था।

(ख) पशु (गाय, बैल तथा बछड़े आदि), भैंसें, घोड़े तथा टट्टू, गधे, ऊंट, खच्चर, भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गियां तथा बतख।

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है।

(घ) भारत में प्रति व्यक्ति से ० ·४ पशु जबकि संसार की संख्या के एक व्यक्ति की तुलना में ०·३ पशु ।

विवरण

संसार में पशुओं की संख्या (१९४९-५०)

		पशुओं की संख्या
विश्व की कुलपशु संख्या		७३३,२००
भारत		१५२,२०४*
अमरीका	(क)	८०,०५२
रूस	(ख)	६३,२००
ब्राज़ील		५०,०८९
अर्जनटाइना	(ग)	४१,२६८
पाकिस्तान	(घ)	२४,२९६
चीन (२२ प्रान्त)		१८,२००
इथोपिया		१८,०००
फ्रांस		१५,४३२
मैक्सीको		१४,५००
जर्मनी		१४,२०२
दक्षिण अफ़्रीका संघ		१२,२४२
तुर्की		१०,२०४
ब्रिटेन		१०,०३६
इटिली		८,३३१
केनाडा		८,२४३
न्यज़ीलैण्ड		४,९८६
स्पेन	(ङ)	३,३००
डेनमार्क		३,०५३

*वर्ष १९५१ के लिये ३१-१०-५२ तक प्राप्त हुए गणना-विवरणों के आधार पर।

(क) वर्ष १९५१ के सबन्ध में

(ख) वर्ष १९३८ के सम्बन्ध में

(ग) वर्ष १९४६-४७ के सम्बन्ध में

(घ) वर्ष १९४७-४८ के सम्बन्ध में

लाल जवार

११५. श्री दाभी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिन से वर्ष १९५०-५१, १९५१-५२ तथा १९५२ में (अप्रैल से अगस्त तक) लाल जवार का आयात किया गया था तथा उसी काल में प्रत्येक देश से कितनी मात्रा का आयात किया गया था ;

(ख) उपरोक्त भाग (क) में वर्णन किये गये प्रत्येक काल में आयात की गई जवार की लागत (भाड़े समेत) क्या थी ;

(ग) भाग (क) में वर्णन किये गये प्रत्येक काल में राशन वाले प्रत्येक क्षेत्र में लाल जवार की खपत कितनी थी ;

(घ) प्रथम जुलाई १९५२ के दिन प्रत्येक राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के पास जवार का जमा माल कितना था; तथा

(ङ) क्या एकत्र की गई जवार कुछ खराब हो गई है तथा यदि ऐसा है तो किन राज्यों में तथा किस सीमा तक ?

(क) कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख):

(आंकड़े '००० टनों में)

देने वाले देश का नाम	आयात की गई मात्रा		
	१९५०-५१	१९५१-५२	१९५२ (अप्रैल से अगस्त)
अमरीका	५१८·४	४९९·४	४३६·१
चीन	—	४३१·०	१९·५
	५१८·४	९३०·४	४५५·६

(ख) वर्ष १९५१-५२ तथा अप्रैल से अगस्त १९५२ की लेखायें मिलाई नहीं गई हैं। सर्वोत्तम उपलब्ध सामग्री के अनुसार लाल जवार की लागत इस प्रकार से है :

वर्ष	लाख रुपयों में लागत
१९५१-५२	३२१६·२
१९५०-५१	१३१३·३
१९५२ (अप्रैल से अगस्त)	२०८३·५

(ग) एक विवरण जिसमें विभिन्न राज्यों में जवार की खपत का उल्लेख है सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३२]**

(घ) प्रथम जुलाई १९५२ के दिन विभिन्न राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार के पास जमा माल (जवार) की मात्रा सम्बन्धी एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३३]**

(ङ) राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के गोदामों में जमा लाल जवार को कहीं कहीं कीड़ा लग गया है परन्तु कीड़ा लगी मात्रा तथा सीमा का ठीक ठीक बतलाना सम्भव नहीं है। फिर भी इतना कहा जा सकता है कि लाल जवार की कोई विशेष मात्रा नष्ट नहीं हुई है।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम

११६. **श्री वैलायुधन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम १९५२ में कर्मचारियों के लिये निवास-स्थान की कोई व्यवस्था की गई है; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो कर्मचारियों की किन श्रेणियों को लाभ पहुंचा है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

औद्योगिक अधिकरण

११७. **श्री एन० पी० सिन्हा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने भारत में कितने औद्योगिक न्यायाधिकरण की स्थापना कर रखी है ;

(ख) वर्ष १९५१-५२ में उन्होंने कितने मामलों का निपटारा किया था; तथा

(ग) उसी काल में उन्होंने बिहार में कोयले तथा अब्रक के उद्योगों में कितने झगड़ों के सम्बन्ध में फैसले किये हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) केन्द्रीय सरकार ने धनबाद तथा कलकत्ता में दो न्यायाधिकरण स्थापित कर रखे हैं। इस के अतिरिक्त मामलों को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किये गये तदर्थ न्यायाधिकरणों को सौंपा जाता है या राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये न्यायाधिकरणों को। विवादों की किस्म के अथवा उनके खड़े होने के स्थानों के दूर होने के कारण ऐसा अनुभव किया जाता है कि ये न्यायाधिकरण इन मामलों को शीघ्रता से नहीं निपटा सकेंगे। वर्ष १९५१-५२ में इस प्रकार के छै मामलों को इन अधिकरणों को सौंपा गया है।

(ख) ३०।

(ग) ११।

फसलों के बीज

११८. **श्री चिनारिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कोई ऐसे फसलों के बीज हैं जो खुश्क तथा सिंचाई से रहित इलाकों के लिये उपयुक्त हों; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो चालू वर्ष में बीजों की कितनी मात्रा का वितरण किया गया है; विशेष फसलों तथा उन की किस्मों और भेदों के ब्यौरे भी दिये जायें।

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) जी हां।

(ख) उपलब्ध जानकारी सम्बन्धी एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। *[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३४]*

मिलों में हड़तालें तथा तालाबन्द की घटनाएं

११९. **श्री बालमीकि** : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, १९५२ तक हड़तालों तथा 'तालाबन्द' की घटनाओं की संख्या कितनी थी तथा उन्हें रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई थी ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : वर्ष १९५२ में पहले वर्ष से चली आ रही २६ हड़तालों के अतिरिक्त ६५१ नई हड़तालें हुई थीं। शेष के महीनों के सम्बन्ध में आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। केन्द्रीय सरकार ने उन उद्योगों के झगड़ों के निपटाने के सम्बन्ध में समझौता व्यवस्थापन की स्थापना की है जिन के लिए केन्द्रीय सरकार 'उचित सरकार' है। यह स्थापना औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के अन्तर्गत की गई है। इसी प्रकार से राज्य सरकारों ने भी उन उद्योगों के निपटाने के सम्बन्ध में व्यवस्था की है जिन के लिए वे 'उचित सरकारें' हैं। जहां समझौता नहीं हो सकता, वहां मामले को उचित सरकार को इस बात का फैसला करने के लिए सौंप दिया जाता है कि क्या विवाद को न्यायिक फैसले के लिए न्यायाधिकरण को सौंप दिया जाय।

श्रम प्रशिक्षण केन्द्र (उपकरण)

१२०. **श्री एन० पी० सिन्हा** : (क) क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यदि वर्ष १९५१-५२ में ब्रिटेन ने भारत को कोलम्बो योजना के अन्तर्गत सहायता के रूप में श्रम प्रशिक्षण केन्द्रों के सम्बन्ध में कोई सामान दिया है तो वह क्या है ?

(ख) पहले दिये जा चुके सामान का मूल्य कितना है ?

(ग) भारत के किस किस भाग में तथा कितने ऐसे केन्द्र खोले जा चुके हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) वर्ष १९५१-५२ में नौ लकड़ी के काम की मशीनें तथा लकड़ी के काम में प्र ौर जोड़ों के मिलाने के काम में प्रयुक्त होने वाले हाथ के औज़ारों की एक काफी बड़ी मात्रा प्राप्त हुई है।

(ख) प्राप्त हुए सामान के धन में मूल्यांकन का करना सम्भव नहीं हो सका है।

(ग) यह सामान देश के विभिन्न भागों में काम कर रहे ३६ प्रशिक्षण केन्द्रों को दिया गया है जो श्रम मंत्रालय के अधीन हैं।

मीन-ग्रहण विकास सम्बन्धी पंचवर्षीय योजना

१२१. **कुमारी एनी मस्करीन:** (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने समुद्री मछली पकड़ने के विकास की जो पंचवर्षीय योजना स्वीकार की है, उसे किसने प्रस्तुत किया था ?

(ख) क्या सम्बन्धित विशेषज्ञ ने उस योजना को अपनी निजी हैसियत में प्रस्तुत किया था या कि किसी संस्था द्वारा ?

(ग) क्या योजना को सीधा सरकार के पास भेजा गया था या किसी सरकारी विभाग के द्वारा जिसने उस के साथ अपनी सिपारिश भी भेजी थी ?

(घ) उस योजना का आधार क्या है तथा उस योजना को कौन कार्यान्वित करेगा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) से (घ) . माननीय सदस्या सम्भवत: त्रावणकोर-कोचीन राज्य की समुद्री मछली के पकड़ने की पंच-वर्षीय योजना की ओर निर्देश कर रही हैं।

राज्य सरकार से अभी तक कोई विस्तृत योजना प्राप्त नहीं हुई है। इन मीन-क्षेत्रों के विकास के लिए पंच-वर्षीय योजना में १५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। फिर भी त्रावणकोर-कोचीन में मीन-ग्रहण के विकास के लिए एक और योजना बनाई गई है जो भारत सरकार तथा टैक्नीकल सहयोग प्रशासन के बीच एक समझौते का विषय है। इस योजना पर १,४६,३०५ डालर तथा ४,५६,७०० रु० लागत आयगी। डालर व्यय को टैक्नीकल सहयोग प्रशासन पूरा करेगा तथा रुपये के व्यय का त्रावणकोर-कोचीन सरकार जो इस योजना को चलायगी। इस योजना का ध्येय विद्यमान मीन-ग्रहण के स.मान में सुधार करना है तथा तट से परे के समुद्री जल में मछली के पकड़ने तथा मछली पकड़ने के नए नए स्थानों की खोज करने का है। इसके अतिरिक्त उस नए सामान का परीक्षण करना है जिसे भारत में इस समय प्रयोग में नहीं लाया जाता है, परन्तु जिसके भारतीय अवस्थाओं में सफल होने की काफ़ी सम्भावना है। इस योजना का ध्येय यह भी है कि भारतीय कर्मचारियों को मछली पकड़ने के आधुनिक तरीकों की ट्रेनिंग दी जाय तथा मछली के रक्षित रखने तथा भेजने के तरीकों में सुधार किया जाय :

एक टिप्पणी जिसमें इस योजना का अधिक विस्तार से उल्लेख किया गया है, सदन पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३५**]

योजना को भारत सरकार के मीन-क्षेत्र विशेषज्ञ तथा त्रावणकोर-कोचीन राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने मिलकर बनाया है।

स्लीपर

१२२. **श्री जसानी** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९५२ को समाप्त होने वाले वर्ष में लकड़ी के कितने स्लीपर ख़रीदे गये थे ;

(ख) खरीदे गये कुल स्लीपरों पर कुल लागत कितनी आई थी ;

(ग) इनमें से कितने स्लीपरों को राज्य सरकारों के जंगलों में से ख़रीदा गया था तथा इस के लिए कुल कितने मूल्य का भुगतान किया गया था ; तथा

(घ) कितने स्लीपर निजी व्यापारियों के द्वारा ख़रीदे गये थे तथा उनके लिए कितने मूल्य का भुगतान किया गया था ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी का संग्रह किया जा रहा है तथा रेलवे की वर्ष १९५१-५२ सम्बन्धी रिपोर्ट में इसका वर्णन किया जायगा जिसकी प्रति-लिपियों को छपने के बाद यथाशीघ्र सदन के पुस्तकालय में रखा जायगा ।

(ग) तथा (घ). लगभग २६ प्रतिशत स्लीपर राज्य सरकारों के जंगलों से सीधे खरीद कर लिए गए थे तथा शेष के स्लीपर निजी व्यापारियों से ख़रीद कर लिए गए थे तथा इन खरीदों का मूल्य क्रमशः लगभग ३८·४७ लाख रुपये तथा १,१२.२८ लाख रुपये था ।

ब्रिटेन का इंजन-निर्माता-संघ

१२३. **श्री एम० आर० कृष्ण** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ब्रिटेन के इंजन-निर्माता-संघ (लोकोमोटिव मैनुफ़ैक्चरर्ज़ एसोसियेशन) से कितने मूल्य के रेलवे के समान की मांग की गई है ?

(ख) ब्रिटेन से मांगे गये सामान के प्राप्त होने में कितना समय लगेगा ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) इंजन-निर्माता संघ से जिस सामान की आवश्यकता है तथा जिसकी पंच-वर्षीय टैक्नीकल सहायता के सम्बन्ध में मांग की गई है, उसका मूल्य लगभग ५,८८,५५,९२० रु० है ।

(ख) सामान के प्राप्त होने में आदेश देने के समय से १८ से २८ मास के लगने की सम्भावना है ।

धान के कीड़े

१२४. **श्री एन० पी० सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटा नागपुर (बिहार) में विशेषतया तथा भारत के अन्य भागों में धान की खड़ी फसलों को धान के कीड़े से बहुत बड़े पैमाने पर हानि पहुंची है ?

(ख) यदि ऐसा है तो इस हानि का विस्तार कितना है ; तथा

(ग) सरकार ने इस खतरे का सामना करने के लिए क्या उपाय किए थे तथा भविष्य में इसे रोकने के लिए क्या कुछ करने का विचार किया गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) छोटा नागपुर तथा बिहार की अन्य डिवीज़नों से, मध्य प्रदेश की छत्तीसगढ़ डिवीज़न से तथा उड़ीसा और विन्ध्य प्रदेश के कुछ भागों से पहले की बोई हुई धान की खड़ी फसलों को धान के कीड़े (गन्धी) से बहुत हानि पहुंचने की सूचना मिली है । उत्तरोक्त राज्य से ऋतु के मध्यकाल में देर से बोई जाने वाली फसलों को भी हानि पहुंचने की सूचना मिली है ।

(ख) हानि के विस्तार का अभी पता नहीं चला ।

(ग) भारत सरकार के खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों की इस

कीड़े के काबू में करने तथा आवश्यक कीट-नाशक वस्तुओं तथा सामान के प्राप्त करने के काम करने में सहायता के लिए अपने कीट विशेषज्ञों को भेजा था । टी० सी० ए० करार के अन्तर्गत टिड्डी नियंत्रण का काम कर रहे एक विमान को बिहार में वायु से छिड़काव के लिए भेजा गया था । राज्य सरकारों ने अपने को कील कांटे से लेस करके तथा राजस्व अधिकारियों,प्लांट रक्षण संस्थाओं कृषि अनुसन्धान तथा विस्तार विभागों का सहयोग प्राप्त करके इस कीड़े पर नियंत्रण कर लिया है ।

किसी कीड़े के विरुद्ध नियंत्रण के उपाय इसके प्रकट होने पर तुरन्त ही कर लिये जाने चाहियें । इस कीड़े की खोज की जानी चाहिये नहीं तो यह बढ़ता चला जायगा तथा ज़बरदस्त ख़तरा बन जायगा । राज्य सरकारों को इस अभिप्राय से प्लांट रक्षण कर्मचारियों तथा सामान को बढ़ाने का परामर्श दिया जा रहा है ।

बढ़िया प्रकार की पटसन का उत्पादन

१२५. श्री टी० के० चौधरी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न राज्यों में किस किस प्रकार के पटसन को उगाया जा रहा है ;

(ख) (१) बोरियों के कपड़े तथा बोरियों ;

(२) टाट,

(३) कैन्वस तथा पटसन के अन्य प्रकार के कपड़ों के निर्माण की तुलना में भारत के पटसन उद्योग की कुल संख्या कितने प्रतिशत है ;

(ग) पटसन के कपड़े तथा बोरियों तथा

(२) टाट और कपड़े के सम्बन्ध में किन न क़समों को अधिक पसंद किया जाता ह ?

(घ) बढ़िया प्रकार के पटसन का कम लागत पर उत्पादन करने के लिए सरकार और क्या उपाय कर रही है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) मध्यम, निचले भाग तथा मिले जुले (क्रास) ऊपर के भागों का भी कुछ प्रतिशत बोया जाता है ।

(ख) (१) बोरियों का कपड़ा तथा बोरियां (कपड़ा तथा बोरियां) ... ६४·२%

(२) टाट (कपड़े तथा बोरे) ... .. ३२·७%

(३) कैन्वस ... ... ७·२%

(४) अन्य वस्तु (बटी हुई वस्तुएं, धागा, रस्से, रस्सियां तथा रेत के थैले आदि) २·९%

इन प्रतिशित आंकड़ों का आधार जुलाई, १९५१ से जून, १९५२ तक का उत्पादन है ।

(ग) पटसन की श्रेणियां

(१) बोरियों का कपड़ा तथा बोरियां	निचले भाग, तथा 'क्रास'
(२) टाट	मध्यम भाग तथा निचले भाग का थोड़ा सा भाग ।
(३) कैन्वस	टाट के सदृश परन्तु अच्छी कताई ।

(घ) सरकार पटसन के बीजों को बढ़िया बनाने के लिए अनुसन्धान को प्रोत्साहन दे रही है । इन दोनों बातों के इलावा टाट के मुलायम बनाने का तरीका अच्छे प्रकार के पटसन के टाट के लिए ज़रूरी है ।

कलकत्ता पत्तन आयुक्त (कर्मचारीवर्ग)

१२६. श्री एच० एन० मुकर्जी : (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे

कि कलकत्ता पत्तन आयुक्त के कार्यालय में मुख्य लेखापाल तथा उपमुख्य लेखापाल के वेतन तथा भत्ते क्या हैं, तथा बम्बई और मद्रास पत्तनन्यासों की वैसी ही आसामियों के सम्बन्ध में निश्चित किए गए वेतन आदि से इनकी क्या तुलना है ?

(ख) क्या कलकत्ता पत्तन आयुक्त द्वारा इन आसामियों के वेतन आदि में किए गए परिवर्तन को कार्यान्वित किया गया है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) अपेक्षित जानकारी से सम्बन्धित एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३६]**

(ख) जी हां ।

रेलवे की ज़मीनें

१२७. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष १९५२-५३ में रेलवे लाइनों के दोनों ओर की कितनी ज़मीन को कृषकों को पट्टे पर दिए जाने के अभिप्राय से राज्य सरकारों को दिया गया है ?

(ख) इस प्रकार के पट्टे में क्या क्या शर्तें रखी गई हैं ?

(ग) प्रत्येक राज्य सरकार को वस्तुतः कितने एकड़ ज़मीन दी गई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) रेलवे प्रशासन ने विभिन्न राज्य सरकारों को अभी तक २५,६१७ एकड़ ज़मीन दी है । चालू वर्ष १९५२-५३ में पृथक रूप से दी गई ज़मीन के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के प्रयोजनों से राज्य सरकारों को दी गई ज़मीनों पर ये शर्तें लगाई गई हैं :—

(१) रेलवे प्रशासन को इन ज़मीनों में किसी भी समय जाने का तथा, जहां आवश्यक हो, 'बौरो' गढ़ों के खोदने का अधिकार होगा । तो भी वे स्वीकार करते हैं कि खड़ी फसलों के समय सामान्यतः ये गढ़े नहीं खोदे जायेंगे । उन्होंने यह भी स्वीकार कर लिया है कि यदि किसी अत्यन्त आवश्यकता के समय इन गढ़ों को खोदना ही पड़ा तथा उसके परिणाम-स्वरूप खड़ी फसलों को हानि पहुंचानी ही पड़ी तो स्थानीय सरकार द्वारा निश्चित की गई हानिपूर्ति के धन का भुगतान किया जायगा ।

(२) रेलवे प्रशासन की, रेलवे सीमा के पास वाली निजी ज़मीनों पर उगाई गई फसलों को पहुंची हानि अथवा विनाश के बारे में क्षतिपूर्ति की जायगी ।

(३) पट्टे पर दी जाने वाली ज़मीनों के नक्शों के बनाने तथा सीमांकन के कार्य का व्यय झेलना होगा ।

(४) पट्टे पर देने के प्रबन्ध राज्य सरकारों द्वारा एक बार इकट्ठी राशि देकर किये जायेंगे । वे सरकारें इन ज़मीनों को किसानों को खेती के लिए व्यक्तिगत रूप से देगी ।

राज्य सरकारों द्वारा किसानों को इन ज़मीनों के देनें में लगाई गई शर्तों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) उपलब्ध जानकारी से सम्बन्धित एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३७]**

सत्यमेव जयते

शुक्रवार,
१४ नवंबर, १९५२

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13·3·92
Fumigated
On 31.10.85
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

४११

लोक सभा

शुक्रवार १४ नवम्बर, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिए भाग १)

११-४५ म० पू०

श्री सैय्यद अहमद (होशंगाबाद) : श्रीमान् मैं एक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं। एक सदस्य, श्री हरेन्द्र नाथ चटोपाध्याय ने सदन में एक कविता वितरित की जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रति अपशब्द लिखे गये हैं। क्या ऐसे निजी पत्र, जिनमें किसी माननीय सदस्य के प्रति अपशब्द लिखे गये हों, इस सदन में बांटना अनुज्ञेय है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। जब तक मुझे श्री चटोपाध्याय से भी उनका वर्णन सुनने का अवसर न मिले मैं इस विषय में कोई निर्णय या समादेश नहीं दे सकता। मुझे पहले सब तथ्यों की जांच करनी है।

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : श्रीमान्, यह एक साधारण समादेश का विषय है, इसी विशेष मामले का ही नहीं। क्या साधारणत: कोई सदस्य कोई ऐसे लेख आपकी

४१२

अनुज्ञा प्राप्त किये बिना वितरित कर सकता है ? इस सम्बन्ध में समादेश की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही ऐसा कहा है। जब मेरा ध्यान इस मामले की ओर दिलाया गया तो मैंने कहा कि एक सदस्य द्वारा ऐसा करना गलत बात है। पर साथ ही इस मामले में जांच की जानी है और तब ही इसका निर्णय हो सकता है।

श्री गाडगिल (पूना मध्य) : मेरी सविनय प्रार्थना है कि अध्यक्ष महोदय यह समादेश दें कि सचिवालय की अनुमति बिना सदस्य कोई लेख सदन में या संसद्-भवन में वितरित न करें।

अध्यक्ष महोदय : वह तो इस सदन का एक स्थायी नियम है। परन्तु इस विशेष मामले की जांच करना आवश्यक है। मैंने दोनों पक्षों से पूरा वृत्तान्त पूछना है। मुझे इसके लिए समय चाहिए। और यह प्रश्न इतना अत्यावश्यक नहीं।

श्री गिडवानी (थाना) : श्रीमान्, मैंने एक अल्पसूचना वाले प्रश्न की पूर्वसूचना दी थी, उसका क्या हुआ.....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कार्यालय से मालूम कर लें।

स्थगन के प्रस्ताव

अगरतला में और इसके आस-पास धारा १४४ का प्रख्यापन

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना आई है। पहला प्रस्ताव श्री एच० एन० मुकर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव है कि :

"सदन को स्थगित कर लिया जाये ताकि त्रिपुरा राज्य में अगरतला और इसके आस-पास वाले क्षेत्र में धारा १४४ के प्रख्यापन द्वारा साम्यवादी दल के अगरतला में होने वाले सम्मेलन में रुकावट डाले जाने से जो स्थिति उत्पन्न हुई है उस पर चर्चा की जाये।"

इस विषय में बहुत पहले से सदन की रीति यही रही है कि सामान्य प्रशासन प्रणाली द्वारा जारी किये गये आदेशों, विशेषकर धारा १४४ के अन्तर्गत जारी किये गये आदेशों के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव ग्रहण नहीं किये जाते।

श्री एच० एन० मखर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : मैं भाग (ग) राज्यों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। वहां जनसाधारण की राय प्रकट करने के लिए कोई साधन नहीं। यही एक स्थान है जहां उनकी प्रशासन के विरुद्ध शिकायतें प्रकट की जा सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले पर और किसी समय विचार किया जा सकता है। पर मैं समझता हूं यद्यपि हम उनके तर्क को ठीक भी समझें फिर भी उसमें यह बुरी बात है कि ऐसा करने से हमारे पास '१४४' के सम्बन्ध में भाग (ग) राज्यों से अन्तरहित सूचनाएं आनी आरम्भ हो जायेंगी। मैं इस आधार पर इस मामले को ग्रहण नहीं करना चाहता। यदि माननीय सदस्य चाहें, वह मेरे साथ इस विषय पर बात कर सकते हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मेरे पास संसद् सदस्य श्री बीरेन दत्त का तार आया है और वह यह चाहते हैं कि उनके निर्वाचन क्षेत्र की जनता के अधिकारों का इस प्रकार कार्यपालिका द्वारा दमन न किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : हम भी यही चाहते हैं कि जनता के अधिकार सुरक्षित रहें। परन्तु इस समय मामला यह है कि यह एक प्रशासन-आदेश है और इसके लिए उपाय है। दण्ड-प्रक्रिया-संहिता के संशोधन द्वारा, न्यायालय को आवेदन-पत्र भेजने का उपाय रखा गया है।

जम्मू तथा काश्मीर संविधान सभा द्वारा सदर रियासत का चुनाव

अध्यक्ष महोदय : दूसरा स्थगन प्रस्ताव श्री वी० जी० देशपांडे द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव है कि :

"सदन को स्थगित कर लिया जाये ताकि जम्मू तथा काश्मीर की संविधान सभा द्वारा, भारत के संविधान के उपबन्धों के प्रतिकूल सदर रियासत के चुने जाने से जो स्थिति उत्पन्न हुई है उस पर विचार किया जाये।"

मैं नहीं समझता कि इस विषय पर चर्चा कैसे की जा सकती है। यह तो संविधान के उपबन्धों के निर्वाचन का प्रश्न है और इस विषय का निर्णय उच्चतम न्यायालय ही कर सकता है।

दूसरी बात यह है कि चुनाव हुआ है। यदि इस चुनाव को हम संविधान के उपबन्धों के प्रतिकूल न मानें तो प्रश्न यह उठता है कि यह कार्यवाही एक राज्य में वहां की सभा ने की है और इस विषय पर यह सदन चर्चा नहीं कर सकता। इससे फिर संविधान के निर्वाचन का प्रश्न उठता है। मुझे याद है कि एक समझौते के आधार पर यह कदम उठाया गया है। प्रधान मंत्री ने काश्मीर पर अपने भाषण में इस समझौते का विस्तारपूर्वक वर्णन किया

था। उन्होंने कहा था कि यह बात स्वीकार कर ली गई है कि राज्य का प्रमुख कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी सिफ़ारिश (राज्य विधान मंडल करेगा और जो भारत के राष्ट्रपति को स्वीकार हो। राज्य विधान-मंडल ऐसा व्यक्ति चुनने के लिए क्या रीति अपनायेगा, इस बात से हमें कोई सम्बन्ध नहीं।

मैं नहीं समझता कि यह प्रस्ताव नियमानुकूल है और मैं इसकी स्वीकृति नहीं देना चाहता।

डा० एस० पी० मुकर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : श्रीमान्, मैंने भी इसी विषय के सम्बन्ध में एक अल्पसूचना वाला प्रश्न रखा था।

अध्यक्ष महोदय : वह प्रधान मंत्री के पास भेजा गया है, और यदि वह मान लें तो इसका उत्तर दिया जायेगा।

डा० एस० पी० मुकर्जी : मैंने यह अल्पसूचना वाला प्रश्न इसलिए पूछा है कि जम्मू तथा काश्मीर के प्रमुख के चुनाव के सम्बन्ध में जो संविधान का संशोधन होना था वह कैसे किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : यह तो एक अलग मामला है और इसका निर्णय करने के लिए सदन समर्थ नहीं।

गृहकार्य तथा राज्य मन्त्री (डा० काटजू) : मैं कुछ और तथ्य आपके सामने रख सकता हूं। प्रधान मंत्री ने २५ जुलाई को वक्तव्य दिया था और ७ अगस्त को इस पर सविस्तार चर्चा की गई। फिर एक संकल्प पारित किया गया कि "प्रधान मंत्री का वक्तव्य सुनकर सदन ने आज तक इस विषय में की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया।" सदन में इस विषय पर पूरे एक दिन के लिए चर्चा हुई है।

डा० एस० पी० मुकर्जी : उसका अभिप्राय: यह तो नहीं कि संविधान को संशोधित नहीं करना है।

श्री वी० जी० देशपांडे: क्या सद्र रियास्त का चुनाव संविधान में संशोधन करने से पूर्व ही प्रभावी हो सकता है?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इस विषय पर अग्रेतर चर्चा करने की जरूरत नहीं। मैं उसकी अनुमति नहीं देता।

पाकिस्तान से सामूहिक निष्क्रमण (नियंत्रण) संशोधन विधयक

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे पाकिस्तान से सामूहिक निष्क्रमण (नियन्त्रण) अधिनियम, १९४९ का निरसन करने के लिए एक विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि :

"पाकिस्तान से सामूहिक निष्क्रमण (नियन्त्रण) अधिनियम, १९४९, का निरसन करने के लिए एक विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जे० के० भोंसले : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

भारतीय प्रकाश-स्तम्भ (संशोधन) विधयक

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे भारतीय प्रकाश-स्तम्भ अधिनियम, १९२७, का अग्रेतर संशोधन करने के अभिप्राय से एक विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि :

"भारतीय प्रकाश-स्तम्भ अधिनियम, १९२७, का संशोधन करने के लिए एक विधेयक का पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री एल० बी० शास्त्री : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री ल० के० चौधरी (बरहामपुर) : श्रीमान्, जब आपने एक मंत्री को नाम से बुलाया तो एक और मंत्री ने उनका प्रस्ताव प्रस्तुत किया । इस विषय में कुछ न कुछ नियमानुकूलता होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं निस्सन्देह इस बात से सहमत हूं कि यदि किसी मंत्री के नाम कोई प्रस्ताव हो उनको सदन में उपस्थित होना चाहिए , नहीं तो अध्यक्ष को सूचना भेजी जानी चाहिए कि उनके स्थान पर कोई दूसरे मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

भारतीय तटकर (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री डी० पी० करमरकर के इस प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेंगे कि :

"भारतीय तटकर अधिनियम, १९३४, के सम्बन्ध में संशोधन विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री गुरुपादस्वामी अपना भाषण आरम्भ करें ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : श्रीमान् भारत की मुख्य समस्या दरिद्रता है ।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर]

आधुनिक भारत में विचित्र बात यह है कि यहां की भूमि विभूतिपूर्ण है परन्तु यहां की जनता बहुत ही निर्धन है । बेकारी इतनी है कि लगभग ५ करोड़ बिल्कुल बेकार हैं और बहुत से और लोगों को भी पर्याप्त काम नहीं मिलता है । प्रति व्यक्ति आय पश्चिमी देशों के प्रतिव्यक्ति आय के प्रति बहुत ही कम है । हमारी अर्थ-व्यवस्था का विकास नहीं हुआ है और भारत को पिछड़ेपन से बचाने के लिए केवल एक ही रीति है और वह है संरक्षण की योजनायुक्त नीति ।

श्रीमान्, थोड़े समय से हमारी सरकार योजना की कल्पना की ओर आकर्षित हुई है । यह एक शुभ लक्षण है । परन्तु इस कल्पना को, यथासम्भव विस्तार करके, आर्थिक कार्य-के प्रत्येक क्षेत्र, विशषकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में अपनाना चाहिए। हमें देश के इर्दगिरद एक "चीन की दीवाल" खड़ी करना चाहिए तथा विदेशी प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिये " भैंजिनो रेखा " बनानी चाहिए।

कल मेरे माननीय मित्र श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने एक ज़ोरदार भाषण दिया । उन्होंने यह जतलाने का प्रयत्न किया कि "साम्राज्यिक अधिमान" के द्विपक्षी लाभ हैं। "साम्राज्यिक अधिमान" के प्रश्न पर बहुत समय से सदस्य चर्चा कर रहे हैं । अब भी बहुत से सदस्यों न माननीय मंत्री का ध्यान इस प्रश्न की ओर दिलाया है, परन्तु उनका उत्तर सन्तोषजनक नहीं । वह कहते हैं कि १९३९ के भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार करार के आधार पर दिये गये साम्राज्यिक अधिमान से दोनों पक्षों को लाभ होता है । पर साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत को अस्थायी रूप से लाभ हो रहा है ।

मेरे विचार में साम्राज्यिक अधिमान हमारी संरक्षण नीति का खंडन करता है । श्रीमान्, हम दावा करते हैं कि हम किसी के प्रभाव में नहीं आते । हम कहते हैं कि हमारी राय में आर्थिक अथवा राजनैतिक क्षेत्रों में विदेशी प्रभाव का होना शान्ति लोकतन्त्र तथा स्वतन्त्रता को खतरे में डालता।

है। और हमारे माननीय मंत्री इस बात को गलत नहीं बता सकते कि साम्राज्यिक अधिमान भारत में ब्रिटिश प्रभाव का एक क्षेत्र बनाता है जिसके द्वारा हम ब्रिटिश स्वार्थ के संरक्षण के लिए उन्हें वाणिज्यिक रियायत करते हैं।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमचारी) : वह भी हमारे प्रति एसी ही रियायतें करते हैं।

श्री एस० एस० गरुपादस्वामी : परन्तु आप ही के कथनानुसार यह रियायतें अस्थायी हैं और ज्यादा लाभ इंग्लैण्ड को होता है।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : यदि मेरे माननीय मित्र बुरा न मानें, मैं यह जानना चाहता हूं कि इंगलिस्तान को यह अधिमान देने से हमारे संरक्षित उद्योगों पर कैसे दुर्प्रभाव पड़ता है। इसका केवल यह प्रभाव है कि जो वस्तुयें हम आयात करते हैं उनके सम्बन्ध में हम अन्य देशों के प्रति ब्रिटेन में बनी वस्तुओं को अधिमान देते हैं। परन्तु इससे हमारे संरक्षित उद्योगों पर क्या दुर्प्रभाव पड़ सकता है ? हम तो संरक्षण के उपाय करते समय इन सब बातों को विचार में रखते हैं।

श्री एस० एस० गरुपादस्वामी : मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे किसी विशेष उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़े या न पड़े वह दूसरी बात है। यह एक सैद्धान्तिक विषय है। सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से हम साम्राज्यिक अधिमान को अब ठीक नहीं मान सकते। इससे यह ज्ञात होता है कि ब्रिटेन भारत पर अपना आर्थिक दबाव रखना चाहता है। मेरे माननीय मित्र ने साम्राज्यिक अधिमान को उचित बतलाया, परन्तु मैं उनसे सहमत नहीं हूं। इससे निस्सन्देह हमारे देश के मान पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे हमारा अनादर होता है। प्राचीन यूनान में गुलामी को भी उचित बतलाया जाता था और ऐसे ही माननीय मंत्री साम्राज्यिक अधिमान को उचित बतला रहे हैं।

श्रीमान्, मैं आपके सामन बरनार्ड शा का उद्धरण पड़ता हूं। वह हमें बताते हैं कि एक अंग्रेज़ का दिमाग कैसे चलता है।

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी द्वारा उद्धरण पढ़े जाने पर उपाध्यक्ष महोदय ने कहा : (किसी राष्ट्र, उसकी सरकार अथवा जनता के चालचलन के बारे में इस सदन में कुछ बोलना अनुचित है। यह एक विश्व भाषणमंच है और यह हमें किसी भी अन्य राष्ट्र के प्रति कोई अभिघाती शब्द नहीं कहना चाहिये। ऐसा करना तो हमारे समक्ष प्रश्न से असंगत है। मैं नहीं चाहता कि इस सदन में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के निर्देश करे।]

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमान्, मैंन यह उद्धरण इस अभिप्राय से नहीं पढ़ा था कि मैं किसी राष्ट्र का अपमान करना चाहता था। मैं सन्तुष्ट हूं यदि सदन यह बात मानता है कि साम्राज्यिक अधिमान हमारे राष्ट्र के लिए हानिकारक है मैं चाहता हूं कि माननीय मत्री इस अशुभ प्रथा का अन्त करने के लिए तात्कालिक उपाय करें।

सरकार की संरक्षण नीति के दो पहल होन चाहियें : (१) संरक्षण की अवधि, और (२) संरक्षण की मात्रा। कहा जाता है कि तटकर आयोग के पास इतना समय न था कि वह उद्योगों के बारे में विस्तारपूर्वक जांच कर ले। सरकार ने इस आयोग के पूर्ववर्ती, अर्थात् तटकर मंडल द्वारा यह कार्य क्यों नहीं करवाया था। अब एक तदर्थ उपाय हमारे समक्ष रखा गया है। परन्तु किसी उद्योग के संरक्षण के सम्बन्ध में मैं लम्बी अवधि होना आवश्यक है।

इस मामले में भी योजना की जानी चाहिए। पांच या दस वर्ष की कालावधि के लिए उद्योगों के प्रति संरक्षण नीति अपनायी जानी चाहिये। मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूं कि सरकार इस विषय में पांच या दस वर्ष की योजना बना ले।

संरक्षण की मात्रा का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। कई उद्योगों के विषय में यह मात्रा बहुत ही अधिक है और कई के विषय में बहुत कम। इसलिए इस मामले में भी कोई योजनात्मक रीति अपनाई जानी चाहिए।

मैं रेशम के उद्योग की ओर निर्देश करना चाहता हूं। यह उद्योग आजकल संकट में पड़ा हुआ है। कोये का उत्पादन करने वालों को इसका उचित मूल्य नहीं मिलता। तटकर मंडल द्वारा कोये का मूल्य एक रुपया तीन आने सात पाई प्रति पौंड निश्चित कर दिया गया था, पर आज कोया बारह आने पौंड बिकता है। इस कारण यह लोग शहतूत के वृक्षों का उन्मूलन कर रहे हैं। इस स्थिति को रोकने के लिए कोये का कोई उचित मूल्य सुस्थिर करने का उपाय किया जान चाहिए।

दूसरा संकट यह है कि मांग गिरने के कारण बहुत से हाथ-करघों का काम बन्द कर दिया गया है। इसके फ़लस्वरूप बहुत सारे लोग बेकार हो गये हैं। मैं माननीय मंत्री से यह सुझाव करता हूं कि हाथ-करघा उद्योग के संरक्षणार्थ रेशमी सारियों के सम्बन्ध में कुछ न कुछ रक्षण किया जाना चाहिए।

विदेशों से अन्धाधुन्ध रेशम आयात किये जाने के परिणामस्वरूप स्वदेशी रेशम का भाव गिर गया है और कारखानों में पड़ा हुआ माल बिका नहीं जा सकता। इस स्थिति को रोकने के लिये सरकार को रेशम का आयात आगे के लिए बन्द कर देना चाहिए। साथ ही कृत्रिम रेशम की बनी वस्तुओं का आयात भी बन्द कर देना चाहिए। शुद्ध रेशम की वस्तुएं इस कारण खरीदी नहीं जा रही हैं कि उनके दाम ज्यादा हैं। अब हमारे यहां मिलों में और हाथ-करघों से भी मिश्रित प्रकार का रेशम बनाया जाता है। इससे उपभोक्ताओं को भी हानि होती है। सरकार को चाहिये कि मिश्रित प्रकार का रेशम शुद्ध रेशम के बदले बेचे जाने की अवस्था को रोकने के लिए भिन्न २ प्रकार के रेशमी कपड़े को मुद्रांकित करे।

श्रीमान् कोये का मूल्य निश्चित करने के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि १९४९ की जांच के बाद जो न्यूनतम कोये का मूल्य तथा तार बनाने के लिए पारिश्रमिक क्रम शः एक रुपया एक आना तथा आठ रुपये प्रति पौंड बतलाया गया है इसमें समन्वय की आवश्यकता है। कोये का दाम बढ़ाया जाना चाहिए और पारिश्रमिक में कमी की जानी चाहिये

केन्द्रीय रेशम मंडल के विषय में मेरी यह भावना है कि यह मंडल उचित रूप से अपना कार्य नहीं चला रहा है। पिछली बार मंडल की एक बैठक दिल्ली में हुई और गवेषणा के लिये कुछ अनुदान दिये गये जो बहुत कम हैं। मांग में कमी हो जाने के दृष्टिगोचर हमें अपनी अपेक्षाओं का पुनः परिमाप करना चाहिये। हो सकता है कि इस परिमाप से हमें इस बात का पता चले कि हमें अब आयात करने की आवश्यकता नहीं। जापान, चीन और इटली जैसे देशों में गवेषणा करके इस निश्चय पर पहुंचा गया है कि वर्ष में दस या ग्यारह कोये की फ़सलें उगाई जा सकती हैं। इस वैदेशिक गवेषणा से लाभ उठाकर हमें भी अपने फ़सलों की संख्या आठ से बढ़ानी चाहिये। मैसूर में पम्पों द्वारा शहतूत के वृक्षों की सिंचाई की जाती

है। सरकार को चाहिए कि इस प्रयत्न में वित्तीय सहायता देकर शहतूत के वृक्ष उगाने और कोये के उत्पादन में प्रोत्साहन दे।

श्री बी० दास (जाजपुर-क्योंझर) : श्रीमान् जब तटकर आयोग विधेयक पर इस सदन में चर्चा हुई थी, तो यह आशा की गई थी कि तत्कालीन वाणिज्य मंत्री या उनके वर्तमान उत्तराधिकारी सारे भाषणों में कह गई बातों को ध्यान में रखेंगे और उनकी जांच करेंगे। दुर्भाग्य की बात है कि श्री जी० एल० महता को दौतिक सेवा में लिया गया। १९५१ में जब हम इस विषय पर चर्चा करते थे तो हमारी नज़र एक निपुण व्यापारी पर थी और हम समझते थे कि भविष्य में हमारे तटकर आयोग के अध्यक्ष एक बहुश्रुत व्यक्ति होंगे। यदि वह इस पद पर कम से कम तीन साल रहते तो सरकार की, तथा विशेषकर औद्योगिक समुदाय की, आशायें पूरी होतीं। मेरा विचार है कि वाणिज्य मंत्री को वाणिज्यिक तथा औद्योगिक समुदाय की आशाओं को पूरा करने के लिए प्रयत्न करना चाहिये और यह भी समझ लेना चाहिये कि एक मिश्रित आयोग ही उच्चतम सेवा कर सकता है।

श्रीमान् १९२४ से इस सदन में तटकर सम्बन्धी उपायों के साथ मेरा सम्बन्ध रहा है और मैंने प्रत्येक संरक्षण उपाय का समर्थन किया है। परन्तु मुझे यह कहने में बड़ा दुःख होता है कि मुझे कभी यह आशा न थी कि वाणिज्य मंत्रालय आज भी बिना सोचे समझे उनकी परम्परा पर चलते हैं जो यह नहीं चाहते थे कि भारत आर्थिक प्रगति करे। पिछली सरकार एक राष्ट्रीय सरकार नहीं थी। वह उपभोक्ताओं के हित की ओर ध्यान ही नहीं देती थी। इस सरकार को इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। हमने इसी अभिप्राय से तटकर आयोग बनाया है। आयोग का कार्य यह है कि इन दो बातों के दृष्टिगोचर कि औद्योगिक विकास हो और उपभोक्ताओं को वस्तुएं न्यूनतम दाम पर मिलें, वह देश की अपेक्षाओं का अनुमान लगाये। मैं माननीय मंत्री से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह एक संसदीय आयोग स्थापित करें जो यह निश्चित करे कि तटकर आयोग के कर्तव्य क्या हैं और इस बात की भी जांच करे कि इस आयोग के पास उचित सामग्री है या नहीं। मैं तटकर आयोग से संतुष्ट नहीं हूं।

मैं आशा करता हूं कि मेरे माननीय मित्र श्री टी० टी० कृष्णमाचारी और श्री करमरकर एक विशेषज्ञ समिति स्थापित करेंगे और यदि आवश्यकता हो तो एक और ऐसा आयोग भी स्थापित करेंगे जो इस बात की जांच करे कि उपभोक्ताओं के हित के लिये संरक्षित उद्योगों के औद्योगिक लाभों को किस प्रकार उत्पादन शुल्क द्वारा एकत्रित किया जा सकता है। कांग्रेस सरकार सार्वजनिक हित के कार्य करना चाहती है और इस सरकार को पूंजीवादियों तथा उद्योगपतियों के इस शोर से घबराना नहीं चाहिये कि उन से अधिक मात्रा में उत्पादन शुल्क न लिया जाये। मेरे माननीय मित्र श्री त्यागी को भी चाहिये कि धन प्राप्त करने के ऐसे रास्ते निकाल ढूंढें।

कुछ मिनट पूर्व साम्राज्यिक अधिमान पर चर्चा हो रही थी। मैं भी जब कभी यह सुनता हूं कि किसी राष्ट्र-मंडलीय सम्मेलन में भाग लेने के लिये हमारे वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधि जा रहे हैं और वह वहां ब्रिटिश मंत्रियों से मिलेंगे तो मेरे दिल में आग सी लग जाती है। मैं चाहता हूं कि "ब्रिटिश" शब्द हमारी विधि-पुस्तक से मिटाया जाये। ब्रिटेन के प्रधान मंत्री श्री चर्चिल तथा उन के राष्ट्र-मंडल मंत्री हमारे पौंड पावने के प्रति अपने उत्तरदायित्व को अनंगीकार करने की बात भी करते रहे हैं। क्या हमारी सरकार ने इसके प्रति अपना विरोध प्रकट किया या इस सम्बन्ध

में ब्रिटिश सरकार को कोई तार भेजा ? अब हम स्वतन्त्रता के बाद भी क्यों यह साम्राज्यिक अधिमान की प्रथा जारी रखें । अंग्रेज़ों की निर्मित वस्तुओं को हम क्यों अधिमान दें ? क्या हमारा कोई राष्ट्रीय मान नहीं ? हमें एसा करने से क्या लाभ होता है ? यह हमारे लि अपमान है । म चाहता हूं कि हमारे मंत्री इन राष्ट्र-मंडलीय व्यापार अथवा वित्त सम्बन्धी सम्मेलनों में अपने प्रतिनिधि न भेजें ।

श्री करमरकर : मुझे कोई प्रतिनिधि भेजने का विचार नहीं ।

श्री बी० दास : मुझे आशा है कि मेरे माननीय मित्र श्री त्यागी या श्री देशमुख भी कोई प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे ।

श्री करमरकर : वह स्वयं जा रहे हैं ।

श्री बी० दास : मैं श्री त्यागी के लिये प्रार्थना करता हूं कि वह लन्दन में सुखी और प्रसन्न रहें, पर मैं नहीं चाहता कि वह इस राष्ट्र-मंडलीय सम्मेलन में भाग लें ।

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : इस सम्मेलन में बहुत से महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत होनी है । इसी लिये वित्त मंत्री वहां जा रहे हैं ।

श्री बी० दास : मैं यह चाहता हूं कि सरकार को यह ज़ंजीरें तोड़ फोड़ देनी चाहियें और इस वाणिज्यिक परतन्त्रता से देश को मुक्त करना चाहिये । हमें शायद पहले वर्ष कष्ट उठाना पड़े परन्तु, तत्पश्चात् हमारे व्यापार और हमारे उद्योग म उन्नति ही उन्नति होगी और हम अंग्रेज़ी वाणिज्यिक प्रभुत्व से मुक्ति पाकर प्रसन्न हो जायेंगे ।

श्री नानादास (ओंगोल--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : श्रीमान्, छोटे उद्योगों को वैदेशिक प्रतियोगिता से बचाने के लिये और उनके विकास के लिये संरक्षण किया जाता है । परन्तु, मैं यह नहीं मानता कि हमारे देश के औद्योगीकरण में केवल संरक्षण से ही प्रगति होगी । हमारी तटकर नीति में जो त्रुटियां हैं, मैं उन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं ।

सब से पहले मैं साम्राज्यिक अधिमान के विषय में बोलना चाहता हूं । मैं अपने माननीय मित्रों की इस राय का समर्थन करता हूं कि इस प्रथा से हमारे उद्योगों की उन्नति में रुकावटें पड़ती रही हैं और अब स्वतन्त्र होने के पश्चात् हमें इस प्रथा का अन्त करना चाहिये । अधिमान की प्रथा संरक्षण की नीति के विरुद्ध है । साथ ही एक स्वतन्त्र देश के लिये यह एक शर्म की बात है । इससे हमारे उद्योगों तथा राजस्व पर दुर्प्रभाव पड़ता रहा है । और इस प्रकार विदेशों के प्रति भेदभाव रखना एक लोकतन्त्रात्मक स्वतन्त्र देश के लिये उचित नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपना भाषण जारी रखेंगे ।

सदन की बैठक मध्यान्ह भोजन के लिए ढाई बजे तक स्थगित हो गई ।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् सदन की बैठक ढाई बजे पुनः समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर]

श्री नानादास : श्रीमान्, मैं संरक्षण का समर्थन तो करता हूं, पर मैं कुछ शर्तों पर इसका समर्थन करता हूं । मैं उन उद्योगों के संरक्षण का समथन करता हू जिन पर सरकार का कुछ अधिकार हो । संरक्षण इस अभिप्राय से किया जाना चाहिये कि औद्योगिक प्रगति हो और हमारी जनता के जीवन-स्तर में वृद्धि हो जाये । परन्तु मैं देखता हूं कि भारत की तटकर नीति ऐसी है कि उद्योगपति इसका अनुचित लाभ उठाकर पसा इकट्ठा करते हैं और उपभोक्ता के लिये कोई भी हितकर बात नहीं होती । उद्योगपतियों द्वारा संरक्षण

का बहुदा दुरुपयोग किया गया है और इस के आश्रय से केवल सुलभ लाभ उठाया गया है।

सरक्षण के सदुपयोग के लिय सरकार को उद्योगों पर अधिकार जमाना चाहिये। संरक्षण के साथ ऐसी शर्तें होनी चाहियें जिनके द्वारा श्रमिकों तथा उपभोक्ताओं का भला हो। यदि कोई उद्योग इन शर्तों को स्वीकार नहीं करता. उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। हमारे वस्त्र उद्योग ने संरक्षण के आधार पर बहुत लाभ प्राप्त किया परन्तु आधनिक यन्त्र उपयोग में नहीं लाये और न ही श्रमिकों के जीवन-स्तर को बढ़ाया। हमारी स्वदेशी वस्तुएं निचले गुण-प्रकार की हैं और इसी कारण हमारे उद्योगों का विकास नहीं होता। संरक्षण के साथ यह एक शर्त होनी चाहिये कि स्वदेशी माल का गुण-प्रकार अच्छा हो जाय।

संरक्षण का अभिप्राय यह है कि हमारे स्वदेशी उद्योगों का विकास हो जाये। मैं तो देखता हूं कि ऐसा नहीं हो रहा है। संरक्षण का यह परिणाम रहा है कि वैदेशिक उद्योगों को भारत में एक सुरक्षित बाज़ार मिला है। संरक्षण के उपरान्त ही विदेशों के सुस्थापित व्यवसायसंघ भारत में आय और उन्होंने यहां पूंजी लगा कर अपने कारखान इस अभिप्राय से खोले कि संरक्षण से जो स्वदेशी उद्योगों पर सुप्रभाव पड़े उसको रोका जाय। स्वीडन मैच फैक्ट्री के यहां खलने से यह प्रभाव पड़ा कि दियासलाई बनान के स्वदेशी कारखाने कहीं के न रहे। विदेशी उद्योगपतियों का यही अन्तिम उद्देश्य है कि भारत के स्वदेशी उद्योग उन्नति न कर पाय। यदि उन्हें यहां संरक्षण के फलस्वरूप प्राप्त सुविधायें सस्ते श्रमिक तथा सस्ता कच्चा माल न मिल तो निस्सन्देह अधिकांश विदशी उद्योगपति एक दिन भी भारत में नहीं ठहरग। इसी प्रकार स्वदेशी साइकिल उद्योग को भी संयुक्त विदशी तथा स्वदेशी व्यवसायसघ हानि पहुचायेंग। श्रीमान्, कलकत्ता का सेन एड रलेह नामक उद्योग तथा मद्रास की टी० आई० साइकिल कम्पनी भी किसी दिन यहां के साइकिल उद्योग को कहीं का न रखग। साइकिल उद्योग सब से बड़ तथा महत्वपूर्ण संरक्षित उद्योगों में से एक है। यदि एक साइकिल का मूल्य किसी उचित स्तर पर आये तो इसकी मांग भी बढ़ेगी। गरीब लोगों का तो यही एक वाहन है। साइकिल उद्योग का १९४७ म संरक्षण किया गया था, और उस समय दर यह थ : २४ प्रतिशत मूल्यानसार (अधिमानित), तथा ३६ प्रतिशत मूल्यानसार (मान्य), १९४९ में दर बढ़ा कर क्रमशः ६० प्रतिशत तथा ७० प्रतिशत कर दिय गये। तत्पश्चात् सुस्थापित तथा मान्य ब्रिटिश कम्पनियां, रैलेह तथा हरक्यूलस भारत में आये और यहां सेन तथा रलेह और टी० आई० साइकिल्स के नाम से अपना काम चलाने लगे। वह यहां इस कारण आय कि यहां की नेहरू सरकार द्वारा चलाई बसमझ उद्योग नीति से अनुचित लाभ उठायें। इस संरक्षण नीति से केवल विदेशी उद्योगपति ही लाभ उठा रहे हैं। साइकिल उद्योग के लिये संरक्षण का इतना ऊंचा दर न तो स्वदेशी उद्योगों के लिये हितकर है और नही उपभोक्ताओं के लिये।

दूसरे महायुद्ध से पूव हम जमनी, जापान तथा इंग्लैंड से साइकिल आयात करते थे और एक जापानी साइकिल का मूल्य २५ रुपये होता था। परन्तु आज मूल्य २४० और ३२५ रुपये के बीच है।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : श्रीमान्, माननीय सदस्य अपना भाषण पढ़ रहे हैं। इसमें औचित्य का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह कुछ बिन्दु लिख लाये हैं और उनको देखते हैं। यदि पढ़ के भी सुनाते हों तो कौन सी बात है। हम चाहिय कि युवक सदस्यों को सीखने का अवसर द। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि बहस का स्तर उच्च है।

श्री करमरकर: श्रीमान्, मैं अपने माननीय मित्र की जानकारी के लिये यह कहना चाहता हूं कि अच्छे स्वदेशी साइकिल का मूल्य १४० रुपये है, २५० रुपये नहीं।

श्री नानादास: तटकर मंडल ने अपने प्रतिवेदन में १९४९ में लिखा था कि पूर्वी पंजाब तथा पश्चिमी बंगाल के स्वदेशी उद्योगों में काफी मात्रा में साइकिल के भाग बनाये जा सकते हैं और उनका उचित संघटन किये जाने पर देश की सारी मांग पूरी की जा सकती है। परन्तु इस उद्योग को संरक्षण दिये जाने के फलस्वरूप विदेशी उद्योगपति हमारे स्वदेशी उद्योगों के लिये हानिकारक रहे ह। इस स्थिति को रोकने के लिये स्वदेशी निर्माताओं को कुछ राजकीय सहायता दी जानी चाहिये। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कुटीर उद्योग के आधार पर साइकिल उद्योग का संघटन कर के केवल थोड़े उद्योगपतियों के स्थान पर बहुत सारे कमकरों को इस उद्योग के संरक्षण से लाभ पहुंचाएं। दूसरी बात यह है कि साइकिल उद्योग को जो संरक्षण दर मिलता है वह बहुत ज्यादा है और उपभोक्ताओं के लिये यह अहितकर रहता है। यदि मूल्य कम हो जाये तो मांग भी बढ़ सकती है।

सरकार की ओर से यह तर्क दिया जा सकता है कि हिन्द साइकिल १५० रुपये तक बिकती है। परन्तु इसका लाभ ही क्या? यह तो तीन वर्ष काम दे सकता है, और इसके प्रति ब्रिटिश साइकिल, जो ३२० रुपये बिकता है, सात वर्ष काम देता है। यदि स्वदेशी उद्योग प्रगति नहीं कर पाता, उन्नति के लिये प्रयत्न नहीं करता तो लोकहित के लिये इसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिये।

सरकार की धारणा की चर्चा करते हुए माननीय श्री कृष्णमाचारी ने स्वयं मान लिया कि समय के विस्तार के लिये यह विधेयक केवल इस कारण पेश किया गया है कि तटकर आयोग को उद्योगों के सम्बन्ध में पूर्ण जांच करने के लिये समय मिल सके। इस से यह ज्ञात होता है कि संरक्षण की अवधि समाप्त होने का ज्ञान होते हुए भी सरकार आवश्यक कार्यवाही करने में असमर्थ रही है। सरकार की प्रशासनीय अयोग्यता के कारण उपभोक्ताओं के हित का क्यों बलिदान दिया जाये।

श्रीमान्, मेरे माननीय मित्र, श्री बंसल तथा श्री रामास्वामी ने उद्योगों को लम्बी अवधि के लिये संरक्षण करने का प्रतिपादन किया। परन्तु वह शायद यह बात भूल गये कि उद्योगों के संरक्षण से उनमें आलस्य बढ़ता है और वह कोई उन्नति नहीं करते। संरक्षण थोड़े समय के लिये होना चाहिये। परिणामों की जांच करके, उद्योगों के प्रयत्नों की परीक्षा करके यदि उचित समझा जाये तो संरक्षण की अवधि को बढ़ाया जाये। सरकार का पहला कर्तव्य जनता के हित को देखना है, आलसी उद्योगपतियों के हित को नहीं।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल): श्रीमान्, मैं एक जानकारी का प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री ने अभी कहा कि स्वदेशी साइकिल १४० रुपये में बिकता है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकारी उपयोग के लिये जो साइकिल लिये जाते हैं उनमें से कितने प्रतिशत स्वदेशी साइकिल क्रय किये जाते हैं, कितने प्रतिशत विदेशी, और किस दाम।

श्री करमरकर: मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री मुरारका (गंगानगर–झुंझनू): श्रीमान्, मुझे इस विधेयक का समर्थन करने में प्रसन्नता है, विशेषकर इस कारण कि इस द्वारा २९ उद्योगों का संरक्षण होगा। देश में औद्योगीकरण के हेतु हमें प्रारम्भिक अवस्था में उद्योगों को संरक्षण देना ही होगा। कई सदस्य कहते हैं कि संरक्षण उपभोक्ताओं के लिये अहितकर है। पर मैं नहीं समझ स

कि कैसे? उद्योगों के बिना बेकारी बढ़ जायेगी और उपभोक्ताओं का क्रय-सामर्थ्य कम हो जायेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी कमकरों तथा उपभोक्ताओं का भी इसी में हित है कि हमारे देश में उद्योग हों। सामरिक महत्व तथा राजनैतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाये तो आत्मनिर्भरता आवश्यक है। इस कारण औद्योगीकरण तो अवश्य होना चाहिये।

यह एक अच्छी बात है कि आयोग ने ६० विभिन्न पदों के विषय में ४१ उद्योगों को संरक्षण दिया है। परन्तु मैं यह भी अनुभव करता हूं कि सरकार की नीति बहुत ही अपर्याप्त है। रेशम के उद्योग को लीजिये। हमारी कच्चे रेशम की वार्षिक अपेक्षा लगभग ४० लाख पौंड है परन्तु स्वदेशी उत्पादन तीन लाख पौंड से भी कम है। इसका कारण संरक्षण की गलत नीति है। हम बहुत थोड़ी मात्रा में और बहुत थोड़े समय के लिये संरक्षण करते हैं। इसी कारण औद्योगीकरण शीघ्र नहीं होता। एक बार देश के औद्योगीकरण की आवश्यकता को मान लिया जाये तो सरकार को चाहिये कि एक साहसपूर्ण नीति अपनाये।

उपाध्यक्ष महोदय: रेशम के उद्योग को पहली बार कब और कितने वर्ष के लिये संरक्षण दिया गया था?

श्री मोरारका: १९३४ में, केवल पांच वर्ष के लिये।

उपाध्यक्ष महोदय: तो क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि संरक्षण पांच सौ वर्ष के लिये दिया जाना चाहिये?

श्री मुरारका: नहीं, श्रीमान्। मैं पांच सौ वर्ष के लिये नहीं, परन्तु एक उद्योग के सम्बन्ध में पर्याप्त लम्बी सी कालावधि के लिये संरक्षण चाहता हूं।

उद्योगों के लिये संरक्षण के अतिरिक्त अन्य कई कारण लाभकारी हो सकते हैं। युद्ध, वस्तुओं की अन्तर्राष्ट्रीय दुलभता, प्रत्येक देश की भिन्न-भिन्न अनुज्ञप्ति प्रणाली—यह सब कारण उद्योगों की विकास में लाभकारी होते हैं।

श्रीमान्, मेरे पहले बोलने वाले एक माननीय सदस्य ने कहा कि उद्योगपतियों ने जनता की आशाएं पूरी नहीं कीं। उन्होंने कहा कि वस्त्र उद्योग के यन्त्रों का आधुनिकीकरण नहीं हुआ और न ही श्रमिकों के वेतन बड़ाये गये। परन्तु वास्तव में कातने के यन्त्रों का आधुनिकीकरण किया गया है। बुनने के यन्त्रों के सुधार की केवल एक ही रीति है और वह है स्वयंगतिक काधरों का उपयोग परन्तु इस का परिणाम यह रहेगा कि श्रमिक बेकार हो जायेंगे।

मेरी तटकर आयोग के प्रति यह शिकायत है कि जिस भी उद्योग को यह संरक्षण अनुदान करता है, यह उस द्वारा निर्मित वस्तुओं के गुण-प्रकार पर अपना नियन्त्रण नहीं चलाता। विशेषकर, मूल वस्तुओं के गुण-प्रकार का तो हमारे नये उद्योगों पर चिरकाल तक प्रभाव रहेगा और अयोग्य मूल वस्तुएं तो हमारे उद्योगों को भी अयोग्य बनायेंगी।

भारतीय उद्योगों में विदेशियों के भाग लेने के सम्बध में बहुत कुछ कहा गया है। हमें यह पता है कि शिल्पिक वस्तुओं का निर्माण करने के लिये हम वैदेशिक सहयोग पर निर्भर हैं। इस कारण यदि हमें उनकी सहायता चाहिये तो हमें उनकी शर्तें माननी ही पड़ती हैं। यह शर्तें किसी हद तक अनुचित भी हों, हमें इनको देश की भलाई के लिये मानना ही पड़ता है। औद्योगीकरण के हित के लिये थोड़े से समय के लिये वैदेशिक सहयोग बुरा नहीं।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : श्रीमान्, इस उपाय के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने से पूर्व मैं माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री द्वारा कल कही गई कुछ बातों का उत्तर देना चाहता हूं । उन्होंने तटकर आयोग के भूतपूर्व सभापति की बहुत प्रशंसा की । मैं इस विषय में उन से पूरी तरह सहमत हूं । तत्पश्चात् उन्होंने दूसरे व्यक्ति की ओर निर्देश किया जिसको कि अब यह पद संभालने को कहा जा रहा है । तटकर आयोग अधिनियम १९५१, की धारा ४ के दृष्टिगोचर मैंने उनसे पूछा, "क्या यह उद्यागों के सम्बन्ध में कुछ जानते हैं ?" मंत्री जी को मेरा यह सीधा-सादा प्रश्न बरा लगा और वह बोले, "जितना मेरे माननीय मित्र जानते ह, उससे कुछ अधिक ।" मुझे आश्चर्य है कि सरकारी नियुक्तियां करने के लिये श्री मोरे कब से मापमान बनाये गये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वह आपका दुर्भाग्य का दिन है ।

श्री एस० एस० मोरे : माननीय मंत्री ने आग कहा, "श्री मोरे के लिय दुर्भाग्य की बात यह है कि हम अधिकारी हैं और यदि हम उनको योग्य समझ तो उन्हें भी एसा मानना होगा ।" म नम्रतापूर्वक इस कथन का कटु विरोध करता हूं । श्रीमान्, आप कहते रहे हैं कि हमें ससदीय लोकतन्त्र का निर्माण करना है और आप ने अपने पहले ही भाषण में हम से कहा कि हम अन्य संसदों में प्रचलित रुढ़ि का पालन करना चाहिये । परन्तु संसदीय लोकतन्त्र के प्रति श्री कृष्णमाचारी के विचार और ही हैं । वह तो तानाशाही के पथ पर चलते नज़र आ रहे हैं । मैं ने यह प्रश्न केवल व्यक्तिगत रुप से नहीं, जनता की ओर से पूछा था । यद्यपि श्री कृष्णमाचारी मेरे निजी प्रश्न का उत्तर देना अपनी जिम्मेवारी न समझें, उनको जनता के प्रश्न का उत्तर ज़रूर देना होगा ।

श्रीमान्, यदि इस प्रकार की नौकरशाही मनोवृत्ति चलती रहे तो कांग्रेसियों को अपन स्थान छोड़ने पड़ेंगे । सदन में उचित वातावरण तभी रहेगा जब सरकारी बैंचों के सदस्य अपनी अधिकार-मादकता को कम करें ।

श्रीमान्, इस विधेयक के कारण तथा उद्देश्य सम्बन्धी विवरण में बताया गया है कि तटकर आयोग की मन्त्रणा के अनुकूल कुछ उद्योगों के संरक्षण को जारी रखने के लिये भारतीय तटकर अधिनियम की अनुसूची का संशोधन किया जायेगा । क्या हम आयोग की इन सिफ़ारिशों को बिना सोचे ही ठीक समझ सकते हैं । मेरे विचार में तो आयोग के पास बहुत थोड़े कर्मचारी हैं, और उनके पास विभिन्न उद्योगों के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्रित कर के उनकी जांच के लिये न पर्याप्त समय ही है और न ही सामग्री । साथ ही साइकिल उद्योग की उदाहरण से यह भी ज्ञात होता है कि आयोग अपनी नीति में ज्यादा उद्योगों के सम्पृक्त स्वार्थ के हित को देखता है और उपभोक्ता के हित को नहीं ।

मैंने तटकर आयोग के साइकिल उद्योग सम्बन्धी १९४९ के प्रति वेदन को पढ़ा है और मैं केवल यही समझ सका कि आयोग की जांच बिल्कुल ऊपरी ही थी । १९४६ की जांच के पश्चात् यह कहा गया था कि साइकिलों की वार्षिक अपेक्षा ६ लाख के लगभग है । भूतपूर्व तटकर मंडल की इस जांच और साइकिल के व्यापारियों द्वारा दिये गये आंकड़ों के होते हुए भी तटकर अयोग ने यह कहा है कि कुल अपेक्षा ३ या ४ लाख है । इस अल्प-प्राक्कलन का अवश्य कुछ प्रयोजन है ।

उद्योग की ओर से यह बताया गया होगा कि हमें संरक्षण दीजिये तो हम स्वदेशी साइकिलों की मांग पूरी करेंगे । परन्तु १९५०, १९५१ तथा १९५२ के पहले चार महीनों

में निर्मित साइकिलों की संख्या देखिये । १९५० में १,०५,२५१ साइकिलें बनाई गई, १९५२ में १,२७,२१३ और १९५२ के पहले चार महीनों में ४४,७०८ साइकिलें तो इस ऊंचे दर वाले संरक्षण से भी हमारा उद्योग हमारी मांग पूरी नहीं कर सकता ।

स्वदेशी साइकिल का मूल्य लगभग १४५ रुपये है और विदेशी साइकिल का ८३ रुपये । परन्तु भारी शुल्क लग जाने से इसका मूल्य २३७ रुपये हो जाता है । स्वदेशी साइकिल ज़्यादा समय चल नहीं सकती और मरम्मत पर भी काफी व्यय होता है, विदेशी साइकिल इससे दो गुने से भी अधिक समय के लिये चलती है और मरम्मत आदि का व्यय भी नहीं है । एक साधारण मनुष्य के लिये साइकिल एक बहुत ही आवश्यक वस्तु है । और यदि इस प्रकार साइकिल का मूल्य शुल्क लगाने से इतना बढ़ा दिया जाये तो साधारण मनुष्य के लिये कठिनाई होती है । साइकिल तो वह क्रय कर लेता है । परन्तु इससे उसके जीवन-स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। श्री भट्ट को इसतटकर अयोग का सभापति बनाया जा रहा है । परन्तु धारा ४ के अन्तर्गत वह योग्य नहीं । जब तटकर आयोग विधेयक एक विशेष समिति को सौंपा गया था तो समिति ने विशेष कर इस बात पर ज़ोर दिया था कि कोई आई० सी० एस० पदाधिकारी या सरकारी नौकर इस आयोग का सदस्य नहीं बनाना चाहिये । श्री भट्ट इस समय तो सरकारी नौकर नहीं । पर निवृत्त हुए सरकारी नौकर हैं । मुझे श्री भट्ट के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है । परन्तु मैं उनकी नियुक्ति का इस कारण विरोध करता हूं कि वह उस आई० सी० एस० के अंग हैं जो अंग्रेजों ने इस लिये बनाया था कि सम्पृक्त स्वार्थ वालों का काम बन जाये । मैं मानता हूं कि संरक्षण शुल्क भी आवश्यक है । और मैं निर्माताओं को अपना शत्रु नहीं समझता । वह देश के हित का काम करते हैं, ये भी मैं मानता हूं । परन्तु इनकी कार्यकारिता के प्रति जागरुकता की आवश्यकता है । इस जागरूकता में बहुत ही दूरदर्शिता और जन साधारण के प्रति सहानुभूति की आवश्यकता है । एक आई० सी० एस० इस काम को नहीं कर सकता । इस अयोग का सभापति कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिस पर जनता को विशवास है ।

बाबू राम नारायण सिंह: सभापति महोदय, अभी इस टैरिफ बिल के द्वारा संरक्षण दिये जाने की नीति पर विचार हो रहा है । मैं उस संरक्षण दिये जाने की सरकार की नीति का विरोध करता हूं और इस विधेयक का भी विरोध करता हूं । सभापति महोदय , मेरे यह कहने का मतलब नहीं है कि किसी व्यवसाय को किसी भी परिस्थिति में भी संरक्षण न दिया जाये. ऐसा मेरे कहने का अभिप्राय नहीं है, लेकिन यह तो देखना ही होगा कि देश और समाज के लिये किस चीज़ की ज़रूरत है ।

अभी मंत्री महोदय ने अपनी स्पीच में हमें बतलाया है कि यह संरक्षण तो केवल एक वर्ष के लिये मांगा जा रहा है । सभापति महोदय, अपने मित्र श्रीयुत बी० दास की तरह मैं भी एक पुराना सदस्य हूं, और यह संरक्षण दिये जाने का प्रश्न प्रायः हर साल आता है और प्रति वर्ष सरकार की तरफ़ से जैसी वह प्राचीन काल की अंग्रेज़ी सरकार कहती थी उसी तरह से यह सरकार भी कह देती है कि बस एक वर्ष के लिये यह संरक्षण की मांग है, ज्यादा नहीं, लेकिन एक एक वर्ष करके हमेशा संरक्षण दिया जाता रहा है ।

सभापति महोदय , आप को भी याद होगा कि उदाहरण के लिये चीनी का व्यवसाय है, हमारे देश में हर वर्ष कितनी चीनी

[बाबू रामनारायण सिंह]

बनती थी और कितनी मिश्री बनती थी और देश का काम सुचारू रूप से चलता था, लेकिन बाद में पूंजीपतियों ने चीनी का व्यवसाय अपने हाथ में ले लिया और कल कारखाने जारी कर दिये, और उनको भी संरक्षण मिलने लगा और इस तरह एक एक वर्ष करके मैं समझता हूं कि करीब पन्द्रह वर्ष संरक्षण मिल गया, बल्कि पन्द्रह नहीं बीस वर्ष हो गये । यह घोर अन्याय है । होता यह है कि उधर कोई पूंजीपति एक व्यवसाय खोल देता है और वह सरकार के पास या सरकार का प्रतिनिधि जो टैरिफ बोर्ड है उसके पास पहुंच जाता है कि संरक्षण दो और सरकार द्वारा उसके व्यवसाय को संरक्षण दे दिया जाता है । सरकार को और हमारे मित्र श्री कृष्णमाचारी को मालूम होना चाहिये कि इस तरह का संरक्षण देने का क्या अर्थ होता है । इस का अर्थ सीधा साधा सभापति महोदय, मेरे विचार से यही होता है कि भारत सरकार क़ानून बना कर तलवार के ज़रिये जनता से अमीर, ग़रीब, फ़क़ीर और भिखमंगों से भी पैसा वसूल करके पूंजीपतियों की झोली भर दे और यही सरकार का अभिप्राय है ।

लेकिन मैं कहता हूं कि यह जो नीति है यह बहुत बुरी नीति है । अभी भाई मोरे साहब ने बहुत दुख के साथ कहा था किस तरह से इस सरकार की ब्यूरोक्रेटिक मैन्टेलिटी (नौकरशाही मनोवृत्ति) है जो छोटे छोटे मामूली प्रश्नो के उत्तर में बहुत बुरी बुरी बातें कह देती है । कल इन लोगों में चख चख भी हो गई थी । हमारे मित्र श्री बी० दास जी हैं, वह भी बहुत पुराने सदस्य हैं मझ से भी अधिक पुराने हैं और अर्थशास्त्र के ज्ञाता भी हैं, उन्होंने कहा था, आज भी कहा कि "टैरिफ बोर्ड के जो लोग हैं उनमें यथेष्ट योग्यता नहीं है ।" मैं तो कहता हूं कि यहां के मेम्बरों को और जनता को यह नहीं पूछना चाहिये कि सरकारी अधिकारियों को किस योग्यता की वजह से पद मिलता है । सरकारी पदों के लिये योग्यता की जरूरत नहीं है । वहां तो मालिक की प्रसन्नता होनी चाहिये । सभापति महोदय अगर आप खूब ठीक से विचारेंगे तो खैर कुछ लोग तो कहीं कहीं योग्य होते होंगे, और हैं भी, लेकिन मेरे विचार से इतना बड़ा भारत सरकार एक पिंजरापोल मालूम होती है । पिंजरापोल में जो पशु रहते हैं वह वहां इस वास्ते नहीं रहते कि उन मे कोई योग्यता है, बल्कि वह इसलिये रहते हैं कि उनमें कोई भी योग्यता नहीं रह गई । इसी तरह से जो लोग सरकार में हैं वह ऐसे हैं जो सांसारिक काम के लिये किसी योग्य नहीं रहें **(हंसी)** आप लोग हंसते हैं, मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप लोग सुनें और हंसें क्योंकि आप लोगों को सोचना, समझना और विचारना तो है नहीं । नेहरू जी या मंत्री जी जो कुछ कहेंगे उस के लिये वोट दे देना है । आप को और किसी बात की ज़रूरत तो है नहीं । सिर्फ हंसना है । यह बड़े दुःख की बात है ।

एक माननीय सदस्य : सोचने का काम तो आप को दे दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । इन को बोलने दीजिये ।

बाबू राम्नारायण सिंह : सोचने का काम तो मेरा है ही । सारी जिन्दगी सोचता रहा हूं और सोचने के अनुभव से कहता हूं ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर]

उप सभापति महोदय, यहां पर इस सिड्यूल में दिया गया है कि संरक्षण किन किन चीज़ों को दिया जाएगा । उस में २९ चीज़ें हैं । जैसा मैंने पहले कहा है कि चीनी के व्यवसाय को संरक्षण दिया गया था,

बीस वर्ष तक के लिये। इस में दिया गया है कि नकली रेशम के व्यवसाय के लिये भी संरक्षण चाहिये। आप भी जानते हैं कि हमारा देश प्राचीन काल से रेशम के व्यवसाय के लिये प्रसिद्ध है। जब से संसार, या जब से यह भारतवर्ष है तभी से, मैं कह सकता हूं कि रेशम के व्यवसाय के लिये हमारा देश प्रसिद्ध था। आज विदेशी सरकार चली गई, और दुर्भाग्य से जो यह नई सरकार आ गई वह क्यों नकली रेशम इस देश में आने देती है? क्या आप जानते हैं कि इसका क्या नतीजा हो रहा है। उपसभापति महोदय, अभी श्री गुरुपादस्वामी ने कहा था कि नकली रेशम के कारण मैसूर के असली रेशम का व्यवसाय खत्म हो गया है। हमारे सुबे के भागलपुर के लोग भी यहां हैं, और और जगहों के लोग भी हैं, हमारे सूबे में भी रेशम का व्यवसाय बहुत ज़ोर शोर से चलता था। भागलपुर तो रेशम के व्यवसाय का एक बहुत बड़ा केन्द्र था। हमारे यहां छोटा नागपुर के विशाल जंगलों में टसर और रेशम पैदा किया जाता था। और छोटे छोटे गांवों की खासकर मानभूम और हजारीबाग़ जिले में बहुत उन्नति हुई थी केवल रेशम के व्यवसाय के कारण। जिस तरह से खादी के सम्बन्ध में है उसी तरह से रेशम के सम्बन्ध में भी कहा जा सकता है कि इस देश में रेशम से बढ़ कर कोई घरेलू व्यवसाय नहीं हो सकता है। लेकिन मैं क्या कहूं, मुझे तो यह कहने में बहुत दुःख होता है कि इस मूर्ख सरकार ने हमारे देश को डुबा दिया। आप जा कर देखिये भागलपुर में देखिये, या बिहार के किसी इलाके में जाकर देखिये जितना असली रेशम का व्यवसाय था सब चौपट कर दिया गया। और चौपट हुआ इन लोगों के पाप से और दुष्कर्म से।

मैं कहता हूं कि इस नकली रेशम के लिये जो संरक्षण दिया जा रहा है उस नीति को खत्म करें। आप जानते हैं कि यहां इस भवन में और बाहर भी यह हल्ला मचा करता है कि जितने व्यवसाय हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर दो। तो पहले विचार होना चाहिये कि किस चीज़ की हमारे देश को ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, ज़रूरत के माने, उपसभापति महोदय, यह हुआ करते हैं कि .....

उपाध्यक्ष महोदय : जिस के बिना हमारा कोई काम न चले।

श्री आर० के० चौधरी : (गौहाटी) : यह जो नकली सिल्क का सवाल उठाया जा रहा है इस में गवर्नमेंट का क्या कसूर है। इस में तो औरतों का कसूर है।

बाबू रामनारायण सिंह : उपसभापति जी, हमारे भाई रोहिणी कुमार चौधरी जी को कांग्रेस के एक सदस्य हैं उनका कहना है.....

उपाध्यक्ष महोदय : उन की छोड़िये।

बाबू रामनारायण सिंह : उन का कहना है कि जो नकली रेशम हिन्दुस्तान में आ गया है उसके लिये जवाब देह स्त्रियां हैं। यह कैसे? इस में तो सीधे सीधे सरकार का क़सूर है कि उस ने ऐसी ऐसी चीज़ें बाज़ार में आने दी और कमज़ोर दिल वाली और मूर्ख स्त्रियां उसे देख कर ललचा गईं। इस लिये रोहिणी कुमार जी का यह कहना कि स्त्रियों का क़सूर है यह ठीक नहीं है। मैं तो कहता हूं। कि यह सब को विचार करने से मालूम होगा कि हमारे मुल्क में जिस जिस प्रकार की अनीति हो रही है उस सब के लिये सरकार ही उत्तरदायी है।

श्रीमती उमा नेहरू (ज़िला सीतापुर व ज़िला खेरी—पश्चिम) : डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे यह कहना है कि मैं इस पर एतराज करती हूं कि स्त्रियां कमजोर हैं, मूर्ख हैं। जो कपड़े स्त्रियां पहनती हैं वह हमारे भाई ले आते हैं बाज़ार से। उनके

(श्री उमा नेहरू)

पास पैसा नहीं है कि वह सिल्क लायें, इस लिये वह औरतों को आर्टिफिशल सिल्क लाकर पहिनाते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब कभी हंसी में भी किसी की ओर निर्देश किया जाये तो उस में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिये जो वलगर (अशिष्ट) हो ।

बाबू रामनारायण सिंह : सभापति महोदय, वलगैरिटी का तो कोई सवाल आना ही नहीं चाहिये । यहां जो मेंने मूर्ख शब्द कहा उस का एक कारण था। यह तो जानी हुई बात है कि हमारे महात्मा गांधी ने खादी के लिये कितना यत्न किया लेकिन बाजार में जहां खादी और दूसरे कपड़े भी हैं वहां विदेशी कपड़े भी हैं जो देखने में सुन्दर मालूम होते हैं और लोग देश का ख्याल न कर के उन कपड़ों के रंग और खूबसूरती देख कर लालच में आ जाते हैं। ऐसे लोगों को अगर थोड़ा मूर्ख कह दिया जाये तो यह वलगर नहीं है । इस में पुरुष और स्त्रियां दोनों ही क़ुसूरवार हो सकती हैं। इस के लिये केवल स्त्रियां ही क़ुसूरवार नहीं कही जा सकतीं। जैसा कि अभी हमारी बहिन जी ने कहा, खरीदने वाले तो पुरुष ही होते हैं । लेकिन इसके लिये असली क़ुसूरवार तो सरकार ही है जिस के जरिये से देश की बुराई होती है क्योंकि वह ऐसी चीजें बाजार में आने देती है ।

इसी तरह से और बहुत सी चीजें हैं। रेशम के बारे में मैं ने आप से कहा। हमारे यहां के लाखों आदमी इस में काम करते थे । उन सब का रोजगार अब चोपट हो गया है । लोग बिना व्यवसाय के हो रहे हैं और भूखे मर रहे हैं। लेकिन इस का उपाय न सोच कर लोगों के रोजगार का प्रबन्ध न कर के विदेशों से चीजें आने दी जाती हैं। इस के साथ साथ विदेशी लोग यहां आ कर रोजगार खोलते हैं । जैसा हमारे और भाइयों ने भी कहा है। अगर कोई देशी व्यवसाय हो और उस की जरूरत हो तो उस को संरक्षण दिया जा सकता है। और इस में कुछ बेजा नहीं होगा । लेकिन मैं यहां तक कहने को तैयार हूं कि पूंजीपतियों को, जो ठीक रास्ते पर नहीं चलते हैं, क्यों संरक्षण दिया जाये। हमारे देश में हमेशा से यह पुकार रही है कि जितने व्यवसाय हैं उन का राष्ट्रीयकरण करो । इस लिये जिस व्यवसाय की हमारे देश के लिये बहुत ही जरूरत हो उस को सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से ही क्यों न चलाया जाये जिस में संरक्षण की कोई जरूरत ही न रहे।

तो जिस तरह से संरक्षण अब तक चलता आया है उस का में घोर विरोध करता हूं और मैं अपने पुराने मित्र कृष्णमाचारी जी से कहता हूं कि इस तरह के संरक्षण का आप अन्त कीजिये। जितने आपने यह २९ व्यवसाय लिखे हैं इन के बिना हिन्दुस्तान मरेगा नहीं । उन के बिना हमारा कोई हर्ज़ नही होगा ।

साइकिल व्यवसाय को ७० प्रतिशत संरक्षण दिया जा रहा है । यह तो जनता को लूटना है एक समय था कि यहां बाइसिकल नहीं थी। तो क्या उस समय हमारा काम नहों चलता था । अभी हमारे देश में दो तीन कारखाने भी हैं और अगर आवश्यकता है तो और कारखाने खोल दिये जायें । यह तो दूसरी बात है । लेकिन इतना संरक्षण देने की जरूरत नही है और न देना ही चाहिये। मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां संरक्षण की बात आवे वहां राष्ट्र की तरफ से , सरकार की तरफ से, व्यवसाय खोल दिया जाये। जिस तरह से मैं ने पिंजरापोल की बात कही थी, कि किसी आदमी को खुश करने के लिये एक डिपार्टमेंट खोल दिया जाये, या किसी आदमी को खुश करने के लिये

किसी व्यवसाय को संरक्षण दे दिया जाय, इस नीति को सरकार जल्दी खत्म करे और अगर सरकार इस को जल्द खत्म नही करती है तो मुझे आनन्द होगा कि यह सरकार जल्दी ही खत्म हो जाये ।

श्री वैलायुधन (क्वलोन व मावेलिक्करा–रक्षित अनुसूचित जातियां) : श्रीमान्, इस विधेयक पर बहुत चर्चा हुई है और मैं केवल एक दो नई बातें कहना चाहता हूं । संरक्षण की भी एक लम्बी कहानी है । यूद्ध से पूर्व केवल बारह एक उद्योगों को संरक्षण दिया जाता था परन्तु अब ४० उद्योगों को संरक्षण देने की हम ने अनुमति दी है । इस संरक्षण का विरोध करने में हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से निजी उद्यम का विरोध करते हैं । परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात् स्थिति बदल गई है और हमें औद्योगिक विकास की ओर विशष ध्यान देना है । एक संतोषजनक बात यह है कि भारत बहुत से शिक्षित तथा मध्य–वर्गीय लोग उद्योग–परिचालक बन ने को तैयार हो गये है । निजी उद्यम बिना दस पंद्रह वर्ष के लिये औद्योगिक विकास सम्भव ही नही । भारत में अभी निजी उद्यम के लिये स्थान है, चाहे हमारी अर्थ–व्यवस्था किसी भी ढ़ंग की हो ।

हम ने उद्योगों को संरक्षण इस लिये दिया कि विदेशी प्रतियोगिता को रोका जाये। यह ठीक है कि हमें देखना चाहिये यदि हमारे उद्योग इस संरक्षण से कुछ लाभ उठाकर प्रगति करते हैं, और यदि उस संरक्षण का उपभोक्ता के हित के लिये उपयोग किया गया है ।

विदेशियों द्वारा धन–विनियोग करने का विरोध किया जा रहा है । कोई भी नहीं चाहता कि भारत पर किसी विदेश द्वारा निभृत प्रभाव डाला जाये । साम्राज्यिक अधिभान का कड़ा विरोध किया जा रहा है क्योंकि यह भारत के लिये अहितकर रही है । इस लिये अब इस पद्धति का अन्तिम सूक्ष्म परीक्षण करना चाहिये और इसको बदलना चाहिये । पाकिस्तान सरकार ने भी साम्राज्यिक अधिमान को पुनर्व्यवस्था की है । हमें भी ऐसा ही करना चाहिये । नहीं तो संरक्षण का कोई लाभ नहीं ।

४ म० प०

एक और बात मैं यह कहना चाहता हूं कि दक्षिण भारत में बहुत से लोग औद्योगिक उद्यम के लिये तैयार हैं । वहां औद्योगिक विकास के लिये काफी मात्रा में कच्चा माल भी प्राप्य है । उद्योगों को संरक्षण देने के समय दक्षिण भारत के उद्योगों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये ।

एक शिकायत यह भी है कि हमारे व्यवसायसंघों की बनाई वस्तुएं विदेशी वस्तुओं से निम्न हैं। मेरे विचार में इसका केवल यही उपाय है कि वैदेशिक शिल्पिक सहायता प्राप्त की जाये । विदेशी विशेषज्ञों के साथ ही विदेशी पूंजी की भी आवश्यकता है । कारण यह है कि यहां रुपये की कमी भी है और लोग रुपया लगाने में उत्सुकता नहीं दिखाते । परन्तु साथ ही हमें यह भी देखना है कि हम अन्य किसी देश के दास न बन जायें । यदि देश में पूंजी प्राप्य हो सकती है तो सरकार को चाहिये कि इस का औद्योगिक विकास के लिये उपयोग कराये । परन्तु होता कुछ और ही है । कर, अति-कर , तथा सरकार की आयात निर्यात सम्बन्धी नीति इतनी त्रुटिपूर्ण है कि उद्योगपतियों की शिकायतें ठीक ही प्रतीत होती हैं ।

एक और शिकायत यह है कि सरकार उद्योगपतियों में से किन्ही विशेष व्यक्तियों अथबा वर्गो के प्रति पक्षपात की भावना रखती है और अन्य उद्योगों को संरक्षण नहीं देती । इस शिकायत को भी दूर करना

[श्री बैलायुधन]

होगा। पंच वर्षीय योजना के अनुकूल औद्योगिक विकास एक स्पष्ट नीति से किया जाना चाहिये। कल ही मैं ने पढ़ा कि नारवे का एक दल यहां आया है और स्वयं वित्त मंत्री ने हमें बतलाया कि इस दल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर अपने उद्योग-धंधे दिखाये जा रहे हैं। एक उद्योगपति ने मुझ से कहा कि ७३ लाख रुपये की छोटी रकम के लिये हम उनको अपने सीमान्त पर स्थित प्रतिष्ठापनायें भी दिखा रहे हैं, क्या पता है कि कहीं यह पाकिस्तान जा कर वहां हमारे रहस्य उनके सामने खोलदें ? हमें चाहिये कि हम हर बात में विदेशियों पर निर्भर न रहें। हमें उद्योगपतियों को अस्पृश्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिये। वह भी देशभक्त हो सकते हैं। उचित मंत्रणा तथा उचित नियन्त्रण से यह लोग सरकार के साथ सहयोग करके पंच-वर्षीय योजना को, इसके अन्तर्गत औद्योगिक विकास को, सफल बना सकते हैं।

श्री वी० बी० गांधी (बम्बई नगर--उत्तर) : श्रीमान्, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया। मुझे बोलने का अवसर दिये जाने की विशेषकर प्रसन्नता इस बात की है कि मैं श्री एम० डी० भट्ट से भली भांति परिचित हूं। हमारे समक्ष विधेयक तो एक ऐसी सामान्य उपाय है जिस पर इतनी लम्बी चर्चा करने की आवश्यकता ही न थी। इतनी लम्बी चर्चा केवल इस कारण हुई कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने सदस्यों के बीच दो उल्लेख परिचालित किये। इस के लिये हमें इस मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहिये।

पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे मित्र श्री बंसल ने कहा कि संरक्षण की अवधि बढ़ाई जानी चाहिये। माननीय वाणिज्य मंत्री द्वारा व्याख्या किये जाने पर वह बात तै हुई समझिये। दूसरी बात यह है कि डा० लंका सुन्दरम ने इस बात पर जोर दिया कि तटकर आयोग की कमकर-मंडली बढाई जाये। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने कल बताया कि सरकार को इस आयोग के लिये उचित व्यक्ति ढूंढ़ने में कठिनाई होती है। यह ठीक है, कठिनाइयां हैं। परन्तु मैं भी इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि आयोग के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाये। इस आयोग का कार्य जितनी शीघ्रता से हो उतना ही लाभदायक है।

श्री चाको ने यह सुझाव दिया कि एल-म्यूनियम उद्योग को संरक्षण देना बन्द कर दिया जाये और राजकीय सहायता दी जाये। परन्तु केवल राजकीय सहायता से एलम्यूनियम नहीं बन पायेगा। कहा जाता है कि हमारे देश में बाक्साइत पर्याप्त मात्रा में प्राप्य है। परन्तु, केवल कच्चे माल से ही एलम्यूनियम का निर्माण नहीं हो सकता। इस के लिये पर्याप्त मात्रा में विद्युत-शक्ति चाहिये। संयुक्त राज्य अमरीका में भी टी० वी० ए० से पूर्व एक महा यंत्र बेकार पड़ा हुआ था। परन्तु टी० ए० वी० द्वारा विद्युत-शक्ति मिलने से इसी महा-यंत्र से अमरीका का एक बड़ा भारी एलम्यूनियम का कारखाना चलाया गया। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विद्युत की परियोजनाओं के पूरा होने पर स्वभाविक ही है कि यह समस्या हल हो जायेगी।

अब रहा श्री भट्ट सम्बन्धी मामला। श्री मोरे, श्री एम डी० भट्ट की योग्यताओं के प्रति कुछ गम्भीर बातें कहना चाहते थे, परन्तु उन्होंन कवल इतना ही कहा कि वह आई० सी० एस० हैं। श्री बी० दास ने तो कवल आई० सी० एस० नियुक्त न करने की नीति की, बात की परन्तु श्री मोरे न उनका भी नाम अपने साथ मिलाया। मैं श्री भट्ट को बहुत समय से जानता हूं।

वह पांच छः वर्ष बम्बई के म्यूनिसिपल कमिश्नर थे और मैं निजी अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि श्री भट्ट जैसे पदाधिकारी बम्बई राज्य में कम ही हैं। उन्होंने एक बार पद-त्याग किया, और वह किसी गैर-सरकारी व्यवसाय संघ में नौकर हुये। परन्तु शीघ्र ही बम्बई सरकार को उन्हें वापस आने पर मजबूर करना पड़ा। यह एक बहुत ही बड़ी बात है। श्री मोरे का माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री के प्रति व्यवहार भी न्यायसंगत न था।

अन्त में मैं यह बात दोहराता हूं कि तटकर आयोग के कर्मचारिवृन्द में बढ़ौती की जाये।

श्री के० के० बसु: श्रीमान्, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। जब हम संरक्षण पर विचार करते हैं तो हमें यह देखना है कि हम कैसे राष्ट्रीय सम्पति को बढ़ायें। हमें उद्योगों का विकास इस रीति से करना चाहिये कि वह आत्म-निर्भर हो जायें और राष्ट्रीय सम्पति को बढ़ायें। सरकारी बैंचों से की गई चर्चा से यह पता चलता है जैसे कि वह इस विधेयक को एक नित्यक्रम सा समझते हैं। सरकार द्वारा बताये गये लम्बे चौड़े आंकड़े देखने से यही पता चलता है कि सरकार ने उद्योगों की सम्पूर्ण स्थिति की जांच नहीं की है। कई उद्योग हैं जिन्होंने संरक्षण दिये जाने पर भी अपनी उत्पादि में कोई वृद्धि नहीं की है। जो भी युद्ध में उनकी उत्पादि होती थी उसमें कमी हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है? उद्योगों को यथासम्भव शीघ्र आत्म-निर्भर होना चाहिये और उत्पादन इतना बढ़ाया जाना चाहिये कि माल निर्यात हो सके। चीनी के उद्योग को लीजिए। बीस वर्ष के लिए संरक्षण होते हुए भी यह उद्योग अभी आत्म-निर्भर नहीं। मूल्य इतना अधिक है कि बिना भारत के और कहीं बिक्री ही नहीं हो सकती। हमारे पास एक योजना आयोग है जो देश के आर्थिक विकास के लिये बनाया गया है। अब इस प्रकार का खंडशः विधि-निर्माण उचित नहीं। डा० सहा तथा डा० कृष्णस्वामी ने इस बात की स्पष्ट रूप में व्याख्या की है। बहुत से उद्योगों के सम्बन्ध में कुछ आयात-व्यापारी यह चाहते हैं कि संरक्षण जारी रहे जिससे कि वह बहुत सा लाभ उठाते जायें। परन्तु कई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो सम्पूर्ण राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का विकास चाहते हैं। उनको अवसर दिया जाना चाहिये। साइकिल उद्योग लीजिये। टयूब जैसे अंग आयात होते हैं और यहां नहीं बनाये जाते हैं। सोडा भस्म के निर्माण के लिये कभी प्रयत्न ही नहीं किया गया है।

मैं साम्राज्यिक अधिमान का भी विरोध करता हूं। मैं विदेशी पूंजीपतियों के व्यवसायसंघों का यहां लाना भी उचित नहीं समझता। यह लोग यहां आकर सस्ते श्रमिकों का अनुचित लाभ उठात हैं और उपभोक्ताओं के लिये अहितकर हैं। तटकर आयोग के विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस आयोग में काम करने वाले ऐसे व्यक्ति होने चहिये जो देश के हित, उपभोक्ताओं के हित तथा उद्योगों के हित को दृष्टि में रख कर किसी उद्योग को संरक्षण देने की सिफारिश सरकार से करें। इस लिये हमारी भावना यह है कि जो लोग एक और ही वातावरण में रहे हों वह ऐसे जिम्मेवार काम के लिये योग्य नहीं हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: मैंने बड़े गौर के साथ सारी बहस जो होती रही है, सुनी, लेकिन मुझे अदब से अर्ज करना है और जोर से अर्ज़ करना चाहता हूं कि मुझे इस सारे डिबेट को सुन कर बड़ी मायूसी हुई है। जिस वक्त हमारे सामने यह बिल आया २९ इंडस्ट्रीज़ के बारे में और जो नोट मिनिस्टर साहब ने भेजा वह हमारे सामने आया,

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

दो नोट हमारे पास भेजे गये, ८ महीने की जो कमीशन की कार्यवाही थी उस का नोट और २९ इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो नोट भेजा उस को मैं ने बड़े गौर से पढ़ा और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जिस कदर यहां पर बहस हुई है वह आम तौर पर उन इंडस्ट्रीज़ की मेरट पर, कि उन को प्रोटेक्शन मिले या न मिले, कम हुई है। वह उसूल जो फिस्कल कमीशन ने बतलाये और जिस के जनाबवाला भी मेम्बर थे, और उस ने उसूल कायम किये थे और जो ऐक्ट हाउस में हम ने पास किया उस के मुताल्लिक और उस के उसूलों के मुताल्लिक मैं यहां पर बहस सुनता रहा हूं और बहुत सी मुख्तलिफ बातों पर बहस हुई हैं जिन का कि इस बिल से कतई कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे अफ़सोस है कि बहस जिस तरीके की इस बिल पर होनी चाहिये थी, वह मैं ने हाउस में नहीं सुनी। इस के अन्दर न कसूर हम मेम्बरों का है और न मिनिस्टर का। मैं इस फैंग एन्ड पर जो बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं और हाउस का वक्त ले रहा हूं वह इस वजह से कि मैं मिनिस्टर साहब की खिदमत में अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि आइन्दा जब कभी वह इस किस्म का बिल लायें तो पहले मेहरबानी कर के सिलेक्ट कमेटी का मोशन उन की तरफ से होना चाहिये, ताकि सिलक्ट कमेटी में हम उन चीज़ों पर जिन वजूहात पर यह प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, अच्छी तरह से देख सकें और गौर कर सक। जहां तक इस मौजदा बिल का ताल्लुक है, मैं जानता हूं कि इस के अन्दर मुसीबत यह थी कि बहुत सी चीज़ों क बारे में तहकीकात ही पूरी नहीं हुई थी और यह जो एक साल के वास्ते प्रोटेक्शन देना पड़ा, उस के मुताल्लिक पूरा मसाला ही मौजूद नहीं था जिस पर सिलेक्ट कमेटी में हम जा कर देख सकते।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मामला बिल्कुल स्पष्ट है। या आप संरक्षण दें या न दें। प्रवर समिति को यह मामला सौंपने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मेरा यह मंशा हरगिज नहीं है कि इस बिल को अब सिलेक्ट कमटी में ले जायें। हां आइन्दा जब कभी आप कोई ऐसा बिल लायें जिस में टैरिफ कमीशन को प्रोटेक्शन देना पड़े तो उस बिल को पहले सिलेक्ट कमेटी में ले जाना चाहिये। पिछली मर्तबा मुझे याद है कि हमारे मिनिस्टर साहब श्री कृष्णमाचारी साहब की कोशिश से मोटर पार्टस् के बारे में जब बिल आया तो वह बिल पहले सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया और हम जानते हैं कि सिलेक्ट कमेटी में क्या हुआ। वहां पर मैं भी मौजूद था और हमारे श्री कृष्णमाचारी भी मौजूद थे। जो कुछ सिलेक्ट कमेटी में हुआ उस का नतीजा खुद मिनिस्टर साहब को मालूम है। ऐसे मिनिस्टर साहब जो खुद यहां पर खड़े हो कर हमें बतलाते रहे हैं कि ऐसे बिल को सिलेक्ट कमेटी में ले जाना चाहिये, आज उन के मुहं से मैं यह सुनने के लिये तैयार नहीं हूं कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में नहीं जाना चाहिये। मैं इस मौजूदा बिल को अब सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये नहीं कहता। इस के बारे में तो पूरा मसाला ही मौजूद नहीं है। लेकिन आइन्दा जब इस तरह का कोई बिल आये, तो उस को जरूर सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये। जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, उस में हमारे पास एकतरफी ही शहादत मौजूद है, हम ने वह रिपोर्टस नहीं पढ़ी जो आप ने लायब्रेरी में रक्खी है और उन २९ इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो रिपोर्ट है वह इतने थोड़े अर्से में नहीं पढ़ी जा सकती थी। सिलेक्ट कमेटी में जो मामला जाता है, वहां उस पर

ज्यादा गौर करने का मौका होता है, और मेम्बर लोग रिपोर्टस की छान बीन में ज्यादा दूर तक जाना अपना फर्ज समझते हैं और उन रिपोर्टस पर खूब अच्छी तरह से विचारने की कोशिश करते हैं। इस वास्ते मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि आगे जब कभी इस तरह का बिल आये, तो पहले उस को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का कन्वेन्शन इस हाउस में कायम किया जाये ताकि हमेशा ऐसे बिल सिलेक्ट कमेटी में जायें। आखिर में मैं आप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप ने मुझे बोलने का और हाउस का वक्त लेने का मौका दिया।

श्री करमरकर: श्रीमान्, अब पौने पांच बजे हैं और मैं पांच बजे तक इस विधेयक को पारित कराना चाहता हूं। मेरे पास थोड़ा समय है इस लिये मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई सारी बातों का सविस्तार उत्तर नहीं दे सकता, न ही मुझे इस की कोई आवश्यकता मालूम पड़ती है।

श्रीमान्, मेरे माननीय मित्र बाबू रामनारायण सिंह को छोड़, और किसी ने भी मुख्य वाद-पद, अर्थात २७ उद्योगों का संरक्षण जारी रखने तथा विधेयक में बताये गये दो उद्योगों को पुनः संरक्षण देने के सम्बन्ध में इन वस्तुओं पर संरक्षणार्थ तटकर लगाने का विरोध नहीं किया। मेरे माननीय मित्र श्री रामास्वामी ने संरक्षण की अवधि बढ़ाने की राय दी। इस लिये मैं समझता हूं कि सदन एकमत होकर सरकार की मांग को उचित समझता है और सामने रख गये प्रस्ताव को स्वीकार करता है। मैं सदन का आभारी हूं कि हमारे समक्ष वाद-पद के गुणों पर लगभग एकमतता प्रकट की गई। मैं समझता हूं कि श्री चाको द्वारा एलम्यूनियम तथा अन्य दो वस्तुओं के विषय में दिये गये बहुत लाभदायक सुझाव को छोड़, मुझे विचारनीय विधेयक के सम्बन्ध में कुछ कहना ही नहीं है।

श्रीमान्, माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के सम्बन्ध में बहुत से प्रश्न उठाये। मेरी राय में इस विधेयक पर इतनी अधिक चर्चा हुई जिसकी आवश्यकता न थी। मैं बहुत से उठाये गये प्रश्नों से सहमत नहीं हूं। मैं इन सबों का उत्तर देने का प्रयत्न नहीं करूंगा क्योंकि फिर मुझे पहले तटकर आयोग से लेकर ३० वर्ष की कालावधि का वृत्तान्त देना पड़ेगा। मैं कुछ महत्वपूर्ण विन्दुओं की ओर संक्षिप्त निर्देश करूंगा।

मेरे माननीय मित्र डा० लंका सुन्दरम् ने कहा है कि सरकार के लिये विधेयक प्रस्तुत करना और उनको पारित कराना एक नित्य कार्य बन गया है। मुझे आशा है कि वह यह बात समझते होंगे कि संरक्षणार्थ तटकर लगाये जाने से देश के उद्योगों को अन्तिम रूप में बहुत लाभ होता है। सरकार के पास उद्योगों के संरणक्ष के लिये केवल यही उपाय है कि वह आवश्यक विधेयकों की पुरः स्थापना करे।

दूसरा विन्दु यह है कि किसी उद्योग को किन किन बातों के आधार पर संरक्षण दिया जा सकता है। इस विषय में पांच मुख्य बातें हैं: (१) उद्योग का उचित समय तक आत्म-निर्भर होने का सामर्थ्य; (२) उद्योग द्वारा देश की अपेक्षा पूरी करने का सामर्थ्य; (३) कच्चे माल की प्राप्यता किस हद तक संरक्षण की कसौटी पर रखी जा सकती है; (४) उपभोक्ता पर तटकर का कितना भार पड़ना चाहिये; और (५) संरक्षित उद्योग का आचार उसको संरक्षण का पात्र बनाता है या नहीं।

संरक्षण देने में सरकार सदा किसी भी उद्योग के उचित समय तक आत्म-निर्भर होने के सामर्थ्य को एक कसौटी मानती है।

[श्री करमरकर]

प्रतिरक्षा के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित उद्योगों को छोड़, सरकार सामान्य परिस्थितियों में किसी ऐसा उद्योग को संरक्षण नहीं देती जो उचित समय तक आत्म-निर्भर न हो सके।

जहां तक देश की अपेक्षा को पूरा करने के सामर्थ्य का प्रश्न है, हो सकता है कि रशम जैसे किसी विशेष उद्योग में हम बहुत समय तक भी देश की अपेक्षायें पूरी न कर सक। युद्ध काल में रेशम का उद्योग प्रति-रक्षा के लिये महत्वपूर्ण उद्योग बन जाता है। इस के अतिरिक्त हमारे देश में रेशम के उद्योग से बहुत लोगों को नौकरी मिलती है। जैसे मेर माननीय मित्र श्री रामास्वामी भली भांति जानते हैं, केवल उनके ही राज्य में पांच लाख लोग रेशम के उद्योग में काम करते हैं। यदि इस उद्योग को हम संरक्षण न दें तो कई लोगों के बेकार हो जाने का डर है। भारत जैसे देश में दो समस्यायें हैं ; (१) उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता; और (२) नियोजन के उचित स्तर को बनाये रखना। इस लिये, यदि कोई उद्योग उचित समय तक देश की अपेक्षाओं को पूरा करने में समर्थ न भी हो तो हम उसको संरक्षण देना बन्द नहीं करेंगे। यदि कोई उद्योग उचित संरक्षण दिय जान से देश की अपेक्षाओं को किसी हद तक सारतया पूरा करता है, तो हम इस उद्योग को संरक्षण का पात्र समझत हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: शिकायत तो यह है कि उद्योग को काफी समय दिया जा चका है और आत्म-निर्भर होने के लिय कभी इसे समय समय पर आग्रह नहीं किया गया है।

श्री ए० सी० गुहा: यह भी नहीं देखा गया है कि उद्योग मांग और उत्पादन के बीच अन्तर को कम कर रहा है कि नहीं।

श्री करमरकर: मैं इस प्रश्न को भी लूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि वास्तव में उपभोक्ताओं पर संरक्षण से बहुत कम भार पड़ता है। वास्तव में हम उद्योगों को तटकर के रूप में ही संरक्षण नहीं देते। हम उन्हें आर्थिक सुविधायें देते हैं, कच्चा माल प्राप्त करने में सहायता देते हैं और अन्य रीतियों से विदेशियों की प्रतियोगिता का मुकाबला करने मे समर्थ बनाते हैं। हमारे देश म संरक्षण के कारण जो उपभोक्ताओं पर भार पड़ता है वह संयुक्त राज्य अमरीका जैसे उन्नत देशों के प्रति बहुत ही कम है।

कच्चा माल प्राप्य होने से बड़ी सुविधा रहती है। परन्तु, कई बार विधायन उद्योगों से भी सुलाभ मिलता है। प्लास्टिक का उद्योग लीजिये। कच्चा माल हमारे पास कुछ समय के लिये प्राप्य न हो, तो सदन की क्या मंत्रणा होगी ? यह तो नहीं होगी कि कच्चे माल का विधायन विदेशों में हो और हम विदेशों से निर्मित वस्तुएं आयात करें। सदन जानता है कि हम प्लास्टिक की वस्तुओं का इतना निर्माण करते हैं कि हमारी अपे-क्षायें पूरी होती हैं। उद्योग की केवल यही कमी है कि कच्चा माल आयात काल में प्राप्य न होने की सम्भावना है। उदाहरणतः, युद्ध की अवस्था में हम इस कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं ? इस के लिये यही एक रास्ता है कि उद्योगों के संरक्षण म हमारी ऐसी नीति नहीं कि हम कच्चे माल की सारी या पर्याप्त मात्रा देश में प्राप्य होने की अवस्था में ही कवल संरक्षण दें।

श्री गाडगिल: विश्व भर में कहीं भी यह नीति नहीं चलाई जाती।

श्री करमरकर: जब भी हम संरक्षण देते हैं हम इस बात की ओर विशेष ध्यान देते हैं कि किसी उद्योग के सम्बन्ध में हमें कच्चा

माल देश में ही प्राप्य है या नहीं। केवल विधायन उद्योग के प्रति हम उस उद्योग को अधिक महत्व देते हैं जिसके लिये कच्चा माल देश में ही प्राप्य हो। परन्तु, यह सम्भव है कि भविष्य में हम केवल विधायन के उद्योग चलायें, क्योंकि सस्ते श्रमिक-व्यय के दृष्टि-गोचर हम विदेशों से कच्चा माल लाकर, विधायन करके वस्तुएं बनाकर उनका दश में विक्रय कर सकते हैं और निर्यात भी कर सकते हैं। हम वस्त्र इसी कारण निर्यात कर सकते हैं कि अन्य देशों केप्रति हमारा उत्पादन व्यय थोड़ा है।

जहां तक उपभोक्ताओं पर भार पड़ने का प्रश्न है माननीय सदस्य संरक्षित उद्योगों की सूची देखने से स्वयं जान सकते हैं कि इन उद्योगों के सम्बन्ध में संरक्षणार्थ कितना तटकर लगाया जाता है। साइकिल, रेशम, चीनी, विशेष उपकरण आदि थोड़े से उद्योगों को छोड़ कर हम सामान्यतः ३० या ३५ प्रतिशत शुल्क लेते हैं। यदि माननीय सदस्य संयुक्त राज्य जैसे उन्नत देश की आयात अनुसूची देखें तो उनको पता चलेगा कि हम राजस्व शुल्क लेने में उचित दर का शुल्क लागू करते हैं। हम राजस्व शुल्क तो लगायेंगे ही। उस से तो उपभोक्ता मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा केवल उस अवस्था में हो सकता है यदि सदन कहे कि कोई राजस्व शुल्क नहीं लिया जाना चाहिये। अधिकांश वस्तुओं के सम्बन्ध में हम ने "राजस्व" शब्द के स्थान पर "संरक्षण" शब्द रखा है और शुल्क वही है। केवल थोड़े से उद्योगों के विषय में उपभोक्ता पर थोड़ा सा अधिक भार पड़ता है। इस लिये यह कहना गलत है कि उपभोक्ता पर बहुत भार पड़ता है। इस तर्क में हेलाभास है। बहुत से उद्योगों के विषय में संरक्षण शुल्क राजस्व शुल्क' एक पाई भी अधिक नहीं।

५ म० प०

श्रीमान्, अब रहा तटकर आयोग की नियुक्ति का प्रश्न। मैं अपना कर्तव्य पालन करने में असफल रहूंगा यदि मैं यह न कहूं कि इस आयोग को नियुक्त करते समय सरकार ने सारी बातें विचार में रखी हैं। सरकार को बिल्कुल कोई सन्देह नहीं कि इस आयोग का सन्धान देश के लिये बहुत हितकर रहेगा। वर्तमान तटकर आयोग इस देश की शोभा बढ़ाता है। मेरे माननीय मित्र श्री मोरे ने इस विषय में कई प्रश्न उठाये। हम ने इस बात को भी विचार में रखा है कि सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिये। परन्तु केवल अर्थशास्त्र का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं। हमें प्रशासन-अनुभव वाला व्यक्ति चाहिये। यदि किसी सदस्य को इस बारे में शिकायत हो तो उसको चाहिये कि तटकर आयोग अधिनियम में बताई सदस्यों की योग्यताओं का संशोधन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करे। हमने देश के लिये एक ऐसा तटकर आयोग नियुक्त किया है जिसकी न्यायशिष्ठा, प्रशासन-अनुभव तथा योग्यता उच्चतम है।

विदेशियों द्वारा हमारे उद्योगों में भाग लेने के विषय में मैं फिर यही बात दोहरा लूंगा कि हमारी नीति प्रधान मंत्री के तीन वर्ष पूर्व दिये गये भाषण में बतलाई गई नीति है। किसी विशेष मामले में, किसी विशेष विदेशी व्यवसायसंघ को भाग लेने की अनुमति देने के विषय में अलग अलग राय हो सकती है। हम इस बात का विशेष ख्याल रखते हैं कि कोई भी विदेशी सम्पृक्त स्वार्थवाले हमारे उद्योगों में न घुस जायें। हमारी स्थिति यह है कि विदेशी पूंजी का बिना शर्तों के हमारे उद्योगों में लगाया जाना हम उचित समझते हैं। हम प्रत्येक मामले की जांच करके उस में अच्छी बातों को देखते हैं और जहां भी उचित समझें, बिना संकोच विदेशी पूंजी के लगाये जाने की अनुमति देते।

[श्री करमरकर]

श्रीमान्, अब मैं साम्राज्यक अधिमान के प्रश्न को लेता हूं। हमारा वर्तमान अधिमान भारत और ब्रिटेन के बीच १९३९ के व्यापार करार के अधीन दिया जा रहा है। मैं माननीय सदस्यों को राजकोषीय आयोग द्वारा इस विषय में दी गई राय की ओर निर्देश करता हूं। उस आयोग ने इस विषय में पूरी जांच की। उन्होंने यह विनिश्चय किया कि जिन वस्तुओं के विषय में कोई अधिमान न हों उनके सम्बन्ध में उन्मुक्त उद्यम की नीति होनी चाहिये। जिन वस्तुओं के विषय में साम्राज्यिक अधिमान है उनके विषय में वह इस निर्णय पर पहुंचे कि यह करार हमारे लिये लाभकारी है। उदाहरणत: चाय के विषय में हमें साम्राज्यिक अधिमान से लाभ होता है। हमे विक्रय के लिये बाज़ार मिल जाता है। सरकार इस मामले की ओर विशेष ध्यान देती है। किसी माननीय मित्र ने कहा कि "ब्रिटेश" शब्द को हटाना चाहिये। परन्तु, जब तक ब्रिटेन एक औद्योगिक देश है और जब तक हम ब्रिटेन के साथ कोई करार क़रना चाहें हमें "ब्रिटेश" शब्द को उपयोग में लाना ही पड़ेगा। सरकार को हर एक बात का ठण्ड़े मस्तिष्क से विचार करना है। किसी भी बात के विषय में आवेशपूर्ण दृष्टिको ण नहीं अपनाया जाना चाहिये। हमने यह देखना है कि किसी भी मामले के गुण क्या हैं, इसे क्या क्या पारिस्परिक लाभ होते हैं। हम ने इन पारस्परिक लाभों की तुलना करनी है।

श्रीमान्, मैं ने सारी मुख्य बातों पर अपनी राय प्रकट की है। मैं रेशम के उद्योग के विषय में कुछ और कहना चाहता हूं। इस उद्योग के सम्बन्ध में बहुत कठिनाइयां हैं क्योंकि हमें रेशम की बुनाई करने वालों तथा उपभोक्ताओं के हित को देखना पड़ता है। हमारे पास कोया उगाने वालों की ओर से यह अभिवेदन आया कि कच्चे रेशम का आयात न किया जाये। एक बुनाई के केन्द्र से यह अभिवेदन आया कि आयात बन्द करने से बड़ी हानि होगी और आयात के बिना कच्चा रेशम उचित दाम पर नहीं मिलेगा। इस प्रकार हमारे पास अन्तर्द्वन्द्वात्मक अभिवेदन आते हैं। हम इस कठिन समस्या को हल करने का प्रत्येक प्रयत्न कर रहे हैं। तटकर आयोग ने, विश्व भर में कच्चे रेशम के मूल्य में चढ़ाव उतार के दृष्टिगोचर, यह निर्णय किया कि रेशम उगाने वालों के हित को ध्यान में रखकर हर छ: महीने के बाद इस मामले की जांच की जानी चाहिये। तटकर आयोग यह जांच करता रहेगा और सरकार को समुचित उपाय करने की मन्त्रणा देता रहेगा।

डा० साहा ने कहा था कि हम संयुक्त राजतन्त्र को वैज्ञानिक उपकरणों के विषय में अधिमान देते हैं। परन्तु, यह गलत है। हम विद्युत उपकरणों के विषय में तो थोड़ा सा अधिमान देते हैं परन्तु वैज्ञानिक उपकरणों के विषय में नहीं।

श्रीमान्, मैं सदन का आभारी हूं कि सदस्यों ने बहुत ही रुचिकर चर्चा की और एकमत होकर मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि जिन माननीय सदस्यों ने कई बातों पर सरकार की कटु आलोचना की वह सदन में उपस्थित नहीं। यदि कोई मंत्री यहां न हो तो अध्यक्ष का ध्यान इस बात की ओर बार बार दिलाया जाता है। यह नीति एक-पक्षीय नहीं होनी चाहिये। दोनों पक्षों को इस बात की ओर ध्यान रखना चाहिये।

अब मैं मतदान के लिये प्रस्ताव रखता हूं प्रश्न है कि :

"भारतीय तटकर अधिनियम, १९३४ के संबन्ध में संशोधन विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामास्वामी, खण्ड २ के प्रति संशोधन का प्रस्ताव नहीं करना चाहते हैं ।

प्रश्न है कि :

"खंड २ खण्ड १, शीर्षक तथा अधिनियमन सूत्र, विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २, खण्ड १, शीर्षक तथा अधिनियमन सूत्र, विधेयक के अंग बना लिये गये।

श्री करमरकर: मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

तत्पश्चात सदन की बैठक शनिवार, १५ नवम्बर, १९५२ के पौने ग्यारह बजे तक स्थागित की गई।